भारत ई-गतिशीलता कार्यक्रम

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

MACQUARIE

विषय-सूची

1. प्रस्तावना....3
1.1 मैक्वेरी असेट मैनेजमेंट के बारे में....3
1.2 उप-परियोजनाओं और प्रतिपक्षियों का लक्ष्य....4
2. ई-गतिशीलता क्षेत्र में पर्यावरण एवं सामाजिक (ईएवंएस) जोखिम....5
2.1 खतरनाक अपशिष्ट....5
2.2 आपूर्ति श्रृंखला....7
2.3 अप्रत्यक्ष उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता....8
2.4 सामाजिक प्रभाव....9
2.5 लिंग आधारित हिंसा....10
3. ईएसएस वर्गीकरण....11
3.1 इलेक्ट्रिक बसें....11
3.2 चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचना....14
3.3 कॉर्पोरेट सहभागिता पर आधारित वाहनों का समूह (4W)....17
4. ESMS की संचालन-व्यवस्था....20
4.1 संरचना....20
4.2 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ....20
4.3 लागत एवं बजट....23
5. प्लैटफॉर्म की पर्यावरण एवं स्थायित्व प्रबंधन प्रणाली....24
5.1 स्थापना....24
5.2 भाग A - संचालन-प्रणाली और रिपोर्टिंग....24
5.3 भाग B - निवेश प्रक्रिया में शामिल करना और इसकी निगरानी....27
6. लागू होने वाले संदर्भ की रूपरेखा....36
6.1 लागू होने वाले राष्ट्रीय कानून एवं विनियम....36
6.2 GCF मानक....37
6.3 पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर IFC प्रदर्शन मानक, 2012....39
A1. अपवर्जन की सूची....42
A2. प्रतिपक्ष और उप-परियोजना के यथोचित परिश्रम की चेकलिस्ट....44
A3. ESIA के लिए संदर्भ की नमूना शर्तें....49
A4. हितधारक सहभागिता ढांचा....56
A5. प्लेटफार्म हितधारक अनुबंध योजना....67
A6. चांस फाइंड की प्रक्रिया....71
A7. पुनर्स्थापन नीति ढांचा....73
A8. स्वदेशी व्यक्तियों की नीति की ढांचा....76

1. प्रस्तावना

मैक्वेरी ऑल्टरनेटिव असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (इसके पश्चात 'MAAML' या 'AE' कहा गया है) एक GCF प्रत्यायित संस्था ने भारतीय परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइज़ेशन) में तेज़ी लाने के लक्ष्य के साथ एक 'ई-गतिशीलता कार्यक्रम' का प्रस्ताव तैयार किया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के शीघ्र अंगीकरण और संबद्ध आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से सक्षम किए गए संवहनीय सड़क परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे हासिल करने की इसकी योजना है।

इस कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. भारत में वित्तपोषक प्लैटफॉर्म की स्थापना (इसके पश्चात 'प्लैटफॉर्म' कहा गया है), जिसमें इसकी कानूनी संस्था, नीतियाँ, पद्धतियाँ, और व्यापक शासन प्रणाली शामिल हैं।
2. ई-गतिशीलता क्षेत्र में प्लैटफॉर्म द्वारा प्रदान किया गया वित्त-पोषण, जिसमें शामिल है प्रारंभिक सम्यक तत्परता और संरचना और इसके साथ ही अविरत निगरानी।
3. प्लैटफॉर्म की बिक्री (GCF और अन्य निवेशकों का निकास सुकर बनाना) इस अपेक्षा के साथ की प्लैटफॉर्म का परिचालन बाज़ार में जारी रहेगा।

प्लैटफॉर्म का प्रबंधन मैक्वेरी असेट मैनेजमेंट (MAM) द्वारा किया जाएगा जो मैक्वेरी ग्रुप का एक परिचालन विभाग है।

यह देखते हुए कि इस प्लैटफॉर्म की अभी तक स्थापना नहीं की गई है, यह पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित **('ESMS')** प्रदान करती है:

- अंतर्निहित उप-परियोजना के भाग के रुप में मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक (ईएवंएस) जोखिमों और प्रभाव का संक्षिप्त विवरण;
- कार्यक्रम के लिए ESMS के शासन प्रणाली की रुपरेखा तय करना; और
- प्लैटफॉर्म द्वारा किस प्रकार पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन किया जाएगा इसके बारे में पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली का एक संक्षिप्त विवरण।

इस दस्तावेज में सीमांकित ढांचे के अंतर्गत एक बार प्लैटफॉर्म स्थापित किए जाने के बाद, प्लैटफॉर्म के स्तर पर विस्तृत नीतियाँ और पद्धतियाँ विकसित की जाएंगी। यह कार्यकारिणी दस्तावेज होंगे और विनियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए इन्हें नियमित रूप से अद्यतनीकृत किया जाएगा।

कार्यक्रम की प्रस्तावित गतिविधियों का स्वरूप देखते हुए किसी भी संदेह से बचने के लिए इस ESMS के किसी भी पर्यावरणीय विनियामक एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करने या इसके द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्निहित उप-परियोजनाओं के लिए किसी भी प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता का विश्लेषण विनियामक आवश्यकताओं के हिसाब से विषयानुसार किया जाएगा।

1.1 मैक्वेरी असेट मैनेजमेंट के बारे में

MAM विभिन्न ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ निवेश समाधान प्रदान करती है जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट, कृषि, परिवहन वित्त, निजी ऋण, इक्विटीज़, निर्धारित आय, और बहु-परिसंपत्ति समाधान शामिल हैं। पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन प्रणाली (ESG) के प्रति MAM का दृष्टिकोण ग्राहकों, शेयरधारकों, और हम जहां परिचालन करते हैं उसमें समुदायों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। ESG के विचार हमारे निवेश का फैसला करने के दृष्टिकोण और परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे में सन्निहित हैं जो यह जानकारी देते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा और इसे सुधारा जाएगा।

इसके अलावा, GRESB, ज़िम्मेदार निवेश के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत ("PRI") और नेट ज़ीरो असेट मैनेजर्स इनिशिएटिव सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों, रुप-रेखा और कार्यक्रमों के साथ MAM की सदस्यता और संबद्धता के माध्यम से संवहनीयता के प्रति इसके संकल्प का प्रदर्शन होता है।

ESG, संवहनीयता और ज़िम्मेदार निवेश के लिए MAM के दृष्टिकोण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं https://www.MAMfunds.com/au/en/our-approach/sustainability.html

1.2 उप-परियोजनाओं और प्रतिपक्षियों का लक्ष्य

जैसा कि ऊपर सीमांकित किया गया है, एक बार प्लैटफॉर्म स्थापित हो जाने के बाद यह ई-गतिशीलता के क्षेत्र ('उप-परियोजनाएं' भी कहा जाता है) में प्रतिपक्षियों के लिए वित्त पोषण प्रदान करेगा। जबकि भारत में संपूर्ण ई-गतिशीलता मूल्य श्रृंखला में निवेश करने का अधिदेश है, लेकिन कुछ प्रमुख उप-क्षेत्र हैं जिन पर शुरुआत में उच्च रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें इलेक्ट्रिक बसें, साझा किए जाने वाले 4पहिया वाहनों का बेड़ा और इलेक्ट्रिक चार्जिंग की आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की आवश्यकता है और एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के वित्त-पोषण की आवश्यकता है।[1]

उप-परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं में:

- ई-गतिशीलता क्षेत्र में भौतिक परिसंपत्ति के शामिल होने की उम्मीद है (उदा. इलेक्ट्रिक बसों की तय संख्या के लिए वित्त पोषण)।
- वाहनों या चार्जिंग पॉइंट्स का परिचालन प्रतिपक्ष द्वारा किया जाएगा।
- प्लैटफॉर्म और प्रतिपक्ष के बीच संबंध वित्त-पोषित अनुबंधों द्वारा शासित होंगे जिसमें दोनों पक्षों पर कुछ कानूनी बाध्यताएं होंगी।
- वित्त पोषित वाहन किसी एक विशिष्ट मार्ग के लिए समर्पित नहीं होंगे लेकिन कुछ हद तक एक प्रतिपक्ष द्वारा उनके व्यापक बेड़े में इसका उपयोग किया जाएगा। यह स्थल विशिष्ट तत्परता को सीमित कर सकता है।

संदेह से बचने के लिए:

- प्लैटफॉर्म को वित्त पोषण हस्तक्षेप के लिए तैयार किया गया है। उप-परियोजनाओं में व्यापक परिवहन हस्तक्षेपों को तैयार करना या विकसित करना शामिल नहीं होगा, केवल एक वित्त-पोषण दृष्टिकोण से ई-गतिशीलता क्षेत्र में विकास के लिए इनपुट (निविष्टि) प्रदान करना (जहां सुसंगत हो) छोड़कर।
- वाहनों या चार्जिंग पॉइंट के दैनिक परिचालन में प्लैटफॉर्म शामिल नहीं होगा।
- वाहनों के डिज़ाइन या निर्माण में प्लैटफॉर्म शामिल नहीं होगा।

प्लैटफॉर्म के वित्त पोषण स्वरूप को दखते हुए यह प्रत्येक उप-परियोजना के प्राथमिक विकास और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसके बजाय प्लैटफॉर्म प्रतिपक्षों के लिए वित्त पोषण (पट्टा या ऋण अनुबंधों जैसे वित्त पोषण दस्तावेजीकरण द्वारा शासित) प्रदान करेगा जिन्हें उन संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो उप-परियोजनाओं के दैनिक परिचालन के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे।

प्रतिपक्षों के उदाहरणों में शामिल है:

- बस परिचालन करने वाली एक कंपनी जो एक शहरी क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु नए ई-बसों के प्रावधान के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक नए इलेक्ट्रिक बस निविदा के लिए बोली लगा रही है,
- दो प्रमुख शहरों के बीच एक मार्ग पर परिचालन करने वाली एक निजी बस कंपनी,
- एक नए क्षेत्र में ई-वाहनों के बढ़े हुए वेधन की सहायता के लिए अनेकों नए चार्जिंग पॉइंट्स का निर्माण करने वाली एक कंपनी,
- एक विशाल कॉर्पोरेट कंपनी जो उनके कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में कारें प्रदान कर रही है।

1

2. ई-गतिशीलता क्षेत्र में पर्यावरण एवं सामाजिक (ईएवंएस) जोखिम

निम्नलिखित खंड भारत में ई-गतिशीलता क्षेत्र में पहचान किए गए मुख्य ईएवंएस जोखिमों, अवसरों और प्रभावों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

यह विचारों या संभाव्य प्रबंधन रणनीतियों की एक विस्तृत सूची नहीं है – प्रत्येक उप-परियोजना की समीक्षा हर मामले के आधार पर की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र रूप से ईएवंएस जोखिमों पर विचार किया गया है। उप-परियोजनाओं में ईएवंएस जोखिमों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर अधिक विवरण के लिए कृपया खंड **4.3** देखें।

2.1 खतरनाक अपशिष्ट

इलेक्ट्रिक वाहनों **(ईवी)** के लिए खतरनाक सामग्री संभालने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें इंजिन ऑइल या इस प्रकार के ल्यूब्रिकेंट्स नहीं होते, जो पारंपरिक वाहनों से संबंधित हैं।

हालांकि लिथियम-आयन बैटरियाँ ईवी का एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं और इसमें अन्य रासायनिक अंश शामिल होते हैं जैसे कोबाल्ट, ग्राफाइट और निकल। बैटरी की आयु खत्म हो जाने के बाद, बैटरी अपशिष्ट रह जाता है जिसमें कोबाइल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिथियम, मैंगनीज़ ऑक्साइड और निकल जैसे रासायनिक पदार्थों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। यदि पुनर्चक्रित या पर्याप्त रूप से उपचारित नहीं किया जाए तो यह पदार्थ मिट्टी और भूजल को संदूषित कर सकते हैं। इसके अलावा, लिथियम स्वाभाविक रूप से नमी के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और इस वजह से भराव क्षेत्र में विस्फोट हो सकता है।

एक नवोदित क्षेत्र के तौर पर ईवी से संबंधित अपशिष्ट के आयु-समाप्ति उपचार या पुनर्चक्रण के लिए सीमित विनियामक ढांचे हैं। भारत में ई-अपशिष्ट से संबंधित मौजूदा नीतियों में लिथियम आयन बैटरियों के सुरक्षित निपटान पर मार्गदर्शन वर्तमान में शामिल नहीं है। हालांकि, जैसे जैसे यह क्षेत्र वैश्विक रूप से विकसित होगा वैसे वैसे उन मार्गदर्शी रूपरेखाओं और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों की उम्मीद की जा सकती है जिनका भारत में पालन और कार्यान्वयन किया जा सकता है।

सार

जोखिम	ई-अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी कुछ मुख्य समस्याएं हैं पर्याप्त निपटान तंत्र की कमी, ई-अपशिष्ट के संगठित संकलन में अपर्याप्तता और भराव क्षेत्र में ई-अपशिष्ट पहुंचने की संभावना
विनियामक आवश्यकता	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 के अनुसार निर्माताओं/उत्पादकों/थोक ग्राहकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल में विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, इसके साथ ही इसमें प्राधिकृत संकलकों (पीआरओ) का भी प्रावधान है जिन्हें इस प्रकार के ई-अपशिष्ट संकलन सक्षम बनाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में बैटरियों (लिथियम आयन) का संकलन बैटरी नियम के दायरे में नहीं है लेकिन नए नियमों का प्रारुप सभी बैटरियों के लिए विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी कवर करता है।
प्रबंधन विकल्प	नवोदित ई-अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में विनियम और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं। यह माना गया है कि प्लैटफॉर्म और उप-परियोजनाओं द्वारा अपनाए गए ई-अपशिष्ट प्रबंधन दृष्टिकोण इन विकसित होनेवाली विनियमों और बेहतरीन कार्यप्रणालियों के अधीन होंगे। सामान्य रुप से, प्लैटफॉर्म का यह प्रयास होगा कि इस्तेमाल की गई बैटरियों से जुड़े विपरीत पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए व्यावसायिक रुप से व्यवहार्य सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और ई-अपशिष्ट प्रबंधन सिद्धांतों को लागू किया जाए। प्रत्येक उप-परियोजना के लिए वित्तपोषण निर्णय हेतु तदनुसार तैयार किए गए ईएवंएस जोखिम और न्यूनीकरण सार में एक सुसंगत ई-अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति सीमांकित और स्वीकृत की जाएगी। इसके साथ ही यह अपेक्षा की जाएगी कि किसी भी श्रेणी बी परियोजना के लिए, जहाँ सुसंगत हो, इसे ईएसआईए और ईएसएपी

जोखिम	ई-अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी कुछ मुख्य समस्याएं हैं पर्याप्त निपटान तंत्र की कमी, ई-अपशिष्ट के संगठित संकलन में अपर्याप्तता और भराव क्षेत्र में ई-अपशिष्ट पहुंचने की संभावना
	में शामिल किया जाए। कुछ संभाव्य ई-अपशिष्ट प्रबंधन विकल्पों को *खंड 5.3.2 - बैटरी निपटान के लिए सिद्धांत* में सीमांकित किया गया है, हालांकि वे विस्तृत नहीं हैं।

2.2 आपूर्ति श्रृंखला

जैसा कि किसी भी विनिर्माण क्षेत्र में होता है, आपूर्ति श्रृंखला ईएवंएस समस्याओं की ओर झुकी हो सकती है जैसे बाल मजदूरी, काम के लिए अपर्याप्त स्थितियाँ, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा लापरवाही और भ्रष्टाचार। आवश्यक मानक और अनुपालन हर देश में और विभिन्न प्रतिपक्षों में अलग हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और GCF मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सम्यक तत्परता की आवश्यकता है।

बैटरियों के लिए लिथियम-लोह और अन्य सामग्री के खनन के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला की ज्ञात समस्याएं हैं जिसमें शामिल है ऐसे अधिकार क्षेत्रों से धातूओं का निकाला जाना जहाँ ईएवंएस विनियम शायद इतने कठोर न हों। इस प्रकार के खनन के साथ जुड़ी समस्याओं में शामिल है एसिड खदान जलनिकास, जल संदूषण, बांध फंटना और बाढ़ (अवशेष जमा होना), भू-क्षरण / संदूषण और परिस्थितिकी तंत्र का विनाश।

किसी व्यवहार के अग्रिम मूल्यांकन के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म की ओर से प्रतिपक्ष पर सम्यक तत्परता संचालित की जाएगी जिसमें उनके श्रम संबंधी तरीके और आपूर्ति श्रृंखला शामिल है और व्यवहार के साथ आगे बढ़ने के लिए अंतिम वित्त पोषण के फैसले पर इसके नतीज़ों का प्रभाव होगा। यह किसी भी महत्वपूर्ण विपरीत सामाजिक प्रभावों का न्यूनीकरण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इन जोखिमों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त नीतियाँ और उपाय लागू करने के साथ प्लैटफॉर्म केवल विश्वसनीय प्रतिपक्षों के साथ काम करे।

सार

जोखिम	आपूर्ति श्रृंखला के कुछ भागों में बैटरियों के लिए मुख्य कच्ची सामग्री यानी कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर और निकल के लिए ज्ञात समस्याएं हैं जैसे मानव और मजदूर अधिकारों का उल्लंघन एवं अस्वीकार्य पर्यावरणीय परिणाम: बाल मजदूरी, पर्यावरणीय विनाश और पानी की कमी।
विनियामक आवश्यकता	वर्तमान में बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 लागू है हालांकि यह लिथियम आयन बैटरी कवर नहीं करता या गहराई से निर्माता ज़िम्मेदारी विस्तारित नहीं करता, लेकिन 2020 के नए नियमों के प्रारूप में इस प्रकार की आवश्यकता शामिल होगी।
प्रबंधन विकल्प	• प्लैटफॉर्म में बोर्ड द्वारा स्वीकृत मानवाधिकार नीति होगी जो विपरीत मानवाधिकार प्रभावों (आधुनिक गुलामी सहित) का कारण बनने या योगदान देने से बचने हेतु प्लैटफॉर्म की प्रतिबद्धता और प्लैटफॉर्म के परिचालन, उत्पाद या सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विपरीत मानवाधिकार प्रभावों को रोकने या न्यूनीकरण करने के प्रयास हेतु प्लैटफॉर्म की प्रतिबद्धता को सीमांकित करते हैं। व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों, बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशा निर्देशों और आईएलक्यू मौलिक संधिपत्रों और सिफारिशों का भी मानवाधिकार नीति समर्थन करेगी। • प्रस्तावित संस्था के चुनिंदा आपूर्तिकर्ताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला सम्यक तत्परता का उत्तरदायित्व लें। नकारात्मक रिपोर्ट वाले आपूर्तिकर्ताओं को शामिल न करें। • आधुनिक गुलामी जैसे मानवाधिकार जोखिमों के संदर्भ में आपूर्तिकर्ताओं के कार्य निष्पादन रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए जांच और सम्यक तत्परता का दायित्व लेने हेतु प्रत्येक उप-परियोजना में उसके मानवाधिकार जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप एक प्रक्रिया होगी। • अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में विनियामक घटनाओं के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श में सक्रिय रूप से जुड़ें। • इस विषय के संबंध में आपूर्तिकर्ता शासन प्रणाली और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के बारे में वित्त पोषण करने वाले प्रतिपक्षों के साथ कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में हिस्सा लें।

2.3 अप्रत्यक्ष उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता

ईवी में कोई प्रत्यक्ष वायु उत्सर्जन नहीं है क्योंकि इनमें बिजली ही एकमात्र ईंधन का स्त्रोत है। पेट्रोल, डीज़ल, और यहाँ तक कि गैस-ईंधन पर चलने वाले वाहनों की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण फायदा है क्योंकि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भारत सहित सभी प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण अनुपात में प्रदूषण के लिए कारण बनता है। इंटरनल कम्बशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) सीओ2, एनओएक्स, एसओ2, और पीएम जैसे प्रदूषकों का निर्माण करता है जो सीधे तौर पर हवा में उत्सर्जित होते हैं।

यह देखते हुए कि भारत का ग्रिड अब भी पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भर है इसलिए ईवी में बैटरियों की चार्जिंग में उपयोग होने वाली ऊर्जा के उत्पादन में अप्रत्यक्ष उत्सर्जन भी शामिल है। आने वाले समय में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण कर अपने ग्रिड के विकार्बनीकरण के लिए भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के द्वारा इसका न्यूनीकरण किया गया है जो विद्युतीकरण के साथ साथ परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण में सहायता करेगा। आखिरकार, आईसीई के परिचालन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन से फिर भी कम उत्सर्जन होता है।

ईवी के परिचालन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के आधारभूत ढांचे के सहयोग और संबंधित भंडारण तंत्र से इस क्षेत्र से होने वाले संपूर्ण उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण टेक्नोलॉजी के लगातार बढ़ रहे ट्रेंड का विचार करते हुए आने वाले वर्षों में वाहन संबंधी स्त्रोतों से होने वाले वायु उत्सर्जन को कम करने के लिए ईवी क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं हैं। सार

जोखिम	नवीकरणीय स्त्रोतों के बजाय ग्रिड के माध्यम से ईवी के चार्जिंग द्वारा अप्रत्यक्ष उत्सर्जन उत्पादित हो सकता है।
विनियामक आवश्यकता	इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए ऊर्जा के स्त्रोत पर किसी तरह की आवश्यकता नहीं है।
प्रबंधन विकल्प	• इसके परिचालन से जुड़े अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य अवसरों की जांच और खोज करने के लिए प्लैटफॉर्म सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग करेगा। इसमें कार्यस्थल पर नवीकरणीय ऊर्जा (उदा. छत पर सौर ऊर्जा) लगाना, प्रेषणयोग्य भंडारण, नवीकरणीय बिजली का प्रापण शामिल हो सकता है। • प्लैटफॉर्म अपनी नीतियों और हितधारक प्रबंधन कार्यक्रम में ग्रिड विकार्बनीकरण का समर्थन करने वाले सरकारी कार्यक्रमों की सहायता और सहभागिता को सम्मिलित कर सकता है।

2.4 सामाजिक प्रभाव

ईवी में परिवर्तन करने से अनेकों सकारात्मक सामाजिक प्रभाव अपेक्षित हैं।

- जीवाष्म ईंधनों पर चलने वाले वाहनों की तुलना में ईवी में ईंधन की लागत अपेक्षाकृत रूप से कम है। यह ग्राहकों के लिए स्पष्ट रूप से प्रोत्साहन प्रदान करता है क्योंकि वे आईसीई की बजाय ईवी का इस्तेमाल कर ईंधन की लागत में बड़ी मात्रा में बचत कर सकते हैं।
- सार्वजनिक परिवहन में ईवी के जुड़ने से बेहतर विशेषताओं और परिवहन की गुणवत्ता वाली नई बसें उपलब्ध होंगी। आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं, कैमरा की उपलब्धता और सर्वव्यापी पहुँच से समाज को लाभ प्राप्त होगा, विशेष रूप से महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए, और इसके साथ ही कम प्रदूषण से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे।
- ईवी और संबंधित आधारभूत ढांचे के आगमन से चार्जिंग स्टेशनों, निर्माण में वृद्धि, अनुसंधान एवं विकास तथा इसके भी आगे कई नए मार्ग खुलेंगे जो रोज़गार के लिए अवसर प्रदान करेंगे। इसमें बैटरी और सहायक आपूर्ति नेटवर्क द्वारा वृद्धि होगी जिसकी स्थापना ई-गतिशीलता क्षेत्र की न्यूनता पूर्ण करने के लिए की जाएगी।

हालांकि, ईवी की ओर सामाजिक झुकाव के कारण कुछ अप्रत्यक्ष बदलाव हो सकते हैं जैसे कि पारंपरिक वाहन क्षेत्र में भूमिकाओं के लिए पुन:कौशल प्राप्त करना। यह नोट किया जाए कि पारंपरिक बसों के साथ प्लैटफॉर्म का कोई संबंध नहीं होगा और अदला बदली की बजाय ईवी मुख्य रूप से नई बस क्षमता का समर्थन करेंगे। इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन कुल वाहनों के समूह के केवल एक छोटे खंड के लिए योगदान देंगे। उन मामलों में भी जहां पारंपरिक बसों को ईवी द्वारा बदला जा रहा है, चालकों को इस प्रकार के बसों के परिचालन के लिए मूलभूत प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है क्योंकि वाहन चलाने की तकनीक समान ही रहेगी। इसलिए कार्यक्रम की वजह से पारंपरिक बसों के चालकों के आर्थिक विस्थापन की समस्याओं और उनकी आजीविका को फिर से बहाल करने जैसी आवश्यकता को परिकल्पित नहीं किया गया है

सार

जोखिम	इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन से संबंधित कुछ अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि यह उप-परियोजनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अपेक्षित नहीं है, जिनके सामाजिक रूप से लाभप्रद प्रभाव हो सकते हैं जैसे रोज़गार के लिए अवसरों का निर्माण, वायु की गुणवत्ता में सुधार और परिवहन के नए विकल्पों तक पहुँच।
विनियामक आवश्यकता	शून्य
प्रबंधन विकल्प	• प्रत्येक उप-परियोजना के लिए नियोजन चरण के एक भाग के रुप में इस वजह से हुए सामाजिक प्रभाव का विचार करें, जिसमें शामिल है नए/पुन:कौशल प्राप्त श्रमिकों के लिए नौकरी निर्माण, ध्वनि और प्रदूषण में कमी के कारण सुविधा और सौंदर्य बोध में सुधार, सुमदायों के लिए वर्धित निम्न-लागत गतिशीलता और संयोजकता और ग्राहकों के लिए जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार • व्यवहार के परिणाम स्वरुप उल्लेखनीय छंटनी की संभावना की समीक्षा करें (असंभाव्य) • वित्त-पोषण करने वाले प्रतिपक्षों द्वारा आयोजित ई-गतिशीलता क्षेत्र के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण का समर्थन करें या इसमें शामिल हों

2.5 लिंग आधारित हिंसा

लिंग आधारित हिंसा (और यौन दुर्व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न के अन्य स्वरूप, या एसईएएच) और सार्वजनिक परिवहन में इससे संबंधित सुरक्षा का विचार भारत में ज्ञात समस्याएं हैं। प्लैटफॉर्म द्वारा वित्त-पोषित बसों और अन्य वाहनों में लिंग आधारित हिंसा के घटने की संभावना है। यह प्लैटफॉर्म के नियंत्रण के भीतर नहीं है हालांकि सीसीटीवी कैमरा और पैनिक बटन जैसे अनेकों प्रकार के सुरक्षा विनियम हैं जो परिवहन रियायतों के अंतर्गत आवश्यक हैं। इस जोखिम से होने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव के न्यूनीकरण के लिए इन विनियमों की पूर्तता हेतु वाहनों के अनुपालन की निगरानी की मांग प्लैटफॉर्म द्वारा की जाएगी। इस जोखिम के प्रभाव को सीमित करने के लिए प्रत्येक उप-परियोजना के एक भाग के रूप में विनियमों, सर्वश्रेष्ठ प्रणाली, प्रतिपक्ष की पद्धतियों और अन्य न्यूनीकरण उपायों की समीक्षा की जाएगी।

सार

जोखिम	सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के उत्पीड़न की संभावना होती है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाली बसों और सुनसान जगहों में। प्लैटफॉर्म द्वारा वित्तपोषित (प्रतिपक्ष द्वारा परिचालित) वाहनों में लिंग आधारित हिंसा का खतरा बना रहता है।
विनियामक आवश्यकता	भारतीय दंड संहिता में सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के लिए अनेकों कानून मौजूद हैं, हालांकि, इनमें परिवहन क्षेत्र से संबंधित कोई भी नहीं है। नए वाहनों में सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करने हेतु सार्वजनिक बस रियायतों में कुछ विनियामक आवश्यकताएं।
प्रबंधन विकल्प	लिंग कृति योजना में विस्तार से वर्णित। लिंग कृति योजना के कुछ उदाहरणों में शामिल है: • आपातकालीन कॉल बटन, सीसीटीवी कैमरा, विकलांगों के लिए आसान पहुँच जैसी सुरक्षा विशेषताओं के संबंध में ई-बसों में आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी। • सहायक कार्यक्रम जैसे बसों में महिला परिचालकों या महिला चालकों या सिर्फ महिलाओं के लिए बसों की संख्या में वृद्धि करना।

3. ईएसएस वर्गीकरण

कार्यक्रम का ध्यान केंद्रित है एक ऐसे प्लैटफॉर्म की स्थापना करना जो इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जिंग आधारभूत ढांचों के निर्माण या ई-गतिशीलता मूल्य श्रृंखला के ईर्दगिर्द अन्य निवेशों के लिए मुख्यत: कॉर्पोरेट प्रतिपक्षों को वित्त पोषण प्रदान करे। यह खंड प्रत्येक उप-परियोजना के लिए उप-क्षेत्र द्वारा मुख्य जोखिमों के मूल्यांकन को सीमांकित करता है जिसे प्लैटफॉर्म द्वारा वित्त-पोषित किया जाना अपेक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उप-परियोजनाओं का वर्ग बी या इससे नीचे आना परिकल्पित है। हालांकि, ईएवंएस जोखिम और प्रभाव के लिए प्रत्येक उप-परियोजना की जाँच की जाएगी और नीचे खंड 4.3.1 में दिए गए विवरण के अनुसार वर्गीकरण निर्दिष्ट किया जाएगा।

नीचे संक्षेप में दिए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम का वर्गीकरण मध्यस्थता **-2** के रुप में किया गया है ताकि इस बात का विचार हो सके कि प्लैटफॉर्म ई-गतिशीलता निवेश के परिचालन के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएग जिसमें अधिकतम वर्गीकरण वर्ग बी का होगा।

वर्गीकरण के लिए मुख्य कारण MAM के ईएसआर टूलकिट में परिभाषित मानदंड के अनुसार प्लैटफॉर्म और उपपरियोजनाओं के अपेक्षित जोखिमों और आईएफसी प्रदर्शन मानकों के खिलाफ मूल्यांकन और संभाव्य प्रबंधन विकल्पों के आधार पर है जिन्हें निम्नलिखित खंड में संक्षेप में दिया गया है।

यह विचारों या संभाव्य प्रबंधन रणनीतियों की एक विस्तृत सूची नहीं है – प्रत्येक उप-परियोजना की समीक्षा हर मामले के आधार पर की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समग्र रूप से ईएवंएस जोखिमों पर विचार किया गया है। उप-परियोजनाओं में ईएवंएस जोखिमों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन पर अधिक विवरण के लिए कृपया खंड **4.3** देखें।

3.1 इलेक्ट्रिक बसें

अधिकतम वर्गीकरण: वर्ग बी

एक संकेंद्रित ओईएम बेस और विखंडित परिचालक बेस के साथ इलेक्ट्रिक बसें पूंजी प्रधान हैं। प्लैटफॉर्म इस क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करेगा और कुछ मुख्य ओईएम के साथ भागीदारी करेगा जो सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक बसों में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्शहरी (शहर के भीतर), एफएएमई II अनुदान आधारित नीलामी को लक्ष्य बनाते हुए प्लैटफॉर्म प्रमुख कंपनियों और इसके साथ ही उन प्रमुख कंपनियों को भी नवाचारी वित्त-पोषण समाधान प्रदान करेगा जो निजी, अंतर-शहरी बस क्षेत्र में परिचालन कर रही हैं।

वित्त पोषण समाधान में जो उत्पाद शामिल हैं वे हैं पट्टे पर देना, परियोजना वित्त पोषण, प्राप्य राशियों के लिए वित्त पोषण और अन्य नवाचारी समाधान जो बाजार की आवश्यकताओं की सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूर्ति करते हैं। प्लैटफॉर्म बस तैनाती के सभी खंडों को लक्षित करेगा जिसमें शामिल हैं अंतर्शहरी सार्वजनिक परिवहन, अंतर-शहरी परिवहन, स्कूल बसें, ऑफिस और अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए बसें।

मुख्य ईएवंएस जोखिम, न्यूनीकरण और प्रबंधन

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
जोखिमों का प्रबंधन या न्यूनीकरण करने के लिए प्रतिपक्ष के पास पर्याप्त ईएवंएस नीतियां या पद्धतियाँ नहीं है	पीएस1: जोखिम प्रबंधन	• उप-परियोजनाओं के लिए ईएवंएस प्रबंधन के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रतिपक्ष शामिल होगा। • एक खतरा है कि प्रतिपक्ष के पास संभाव्य ईएवंएस जोखिम का प्रबंध करने के लिए क्षमता या शासन प्रणाली नहीं है।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)। • प्लैटफॉर्म किसी भी उच्च जोखिम वाले वर्ग ए परियोजनाओं की बजाय केवल वर्ग बी परियोजनाओं में निवेश करेंगे। • उप-परियोजनाओं की जारी निगरानी के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म ईएवंएस प्रबंधन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
प्रतिपक्ष कर्मचारियों की कार्य करने की स्थितियाँ	पीएस2: श्रम / श्रमिक	• उप-परियोजनाओं में शामिल कर्मचारियों में बस चालक, प्रशासकीय/कार्यालय कर्मचारी, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारी या अन्य शामिल हो सकते हैं। • इस बात का खतरा हो सकता है कि प्रतिपक्ष रोजगार और श्रमिकों की स्थितियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करता हो जिसमें शामिल है काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ग़ैर-भेदभाव और समान अवसर, एसईएएच और बाल मजदूरी कानून।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)।
आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करने की स्थितियाँ	पीएस2: श्रम / श्रमिक	• बैटरियों की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कुछ ज्ञात समस्याएं हैं जिसमें शामिल है काम करने की खराब स्थितियाँ। • इस बात का खतरा है कि ई-बसो में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियाँ ऐसे आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गई है जो रोजगार और श्रमिकों की स्थितियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करते हों जिसमें शामिल हैं काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ग़ैर-भेदभाव और समान अवसर, और बाल मजदूरी कानून।	• प्रतिपक्ष या निर्माता की प्रापण नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा प्लैटफॉर्म द्वारा की जाएगी, विशेष रूप से उनके अपने आपूर्तिकर्ता सम्यक तत्परता के संबं यह इसके प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर शामिल है (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली) • यदि श्रमिकों की खराब स्थितियों की पहचान होने की पुष्टि होती है तो इसे वर्ग ए में या 'प्रबंध करने योग्य नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। दोनों ही मामलों में प्लैटफॉर्म इसमें निवेश करना जारी नहीं रखेगा।
लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) (एसईएएच पर सोच-विचार सहित)	पीएस2: श्रम, पीएस4: समुदाय	• सार्वजनिक परिवहन में जीबीवीएच की घटनाएं प्रचलन में हो सकती हैं (जिस प्रकार इस कार्यक्रम के लिए लिंग मूल्यांकन में सीमांकित किया गया है) और इससे महिलाओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और समाज में सहभागिता प्रतिबंधित हो सकती है।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्षों की जीबीवीएच नीतियों की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष और उप-परियोजना सम्यक तत्परता प्रश्नावली)। • इस समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करने के लिए प्लैटफॉर्म ने लिंग कृति योजना में कई कृतियों की पहचान की है जिसमें शामिल है बसों में सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना जैसे सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन या अन्य।
कौशल में संभाव्य परिवर्तन	पीएस2: श्रम, पीएस4: समुदाय	• एक वास्तविक या सोचा गया खतरा हो सकता है कि ई-बसों में बदलाव उद्योग में मौजूदा बस	• उप-परियोजनाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी। • उप-परियोजनाओं के संभाव्य सकारात्मक सामाजिक

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		चालकों या अन्य मजदूरों का आर्थिक विस्थापन का कारण बने	प्रभावों की पहचान की जानी है। • संपूर्ण उद्योग में ईवी में व्यापाक बदलाव के भाग के तौर पर ई-बसों के लिए नए परिवर्तन या नए कौशल को अपनाने हेतु प्रतिपक्षों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है (कम से कम होने की उम्मीद है)। इसकी समीक्षा प्रतिपक्ष के श्रम नीतियों के भाग के तौर पर की जाएगी।
चार्जिंग के लिए बिजली का उपयोग	पीएस3: संसाधन कार्यक्षमता	• इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग की आवश्यकता होगी जो हो सकता है ग्रिड या प्रत्यक्ष उत्पादन से आए, जिसे अनवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त किया गया हो। इससे जीएचजी उत्सर्जन कम करने में कार्यक्रम का कुल प्रभाव सीमित हो सकता है।	• उप-परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के अवसरों की पहचान करने हेतु प्लैटफॉर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग किया जाएगा। • भारत में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एक बदलाव जारी है जो कुछ समय बाद ईवी चार्जिंग के प्रभाव में सुधार लाएगा।
बैटरियों के लिए सामग्री का निपटान (या अन्य रुप से) और वाहन की स्क्रैपिंग	पीएस3: संसाधन कार्यक्षमता	• सभी इलेक्ट्रिक बसों में एक बैटरी का उपयोग किया जाएगा जहाँ वर्तमान में इन सामग्री के निपटान के लिए सीमित संवहनीय विकल्प मौजूद हैं। • ई-वाहनों की स्क्रैपिंग उन मामलों में एक समस्या हो सकती है जहाँ किसी दुर्घटना के कारण वाहनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, या इस प्रकार के वाहनों की आयु समाप्त हो गई हो। • अधिक संख्या में ई-बसों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराने से खतरा है कि प्लैटफॉर्म भविष्य में ज़्यादा ई-अपशिष्ट तैयार करने में योगदान देगा और हो सकता है जिसका प्रबंध एक संवहनीय या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तरीके से न किया जाए।	• खंड 4.3.2.2 बैटरी निपटान के सिद्धांत में पहचान किए गए सिद्धांतों के अनुरूप प्लैटफॉर्म द्वारा निपटान प्रबंधन योजना की पहचान की जाएगी। • निपटान प्रक्रिया में भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही की जाएगी और इसे वित्त पोषण दस्तावेज में एकीकृत किया जाएगा। • प्लैटफॉर्म एक वाहन स्क्रैपिंग नीति विकसित करेगा जो सरकार के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित होगी। स्क्रैपिंग से प्राप्त की गई सामग्री के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र।
समुदाय के लिए बसों का उपयोग	पीएस4: समुदाय	• सार्वजनिक और निजी बसों को समुदाय के लिए सेवा प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। नई इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है जिसका	• प्लैटफॉर्म वाहनों के वित्त पोषण में शामिल होगा और सार्वजनिक परिवहन नीतियाँ (जैसे मार्ग, या निविदा) विकसित करने हेतु इसके शामिल होने की संभावना नहीं है जो राज्य या केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है। • प्लैटफॉर्म समुदाय में प्रतिपक्ष की सहभागिता और

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		समुदाय पर प्रभाव पड़ता है हालांकि इसमें अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं जैसे वित्त पोषित बसों की गुणवत्ता या बसों का उपयोग।	सुसंगत हितधारक परामर्श सावधानीपूर्वक होगा, विशेष रुप से यदि अपेक्षित बस मार्ग के प्रतिपक्ष में एक विशिष्ट समुदाय या प्रभावित समूह शामिल हो।
महिलाओं द्वारा बसों का उपयोग	पीएस4: समुदाय	• इस कार्यक्रम के लिए लैंगिक मूल्यांकन में बताया गया है कि, सार्वजनिक परिवहन के डिजाइन तथा सुरक्षित तरीके से सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता से समाज में महिलाओं की भागीदारी पर असर पड़ सकता है।	• लैंगिक कार्य-योजना के तहत, प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग के लिए सेवाओं के कुछ खास क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है ताकि महिलाओं की सहायता की जा सके। • प्लैटफॉर्म द्वारा प्रत्येक उप-परियोजना के लिए लैंगिक मूल्यांकन के माध्यम से लैंगिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें लैंगिक आधार पर अलग-अलग आँकड़े (जिसे प्रत्येक उप-परियोजना की पहचान के बाद चिह्नित किया जाएगा) एकत्र करना शामिल है।

3.2 चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचना

अधिकतम वर्गीकरण: वर्ग बी

वाहनों के विद्युतीकरण के मनोनुकूल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचनाओं (सार्वजनिक और निजी) के मौजूदा स्तरों से तेजी से बढ़ाना आवश्यक है। फिलहाल यह क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं, नीतियों से संबंधित अनिश्चितता तथा सीमित फाइनेंसिंग के साथ-साथ अत्यधिक अग्रिम लागत जैसी परेशानी से जूझ रहा है। यह प्लैटफॉर्म बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों / ऑपरेटरों के लिए साझा सेवा के रूप में चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचनाओं की तेजी से और सक्रियतापूर्वक तैनाती के लिए फाइनेंसिंग समाधान उपलब्ध कराकर भारत में ई-मोबिलिटी क्षेत्र के विकास की एक बड़ी बाधा को दूर करने की कोशिश करेगा।

मुख्य ईएवंएस जोखिम, न्यूनीकरण और प्रबंधन

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
जोखिमों का प्रबंधन या न्यूनीकरण करने के लिए प्रतिपक्ष के पास पर्याप्त ईएवंएस नीतियां या पद्धतियाँ नहीं है	पीएस1: जोखिम प्रबंधन	• उप-परियोजनाओं के लिए ईएवंएस प्रबंधन के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रतिपक्ष शामिल होगा। • एक खतरा है कि प्रतिपक्ष के पास संभाव्य ईएवंएस जोखिम का प्रबंध करने के लिए क्षमता या शासन प्रणाली नहीं है।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)। • प्लैटफॉर्म किसी भी उच्च जोखिम वाले वर्ग ए परियोजनाओं की बजाय केवल वर्ग बी परियोजनाओं में निवेश करेंगे। • उप-परियोजनाओं की जारी निगरानी के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म ईएवंएस प्रबंधन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
प्रतिपक्ष कर्मचारियों की कार्य करने की स्थितियाँ	पीएस2: श्रम / श्रमिक	• उप-परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारियों में प्रशासन/कार्यालय	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		के कर्मचारी, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारी या अन्य कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। • दूसरे पक्ष की ओर से रोजगार तथा कामकाज की परिस्थितियों के संबंध में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पालन नहीं करने का जोखिम बना रहता है, जिसमें कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भेदभाव रहित और समान अवसर, SEAH तथा बाल श्रम कानून शामिल हैं।	क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)।
लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न (जीबीवीएच) (एसईएएच पर सोच-विचार सहित)	पीएस2: श्रम, पीएस4: समुदाय	• सार्वजनिक परिवहन में GBVH की घटनाएँ हो सकती हैं (जैसा कि इस कार्यक्रम के लिए लैंगिक मूल्यांकन में बताया गया है) और महिलाओं द्वारा चार्जिंग पॉइंट के उपयोग तथा समाज में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित कर सकता है।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्षों की जीबीवीएच नीतियों की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष और उप-परियोजना सम्यक तत्परता प्रश्नावली)। • प्लैटफॉर्म ने इस मुद्दे को उप-परियोजनाओं में लक्षित करने के लिए लैंगिक कार्य योजना में कई कार्रवाइयों की पहचान की है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, चार्जिंग स्टेशनों पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था या इसी तरह की अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।
चार्जिंग के लिए बिजली का उपयोग	पीएस3: संसाधन कार्यक्षमता	• गैर-नवीकरणीय स्रोतों से चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इससे जीएचजी उत्सर्जन कम करने में कार्यक्रम का कुल प्रभाव सीमित हो सकता है।	• उप-परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के अवसरों की पहचान करने हेतु प्लैटफॉर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग किया जाएगा। • भारत में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एक बदलाव जारी है जो कुछ समय बाद ईवी चार्जिंग के प्रभाव में सुधार लाएगा।
महिलाओं द्वारा चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचनाओं का उपयोग	पीएस4: समुदाय	• इस कार्यक्रम के लिए लैंगिक मूल्यांकन में बताया गया है कि, सार्वजनिक सेवाओं के डिजाइन (जैसे कि चार्जिंग पॉइंट) तथा सुरक्षित तरीके से सेवाओं का उपयोग करने की क्षमता से समाज में महिलाओं की भागीदारी पर असर पड़ सकता है।	• लैंगिक-कार्य योजना में, प्लैटफॉर्म द्वारा प्रत्येक उप-परियोजना के लिए लैंगिक मूल्यांकन के माध्यम से लैंगिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें लैंगिक आधार पर अलग-अलग आँकड़े (जिसे प्रत्येक उप-परियोजना की पहचान के बाद चिह्नित किया जाएगा) एकत्र करने के साथ-साथ परियोजना के डिजाइन में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के अवसरों (जैसे कि, जहाँ संभव हो, वहाँ महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट्स का

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
			स्थान निर्धारित करना) की पहचान करना शामिल है।
भूमि अधिग्रहण से होने वाले प्रभाव	पीएस5: भूखंड के लोगों का पुनर्वास, PS6: जैव-विविधता, PS7: एक ही क्षेत्र का जन-समूह, PS8: सांस्कृतिक धरोहर)	• चार्जिंग पॉइंट्स हेतु बुनियादी संरचनाओं के तहत नए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना या पट्टे पर लेना शामिल हो सकता है। • भूमि के अधिग्रहण से स्थानीय लोगों के पुनर्वास के अलावा, जैव-विविधता, स्थानीय लोगों या सांस्कृतिक धरोहर के प्रभावित होने की संभावना है।	• चार्जिंग पॉइंट्स के आकार और स्थान के स्वरूप को देखते हुए स्थानीय लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ जैव-विविधता, स्थानीय लोगों या सांस्कृतिक धरोहर पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से शहरी परिवेश को इस दायरे में शामिल किया गया है जहाँ वर्तमान में व्यावसायिक उपयोग की संभावना है साथ ही ऐसे स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट्स उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक हैं। • E&S की समुचित प्रक्रियाओं के तहत जैव विविधता, स्थानीय लोगों या सांस्कृतिक धरोहर के संदर्भ में चिह्नित किए गए किसी भी तरह के सीमित प्रभावों की स्थिति में, उस उप-परियोजना हेतु फाइनेंसिंग से जुड़े निर्णय लेने (और प्रासंगिक ESAP) के लिए E&S जोखिम एवं न्यूनीकरण सारांश में ऐसे प्रभावों को कम करने वाली कार्रवाइयों की आवश्यकता होगी। • परिशिष्ट में अवसरों की तलाश की प्रक्रिया शामिल की गई है। • परिशिष्ट में पुनर्वास की रूपरेखा तथा स्वदेशी लोगों के लिए योजना निर्दिष्ट की गई है। • बड़े पैमाने पर किसी भी तरह के पुनर्वास के साथ-साथ जैव-विविधता, स्थानीय लोगों या सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े जोखिम / प्रभावों को श्रेणी-ए परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और अगर इसे कम कर पाना संभव नहीं होगा तो प्लैटफॉर्म ऐसी गतिविधियों में निवेश नहीं करेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) तथा नए इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए चार्जिंग हेतु बुनियादी संरचनाओं की स्थापना की वजह से पड़ने वाले प्रभाव	पीएस3: संसाधनों का कुशल उपयोग तथा प्रदूषण की रोकथाम पीएस4: सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	• चार्जिंग पॉइंट्स हेतु बुनियादी संरचनाओं तथा नए बस डिपो के निर्माण में पर्यावरण से जुड़ी समस्याएँ भी शामिल होंगी, जैसे कि धूल उत्सर्जन, विनिर्माण कार्यों से अपशिष्ट का उत्पादन, पानी का उपयोग, मजदूरों के शिविरों तथा विनिर्माण से अपशिष्ट जल की निकासी, श्रम प्रबंधन से संबंधित सामाजिक मुद्दे, अतिरिक्त समय तक काम करना, मजदूरों के रहने की	• प्लैटफॉर्म से जुड़े दूसरे पक्षों के लिए ESIA के दौरान भवन-निर्माण सभी संबंधी जोखिमों की पहचान करना और उसी के अनुरूप प्रबंधन योजना तैयार करना आवश्यक होगा। • यातायात सुरक्षा, धूल उत्पादन, बहुत अधिक शोर, जल प्रबंधन, मजदूरों का बड़े पैमाने पर आगमन या इसी प्रकार की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक H&S प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी।

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		व्यवस्था, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, विनिर्माण कार्यों की वजह से समुदाय को होने वाली परेशानी, यातायात की आवाजाही में वृद्धि और ट्रैफिक के मार्गों में बदलाव, मजदूरों का बड़े पैमाने पर आना, इत्यादि।	

3.3 कॉर्पोरेट सहभागिता पर आधारित वाहनों का समूह (4W)

अधिकतम वर्गीकरण: वर्ग बी

निजी कंपनियों को आवागमन की सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना एक प्रमुख विषय है। हालाँकि, बैंकों से फाइनेंसिंग की सीमित उपलब्धता या व्यवसाय के लिए उपयुक्त मॉडल का अभाव एक स्थायी व्यवसाय के संचालन हेतु उपयोग सीमा को प्राप्त करने में असमर्थता की वजह से इस क्षेत्र को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

यह प्लैटफॉर्म इस क्षेत्र में फाइनेंसिंग और व्यवहार्यता में मौजूद बड़े अंतर को दूर करने के अलावा कुछ बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के उद्देश्य से सुविधाजनक निवेश की पेशकश करता है तथा पोर्टफोलियो को सीमित संख्या में बेहद अहम संबंधों के इर्द-गिर्द केंद्रित करने का प्रयास करता है। यह प्लैटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को बसों और चार-पहिया वाले अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहनों के साझा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम करेगा।

मुख्य ईएवंएस जोखिम, न्यूनीकरण और प्रबंधन

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
जोखिमों का प्रबंधन या न्यूनीकरण करने के लिए प्रतिपक्ष के पास पर्याप्त ईएवंएस नीतियां या पद्धतियाँ नहीं है	पीएस1: जोखिम प्रबंधन	• उप-परियोजनाओं के लिए ईएवंएस प्रबंधन के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए प्रतिपक्ष शामिल होगा। • एक खतरा है कि प्रतिपक्ष के पास संभाव्य ईएवंएस जोखिम का प्रबंध करने के लिए क्षमता या शासन प्रणाली नहीं है।	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)। • प्लैटफॉर्म किसी भी उच्च जोखिम वाले वर्ग ए परियोजनाओं की बजाय केवल वर्ग बी परियोजनाओं में निवेश करेंगे। • उप-परियोजनाओं की जारी निगरानी के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म ईएवंएस प्रबंधन के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
प्रतिपक्ष कर्मचारियों की कार्य करने की स्थितियाँ	पीएस2: श्रम / श्रमिक	• उप-परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारियों में मुख्य रूप से प्रशासन/कार्यालय के कर्मचारी, तकनीकी और रखरखाव कर्मचारी या अन्य कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। • इस बात का खतरा हो सकता है	• अपने प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर प्लैटफॉर्म प्रतिपक्ष की नीतियों, पद्धतियों और क्षमता की समीक्षा करेगा (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली)।

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		कि प्रतिपक्ष रोजगार और श्रमिकों की स्थितियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन न करता हो जिसमें शामिल है काम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ग़ैर-भेदभाव और समान अवसर, एसईएएच और बाल मजदूरी कानून।	
आपूर्ति श्रृंखला में कार्य करने की स्थितियाँ	पीएस2: श्रम / श्रमिक	• बैटरियों की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कुछ ज्ञात समस्याएं हैं जिसमें शामिल है काम करने की खराब स्थितियाँ। • एक जोखिम यह है कि, इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाई जाने वाली बैटरियों को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया गया हो, जो रोजगार एवं कामकाज की परिस्थितियों के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करते हैं, जिसमें कामकाज, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, गैर-भेदभाव और समान अवसर, तथा बाल श्रम कानून का अनुपालन शामिल है।	• प्रतिपक्ष या निर्माता की प्रापण नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा प्लैटफॉर्म द्वारा की जाएगी, विशेष रूप से उनके अपने आपूर्तिकर्ता सम्यक तत्परता के संबं यह इसके प्रारंभिक सम्यक तत्परता के भाग के तौर पर शामिल है (परिशिष्ट 2 देखें- प्रतिपक्ष सम्यक तत्परता प्रश्नावली) • यदि श्रमिकों की खराब स्थितियों की पहचान होने की पुष्टि होती है तो इसे वर्ग ए में या 'प्रबंध करने योग्य नहीं' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। दोनों ही मामलों में प्लैटफॉर्म इसमें निवेश करना जारी नहीं रखेगा।
चार्जिंग के लिए बिजली का उपयोग	पीएस3: संसाधन कार्यक्षमता	• इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की आवश्यकता होगी, जो ग्रिड से या सीधे तौर पर उत्पादन से आ सकता है, जिसे गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इससे जीएचजी उत्सर्जन कम करने में कार्यक्रम का कुल प्रभाव सीमित हो सकता है।	• उप-परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के अवसरों की पहचान करने हेतु प्लैटफॉर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रयासों का उपयोग किया जाएगा। • भारत में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एक बदलाव जारी है जो कुछ समय बाद ईवी चार्जिंग के प्रभाव में सुधार लाएगा।
बैटरी से संबंधित सामग्रियों का निपटान (या अन्यथा)	पीएस3: संसाधन कार्यक्षमता	• सभी इलेक्ट्रिक बसों में एक बैटरी का उपयोग किया जाएगा जहाँ वर्तमान में इन सामग्री के निपटान के लिए सीमित संवहनीय विकल्प मौजूद हैं। • इसमें एक जोखिम यह है कि, यह प्लैटफॉर्म ज्यादा-से-ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा प्रदान	• लैंगिक-कार्य योजना में, प्लैटफॉर्म द्वारा प्रत्येक उप-परियोजना के लिए लैंगिक मूल्यांकन के माध्यम से लैंगिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें लैंगिक आधार पर अलग-अलग आँकड़े (जिसे प्रत्येक उप-परियोजना की पहचान के बाद चिह्नित किया जाएगा) एकत्र करने के साथ-साथ परियोजना के डिजाइन में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के अवसरों (जैसे कि, जहाँ संभव हो, वहाँ महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट्स का

जोखिम	आईएफसी प्रदर्शन मानक	वर्णन	न्यूनीकरण / प्रबंधन
		करके, भविष्य में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कचरे के उत्पाद में योगदान दे सकता है अगर इनका प्रबंधन स्थायी या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीके से नहीं किया जाए।	स्थान निर्धारित करना) की पहचान करना शामिल है।
महिलाओं द्वारा वाहनों का उपयोग	पीएस4: समुदाय	• इस कार्यक्रम के लिए लैंगिक मूल्यांकन में बताया गया है कि, प्रभावी परिवहन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का बेहद अहम हिस्सा हो सकता है।	• लैंगिक कार्य-योजना के तहत, प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग के लिए सेवाओं के कुछ खास क्षेत्रों की पहचान करना चाहता है ताकि महिलाओं की सहायता की जा सके। • प्लैटफॉर्म द्वारा प्रत्येक उप-परियोजना के लिए लैंगिक मूल्यांकन के माध्यम से लैंगिक प्रभावों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें लैंगिक आधार पर अलग-अलग आँकड़े (जिसे प्रत्येक उप-परियोजना की पहचान के बाद चिह्नित किया जाएगा) एकत्र करना शामिल है।

4. ESMS की संचालन-व्यवस्था

4.1 संरचना

ESMS को प्लैटफॉर्म के संचालन तथा निवेश प्रक्रिया को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उप-परियोजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी भी शामिल है। इसका उद्देश्य प्लैटफॉर्म स्तर पर कार्यप्रणाली की मौजूदा रूपरेखा को शामिल करना तथा इसे उप-परियोजनाओं में निचले स्तर तक पहुँचाना है (जिसमें दूसरे पक्षों द्वारा लागू की जाने वाली अन्य प्रणालियाँ एवं रूपरेखाएँ शामिल हो सकती हैं)।

ESMS को MAM के अनुभव के आधार पर और GCF की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। इसमें मोटे तौर पर दो महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं:

खंड ए – संचालन व्यवस्था एवं रिपोर्टिंग इसमें GCF के मानकों एवं आवश्यकताओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के अलावा संचालन व्यवस्था के मजबूत ढांचे को स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए कार्यक्रम स्तर पर गतिविधियाँ शामिल हैं।

खंड बी – निवेश प्रक्रिया एवं निगरानी में एकीकरण इसमें उप-परियोजनाओं के विश्लेषण और कार्यान्वयन में E&S के सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए गतिविधियाँ और रूपरेखा शामिल है।

4.1.1 सीमाएँ

- मध्यस्थों की भूमिका: फाइनेंसिंग में मध्यस्थता के रूप में, प्लैटफॉर्म इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से संबंधित गतिविधियों को सीधे लागू नहीं कर पाएगा। हालाँकि, इसे एक लेन-देन के हिस्से के रूप में और फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों से संबंधित गतिविधियों के जरिए समुचित प्रक्रियाओं एवं संरचना के माध्यम से प्लैटफॉर्म द्वारा कम किया जाता।
- अभी तक परिभाषित नहीं की गई उप-परियोजनाएँ: प्लैटफॉर्म द्वारा अभी तक विशेष उप-परियोजनाओं की पहचान नहीं की है, जिन्हें प्लैटफॉर्म की ओर से फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी क्योंकि यह अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इसी वजह से, इस स्तर पर (ESMS का भाग-बी) उप-परियोजनाओं के कार्यों को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसे संचालन-व्यवस्था संबंधी अन्य गतिविधियों (भाग-ए) द्वारा कम किया जाता है, जिसका उद्देश्य उप-परियोजनाओं के लिए भाग-बी में गतिविधियों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और क्षमता का निर्माण करना है।

4.2 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

4.2.1 एक मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में **MAAML** की भूमिका

GCF की मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में MAAML की भूमिका GCF की ओर से कार्यक्रम की निगरानी करने की होगी। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, जिसकी पुष्टि की जाती है:

- GCF की सभी नीतियों को प्लैटफॉर्म स्तरों पर और अंतर्निहित वित्तीय दस्तावेज़ों में (जैसा उपयुक्त हो) लागू किया जाता है;
- GCF और AE के बीच सहमत AMA और FAA नीतियों का पालन करना; तथा
- GCF की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र मध्यावधि एवं अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट को लागू करते समय कार्यक्रम के लक्षित नतीजा तथा परिणामों की तुलना में प्लैटफॉर्म के प्रदर्शन का आकलन करना।

4.2.2 एक निवेश प्रबंधक के रूप में **MAM** की भूमिका

MAM निवेश प्रबंधक है। . निवेश प्रबंधक की प्रमुख जिम्मेदारियों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

वित्तपोषण के प्रस्ताव में वर्णित संचालन-व्यवस्था के माध्यम से, निवेश प्रबंधक निम्न बातों के लिए जिम्मेदार होंगे:

- प्लैटफॉर्म स्थापित करने में सहायता करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमोदन उपलब्ध हैं;

- प्लैटफॉर्म पर निवेश का प्रबंधन करना, जिसमें प्लैटफॉर्म के शेयरधारक के रूप में SG Co के लिए प्लैटफॉर्म के बोर्ड के प्रतिनिधियों को नामांकित करना (जहाँ उपयुक्त हो) शामिल है;
- प्लैटफॉर्म की स्थापना के बाद सभी उपयुक्त E&S नीतियों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा इससे संबंधित अभ्यास की मौजूदगी को सुनिश्चित करना;
- प्लैटफॉर्म के स्तर पर रणनीतिक को आगे बढ़ाने हेतु कार्यान्वयन की पहचान करना और उसमें सहायता करना, जिसमें विश्व स्तर पर MAM के अनुभव का लाभ उठाते हुए प्लैटफॉर्म को सहायता प्रदान करना शामिल है;
- पर्यावरण एवं सामाजिक मानकों सहित प्लैटफॉर्म के प्रदर्शन पर तिमाही और सालाना अपडेट प्रदान करना; तथा
- GCF की निवेश रणनीति से संबंधित सभी जोखिमों की पहचान, मापन, प्रबंधन एवं समुचित निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अच्छी तरह लागू करने हेतु सहायता प्रदान करना।

MAM की स्थायित्व टीम

MAM की ओर से प्लैटफॉर्म को रणनीतिक निगरानी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें MAM के भीतर संसाधनों के साथ बोर्ड और प्रबंधन को सहायता देना शामिल है। इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञों तक पहुँच के साथ-साथ कामकाज और संचालन-व्यवस्था में विशेषज्ञता के संबंध में सहायता भी शामिल होगी, जैसे कि MAM के न्यूनतम स्थायित्व मानकों का कार्यान्वयन और इसकी विभिन्न नीतिगत संरचनाओं का लाभ उठाना (उदाहरणस्वरूप, ESG, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, साइबर सुरक्षा), जो उद्योग जगत की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के अनुरूप हैं।

MAM की स्थायित्व टीम पूरी दुनिया में सभी MAM टीमों को सहायता प्रदान करती है। और अंत में MAM के प्रमुख के माध्यम से रिपोर्टिंग की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में MAM की स्थायित्व टीम में कई अनुभवी विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो MAM के भीतर और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों में ESG के अग्रिम और वर्तमान में जारी प्रबंधन कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं।

4.2.3 प्लैटफॉर्म

निवेश, कामकाज तथा संचालन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने के लिए प्लैटफॉर्म के बोर्ड में MAM कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होगा।

प्लैटफॉर्म का बोर्ड कंपनी के संचालन कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उसके पास उपयुक्त E&S नीतियाँ, सिस्टम, प्रक्रियाएँ और सर्वोत्तम अभ्यास मौजूद हैं। बोर्ड का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि, प्लैटफॉर्म अपने जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा स्वयं निर्धारित करता है तथा उनका रखरखाव करता है, जो E&S संबंधित मुद्दों के प्रबंधन में बेहद कारगर है तथा उद्योग जगत के साथ-साथ उस देश के प्रासंगिक नियमों एवं मानकों का पालन करता है, जिसमें यह कारोबार का संचालन करता है।

ESS विशेषज्ञ

प्लैटफॉर्म द्वारा एक ESS विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास प्लैटफॉर्म स्तर पर E&S से संबंधित किसी भी समस्या की पहचान करने एवं उसे दूर करने, निवेश प्रक्रिया में एकीकरण और अंतर्निहित उप-परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा। उनके द्वारा प्लैटफॉर्म के बोर्ड तथा निवेश प्रबंधक को E&S मामलों पर नियमित रूप से अपडेट भी प्रदान की जाएगी।

प्लैटफॉर्म के कर्मचारी

MAM तथा मैक्वेरी ग्रुप के सहयोग से प्लैटफॉर्म के प्रबंधन के लिए एक पेशेवर प्रबंधन टीम और संबद्ध कर्मचारियों की पहचान की जाएगी और उन्हें नियुक्त किया जाएगा। प्लैटफॉर्म के कर्मचारी फाइनेंसिंग के अवसरों की दैनिक जाँच एवं अवसरों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रदर्शन की निगरानी और अनुपालन में ESS विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेंगे।

4.2.4 फाइनेंसिंग करने वाले दूसरे पक्ष

इस ESMS में वर्णित गतिविधियों को लागू करना फाइनेंसिंग करने वाले दूसरे पक्ष की विशेष जिम्मेदारी नहीं होगी। हालाँकि, फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों को उप-परियोजनाओं में E&S के प्रबंधन में शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्लैटफॉर्म द्वारा समीक्षा की गई उनकी प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना, उप-परियोजनाओं में जोखिमों की पहचान करना, किसी विशेष E&S अध्ययन को पूरा करना तथा आवश्यक स्थिति में ESIA को पूरा करना, ESAP को विकसित करना तथा उसे लागू करना शामिल हैं। प्लैटफॉर्म द्वारा इन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। जहाँ प्रासंगिक हो, प्लैटफॉर्म द्वारा पहचानी गई E&S गतिविधियों को फाइनेंसिंग से संबंधित दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा। फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों के लिए फाइनेंसिंग से संबंधित अपने दस्तावेजों में इन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।

4.2.5 RASCI

ESMS को लागू करने में प्रत्येक इकाई/टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करने वाला RASCI मैट्रिक्स नीचे दिया गया है। ESMS के नीचे दिए गए खंड में इन गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

एक मध्यस्थ के रूप में प्लैटफॉर्म की भूमिका को देखते हुए, इस RASCI में "जिम्मेदार" शब्द प्लैटफॉर्म पर और इस ESMS के दायरे में इसकी भूमिका (यानी, उप-परियोजनाओं की समुचित प्रक्रियाओं का पालन एवं निगरानी, कार्यान्वयन नहीं) से संबंधित है।

फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष उप-परियोजनाओं में E&S के कार्यान्वयन और प्रबंधन में शामिल होंगे, जिसमें उप-परियोजना विकास के हिस्से के रूप में विकसित प्लैटफॉर्म या ESAP द्वारा निर्धारित फाइनेंसिंग से संबंधित दस्तावेजों में उल्लिखित किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करना शामिल है। प्लैटफॉर्म E&S प्रबंधन को लागू करने के संबंध में दूसरे पक्ष की क्षमता पर विचार करने के साथ-साथ इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा कि, GCF और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग से संबंधित दस्तावेजों में किन आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, साथ ही दूसरे पक्षों द्वारा इन आवश्यकताओं को उचित रूप से लागू किए जाने की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होगा।

गतिविधियाँ	MAAML (AE)	MAM (निवेश प्रबंधक)	प्लैटफॉर्म का बोर्ड	ESS विशेषज्ञ	प्लैटफॉर्म के कर्मचारी	MAM की स्थायित्व टीम
संचालन व्यवस्था एवं रिपोर्टिंग						
ESMS की स्थापना और अपडेट करना	C	C	A	R	S	S
बाहरी रिपोर्टिंग और GCF को प्रकटीकरण	A	C	C	R	S	S
E&S प्रशिक्षण में सामंजस्य	I	I	R	R	S	S
शिकायत प्रणाली	I	I	A	R	C	C
प्रलेखन नियंत्रण	-	-	A	R	-	-
निवेश की प्रक्रिया और निगरानी में एकीकरण						
उप-परियोजना के लिए E&S जाँच प्रक्रिया	I	I	I	R	C	C
नई उप-परियोजना के लिए E&S संबंधी समुचित प्रक्रियायों की समीक्षा	I	I	I	R	S	S
हितधारकों की भागीदारी तथा प्रकटीकरण की समीक्षा	I	I	A	R	C	C
निवेश हेतु अनुमोदन/ फाइनेंसिंग संबंधी निर्णय	I	I	A	R	S	S
फाइनेंसिंग संबंधी निर्णय लेने के बाद E&S जोखिमों की निगरानी	C	C	A	R	S	S
उप-परियोजना की निगरानी ESAP (जहाँ लागू हो)	C	C	A	R	S	S
समय-समय पर E&S रिपोर्टिंग	I	I	A	R	C	C

ध्यान दें: जिम्मेदार (R); उत्तरदायी (A); सहायता (S); परामर्श (C); अवगत (I)

4.3 लागत एवं बजट

इस ESMS को लागू करने में सहायता हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन और बजट, नीचे संक्षेप में दिए गए सांकेतिक अनुमानों पर आधारित हैं।

लेन-देन से संबंधित विशेष लागतों (जैसे कि, पर्यावरणीय एवं सामाजिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना) इसका वहन फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा, जो अन्य प्रकार के लेन-देन से संबंधित लागतों (जैसे कि, कानूनी शुल्क आदि) के वहन के अनुरूप होगा। इसमें आवश्यक स्थितियों में समुचित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

क्रम संख्या	मद की लागत	बजट (रुपए में)	बजट (USD में)
1	इस ESMS में वर्णित विभिन्न गतिविधियों पर खर्च किए गए समय सहित E&S विशेषज्ञ की नियुक्ति	50,00,000 प्रतिवर्ष	66,667 प्रतिवर्ष
2	प्लैटफॉर्म के कर्मचारियों तथा दूसरे पक्षों के लिए वार्षिक आधार पर (10 वर्षों के लिए) क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	20,00,000 प्रतिवर्ष	27,000 प्रतिवर्ष
3	प्लैटफॉर्म तथा उप परियोजना के स्तर पर प्रतिवर्ष हितधारकों की भागीदारी, परामर्श, सर्वेक्षण, डेटा संग्रह और विश्लेषण।	30,00,000 प्रतिवर्ष	40,500 प्रतिवर्ष

5. प्लैटफॉर्म की पर्यावरण एवं स्थायित्व प्रबंधन प्रणाली

5.1 स्थापना

प्लैटफॉर्म की स्थापना के बाद, प्लैटफॉर्म अपनी पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करेगा, जो उचित जोखिम प्रोफाइल तथा प्लैटफॉर्म के संचालन के साथ-साथ भारत के स्थानीय कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप होगा। इसे समय के साथ काम-काज की सबसे बेहतर प्रक्रियाओं के अनुरूप अपडेट किया जाएगा। नीचे दिए गए खंडों में संचालन-प्रणाली की रूपरेखा तथा इसकी प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया गया है, जो प्लैटफॉर्म के ESMS तथा प्लैटफॉर्म की गतिविधियों को राह दिखाएंगे।

5.2 भाग A - संचालन-प्रणाली और रिपोर्टिंग

नीचे दिए गए खंडों में उन नीतियों और इसकी रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें निवेश प्रबंधक या GCF आवश्यकता से संबंधित नीतियों के आधार पर प्लैटफॉर्म पर लागू किया जाएगा।

5.2.1 MAM की मौजूदा ESG नीति

MAM (निवेश प्रबंधक) की अपनी पर्यावरण, सामाजिक एवं संचालन-प्रणाली (ESG) नीति है, जो निवेश के लिए उचित कदम उठाने, निवेश संबंधी निर्णय लेने तथा वर्तमान में जारी परिसंपत्ति प्रबंधन में ESG मुद्दों की पहचान एवं उनके प्रबंधन के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। यह नीति MAM द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, इसके प्रबंधन के तहत आने वाली निधियों और इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों (जैसे कि यह प्लैटफॉर्म) से संबंधित कुछ गतिविधियों पर लागू होती है। मैक्वेरी की ESR नीति के आधार पर इस नीति को तैयार किया गया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है: https://www.macquarie.com/assets/macq/impact/esg/policies/esr-policy-summary_97_2003.pdf

MAM द्वारा किसी भी निवेश से पहले कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, समुदाय की भलाई, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित ESG जोखिमों (लेकिन ये सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया जाता है।

इस नीति के तहत, प्लैटफॉर्म का अपना जोखिम प्रबंधन ढांचा होगा, जो इसके संदर्भ, जोखिम के प्रोफ़ाइल, संचालन एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए उपयुक्त होगा, तथा जिसकी निगरानी प्लैटफॉर्म के बोर्ड द्वारा की जाएगी और प्रबंधन द्वारा लागू किया जाएगा। इस नीति के बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है, जो जोखिम प्रबंधन, स्थायित्व, ESG या अन्य बातों से संबंधित MAM की ESG नीति, WHS नीति तथा MAM-स्तर की अन्य नीतियों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

5.2.2 जिम्मेदारी के साथ निवेश के सिद्धांत (PRI)

MAM ने वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित PRI पर हस्ताक्षर किए हैं। एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्लैटफॉर्म के लिए E&S से संबंधित उन सभी बातों का पालन करना आवश्यक होगा, जो इन सिद्धांतों का हिस्सा हैं। PRI पर हस्ताक्षर करने की वजह से, मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट (MAM) द्वारा जिम्मेदार निवेश गतिविधियों के संबंध में सालाना विवरण प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि निवेश पर निर्णय लेने और प्रबंधन की प्रक्रिया में ESG के महत्वपूर्ण मुद्दों को किस तरह एकीकृत किया जाता है।

5.2.3 उपकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण

प्लैटफॉर्म द्वारा एक ESS विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाएगा। दूसरी जिम्मेदारियों की तरह, प्लैटफॉर्म से जुड़े अन्य कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी ESS विशेषज्ञ की होगी। ई-मोबिलिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के संबंध में MAM सस्टेनेबिलिटी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि इस क्षेत्र में MAM के वर्तमान और भविष्य के अन्य निवेशों में लागू होता है।

अभी तक प्लैटफॉर्म की स्थापना नहीं हुई है, इसलिए भारत में ई-मोबिलिटी क्षेत्र या इसके दायरे में शामिल उप-क्षेत्रों के लिए निश्चित प्रक्रियाओं, दिशा-निर्देशों तथा उपकरणों को भी अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। हालाँकि:

- इस प्लैटफॉर्म द्वारा मैक्वेरी ग्रुप के पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिम मूल्यांकन उपकरण (ESR टूल) का उपयोग किया जाएगा। इस टूल को बाहरी सलाहकारों के साथ मिलकर बनाया गया था। यह प्रत्येक उप-परियोजना पर अच्छी तरह विचार करने के लिए सवालों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। पर्यावरण एवं सामाजिक कसौटी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रदर्शन मानकों पर आधारित है। उद्योग जगत की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के अनुरूप, इस टूल को भी हमेशा अपडेट रखा जाता है।
- अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यास के आधार पर नई उप-परियोजनाओं के विश्लेषण में सहायता के लिए, विशिष्ट क्षेत्रों में मार्गदर्शन (उदाहरण के लिए, इसमें समुचित प्रक्रियाओं की जांच-सूची शामिल है) को विकसित और अपडेट किया जाएगा।

प्लैटफॉर्म के कर्मचारियों को सुविधानुसार तरीके से नियमित तौर पर स्थायित्व प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में निदेशकों के कर्तव्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के विरोध, आचरण जोखिम तथा सूचना सुरक्षा जैसे विषयों पर अनिवार्य प्रशिक्षण

के साथ-साथ सामान्य प्रायोगिक प्रशिक्षण, दोनों शामिल होंगे ताकि कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सहायता और स्थायित्व से संबंधित खास विषयों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सके। ऐसे विषयों में ई-मोबिलिटी क्षेत्र में ESG के सिद्धांतों की उपयोगिता एवं अहमियत, मानकों के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएँ, GRESB आकलन का उपयोग, आधुनिक दासता, विनियामक विकास और इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हैं।

उप-परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण

यह प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग की सुविधा देने वाले दूसरे पक्षों को प्रशिक्षण देने अथवा वर्कशॉप आयोजित करने के अवसरों की तलाश करेगा, ताकि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में E&S से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। इससे प्लैटफॉर्म के कर्मचारियों तथा उप-परियोजनाओं में शामिल दूसरे पक्षों की क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।

यह प्लैटफॉर्म किसी उप-परियोजना की समुचित प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में दूसरे पक्षों के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों की समीक्षा भी करेगा (देखें परिशिष्ट 1 – दूसरे पक्ष और उप-परियोजना की समुचित प्रक्रियाएँ)। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा (लेकिन ये केवल इन तक ही सीमित नहीं हैं):

- EHS के सामान्य पहलू
- ESIA की प्रक्रिया तथा रिपोर्ट के निष्कर्ष
- हितधारकों की भागीदारी और शिकायत निवारण;
- ESAP का कार्यान्वयन (जैसा लागू हो)
- पर्यावरण एवं सामाजिक संकेतक

5.2.4 हितधारकों की भागीदारी

GCF और MAM की नीतियों के अनुरूप हितधारकों की भागीदारी से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्लैटफॉर्म के दूसरे पक्ष सीधे तौर पर कॉर्पोरेट जगत से संबंधित होंगे, जिसे देखते हुए प्लैटफॉर्म के दृष्टिकोण के अनुरूप अधिकांश हितधारकों से विचार-विमर्श में दूसरे पक्ष को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें OEMs, अन्य फाइनेंसर और राज्य सरकारें शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए हितधारकों की भागीदारी से जुड़ी योजना को परिशिष्ट **5.** में शामिल किया गया है।

प्लैटफॉर्म द्वारा वाहनों का संचालन नहीं किया जाएगा, या सीधे तौर पर नए सार्वजनिक परिवहन मार्गों की योजना बनाने में शामिल नहीं होगा, जिसे देखते हुए वाहनों से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति तीसरे पक्ष के माध्यम हितधारकों से परामर्श करेंगे, जो संभवतः फाइनेंसिंग से संबंधित लेन-देन से पहले (उदाहरण के लिए, निविदा के हिस्से के रूप में, जिसे राज्य सरकार द्वारा पहले से ही डिजाइन किया जा सकता है) पूरा किया जाएगा।

परियोजना की पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिम श्रेणी के अनुरूप हितधारकों की भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि सी-श्रेणी (सी- कैटेगरी) की ज्यादातर परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हितधारकों की भागीदारी संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता होगी। हालाँकि, इस आवश्यकता का मूल्यांकन अलग-अलग परियोजना के आधार पर किया जाएगा। किसी भी उप-परियोजना के लिए, फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों द्वारा हितधारकों की भागीदारी हेतु तैयार की गई योजना की समीक्षा प्लैटफॉर्म द्वारा की जाएगी।

अगर किसी उप-परियोजना के लिए हितधारक के परामर्श की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, किसी साइट की विशेष जरूरतों को देखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर को चार्ज करने के लिए), तो MAM पहले से निर्धारित अपनी समुचित प्रक्रिया के तहत दूसरे पक्षों द्वारा पूरे किए गए हितधारक परामर्श की समीक्षा करेगा। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- उप-परियोजनाओं के लिए हितधारकों एवं मुद्दों को परिभाषित करना, जिसमें महिलाएँ और कमजोर तबके के लोग शामिल हैं।
- बड़े पैमाने पर प्रतिभागियों को भागीदारी के लिए प्रदान किए गए विभिन्न अवसरों तथा प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। उपयुक्त स्थानों पर और सुलभ प्रारूप में विभिन्न भाषाओं को शामिल करने के लिए संचार।
- परामर्श से संबंधित आँकड़े दर्ज करना, जिसमें लैंगिक आधार पर अलग-अलग आँकड़े शामिल हैं।
- उप-परियोजनाओं के संबंध में उठाए गए मुद्दों की निगरानी करना और आगे की कार्रवाई के लिए योजना बनाना।

अगर किसी उप-परियोजना के संदर्भ में किसी साइट के लिए विशेष रूप से हितधारक के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो MAM फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों द्वारा हितधारकों की भागीदारी से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। उदाहरण के लिए, संबंधित बस ऑपरेटर की सामुदायिक भागीदारी।

अलग-अलग परियोजना हेतु SEP की तैयारी का मार्गदर्शन करने के लिए हितधारकों की भागीदारी की रूपरेखा को परिशिष्ट **4.**में प्रस्तुत किया गया है।

5.2.5 शिकायत प्रणाली

प्लैटफॉर्म स्थापित हो जाने के बाद, गतिविधि स्तरीय शिकायत प्रणाली (GM) की स्थापना की जाएगी। इस तक पहुँचने के साधनों को GCF और AE की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। GM के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:

- विभिन्न हितधारकों के विशिष्ट प्रोफाइल तथा सामाजिक-आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उनसे शिकायतें प्राप्त करने, उन्हें दर्ज करने तथा उनका समाधान निकालने की प्रक्रिया निर्धारित करना;
- टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं और शिकायतों से निपटने की रूपरेखा तैयार करना एवं उनका प्रबंधन करना, और इस प्रणाली को कारगर बनाने के लिए निगरानी की अनुमति देना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं और शिकायतों का समाधान उचित और पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जो परियोजनाओं की आंतरिक नीतियों, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप है।
- SEAH से संबंधित शिकायतों का समाधान, समस्या का सामना करने वाले पर केंद्रित तथा लैंगिक रूप से उत्तरदायी तरीके से किया जाता है।

GM के तहत भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों, रिपोर्टिंग चैनलों, शिकायतों को दूर करने के लिए समय-सीमा और शिकायतों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तय की जाएगी। GM को लागू किए जाने की सूचना प्लैटफॉर्म के बोर्ड को दी जाएगी। शिकायत रजिस्टर के रूप में रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक शिकायत को दूर करने के तरीके का विवरण दर्ज होगा।

यह शिकायत निवारण प्रणाली मान्यता प्राप्त संस्था और **GCF** के माध्यम से भी उपलब्ध है**:**

मान्यता प्राप्त संस्था	मैक्वेरी इंटीग्रिटी ऑफिस https://www.macquarie.com/au/en/disclosures/whistleblower-policy.htmlintegrityoffice@macquarie.com
हरित पर्यावरण निधि	शिकायत दर्ज करें | स्वतंत्र निवारण प्रणाली | हरित पर्यावरण निधि

यह प्लैटफॉर्म आवश्यक स्थितियों में उप-परियोजनाओं के लिए स्थापित शिकायत प्रणाली की समीक्षा करेगा, जो उप-परियोजना की समुचित प्रक्रियाओं का हिस्सा होगा तथा ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप होगा। (देखें परिशिष्ट **2** - दूसरे पक्ष और उप-परियोजना की समुचित प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नावली)। इस प्रकार के विवरणों को दूसरे पक्षों द्वारा प्लैटफॉर्म पर अपनी रिपोर्टिंग प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2.6 **E&S** प्रकटीकरण

यह प्लैटफॉर्म GCF सूचना प्रकटीकरण नीति तथा पर्यावरण एवं सामाजिक नीति का पालन करेगा, जिसके अनुसार: बी-श्रेणी (बी-कैटेगरी) की उप-परियोजनाओं के मामले में, ESIA और ESAP का प्रकटीकरण अनुमोदन प्राधिकारी के निर्णय से कम-से-कम 30 दिन पहले किया जाएगा। सभी उप-परियोजनाओं के लिए भी इसी नीति का पालन किया जाएगा। सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट अंग्रेज़ी के साथ-साथ उस स्थानीय भाषा में उपलब्ध होगी, जहाँ उप-परियोजना स्थित है। रिपोर्ट GCF को प्रस्तुत की जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक लिंक के माध्यम से GCF को AE एवं GCF की वेबसाइट के साथ-साथ

प्रभावित लोगों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो GCF सूचना प्रकटीकरण नीति तथा GCF पर्यावरण एवं सामाजिक नीति (सूचना प्रकटीकरण) की धारा 7.1 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

5.3 भाग B - निवेश प्रक्रिया में शामिल करना और इसकी निगरान

प्लैटफॉर्म द्वारा किसी भी लेन-देन / उप-परियोजना को अमल में लाने से पहले इसका विस्तृत आकलन किया जाएगा, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से जाँच तथा अनुमोदन की प्रक्रिया शामिल होगी।

E&S से संबंधित सिद्धांतों को प्लैटफॉर्म की निवेश रणनीति के आंतरिक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा तथा निवेश प्रक्रिया के सभी चरणों में इन पर विचार किया जाएगा। इसके तहत E&S से जुड़े जोखिमों और उसके प्रभावों पर विचार किया जाएगा, जो ई-मोबिलिटी क्षेत्र (जैसे कि सामग्री या आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित कारक) या अलग-अलग तरह के लेन-देन (लीजिंग के लिए दूसरे पक्ष तथा खरीद की जोखिम में वृद्धि) में अधिक प्रचलित हैं।

इस तरीके से E&S से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों और दूसरे पक्ष के दीर्घकालिक मूल्य को प्रभावित करने वाले अवसरों के साथ-साथ लेन-देन से संबंधित किसी भी E&S प्रभाव की शीघ्र पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, यह प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों कारकों को शामिल करने पर विशेष ध्यान देगा, ताकि ऋण प्राप्तकर्ता या पट्टेदार के बेहतर दीर्घकालिक प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा सके और इस तरह उसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी बेहतर हो।

यह प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग के संभावित अवसरों का आकलन करने तथा वर्तमान में जारी परिसंपत्ति प्रबंधन में E&S से जुड़े जोखिमों एवं अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करेगा, जिसमें नीचे दी गई तालिका में वर्णित उदाहरण भी शामिल हैं। E&S से संबंधित तरीकों को उनकी अहमियत के आधार पर संचालित किया जाएगा। यह प्लैटफॉर्म उन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो मौजूदा अवसर और इसके हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हैं। सबसे पहले जाँच प्रक्रिया के दौरान अहमियत की पहचान की जाएगी।

पर्यावरणीय	सामाजिक	संचालन-व्यवस्था
• जलवायु परिवर्तन का जोखिम और कमजोरियाँ • ग्रीन-हाउस गैसों का उत्सर्जन • सामग्रियाँ और पुनर्चक्रण • पानी का उपयोग • जैव-विविधता पर प्रभाव • भूमि का उपयोग	• स्वास्थ्य और सुरक्षा • श्रम अभ्यास • समुदाय की भागीदारी • मानवाधिकार / दासता विरोधी • सांस्कृतिक धरोहर • गोपनीयता एवं डेटा की सुरक्षा • लैंगिकता और कमजोर लोगों से जुड़े मुद्दे	• हितों का टकराव • घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी • धोखाधड़ी की रोकथाम • साइबर सुरक्षा • अधिप्राप्ति की प्रक्रिया

फाइनेंसिंग से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए इस प्लैटफॉर्म में निम्नलिखित मुख्य गतिविधियों को शामिल किया जाएगा:

1. जाँच-परीक्षण
2. समुचित प्रक्रियाएँ
3. फाइनेंसिंग से संबंधित फैसले (इसमें उप-परियोजना के लिए E&S जोखिम, इसे कम करने, इसका वर्गीकरण और कार्रवाई की समीक्षा एवं अनुमोदन शामिल है)
4. निगरानी तथा
5. रिपोर्टिंग

नीचे दिए गए रेखा-चित्र में इस बात को उजागर किया गया है कि, निवेश संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ESG को कैसे एकीकृत किया जाता है:

जाँच-परीक्षण

किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक विशेषताओं को उजागर करना

- समुचित सावधानी के लिए प्रमुख ESG जोखिमों की पहचान

निवेश संबंधी निर्णय

स्वीकृति के बारे में निर्णय के लिए ESG विचारों को अंतिम निवेश पत्र में वर्गीकृत किया गया है।

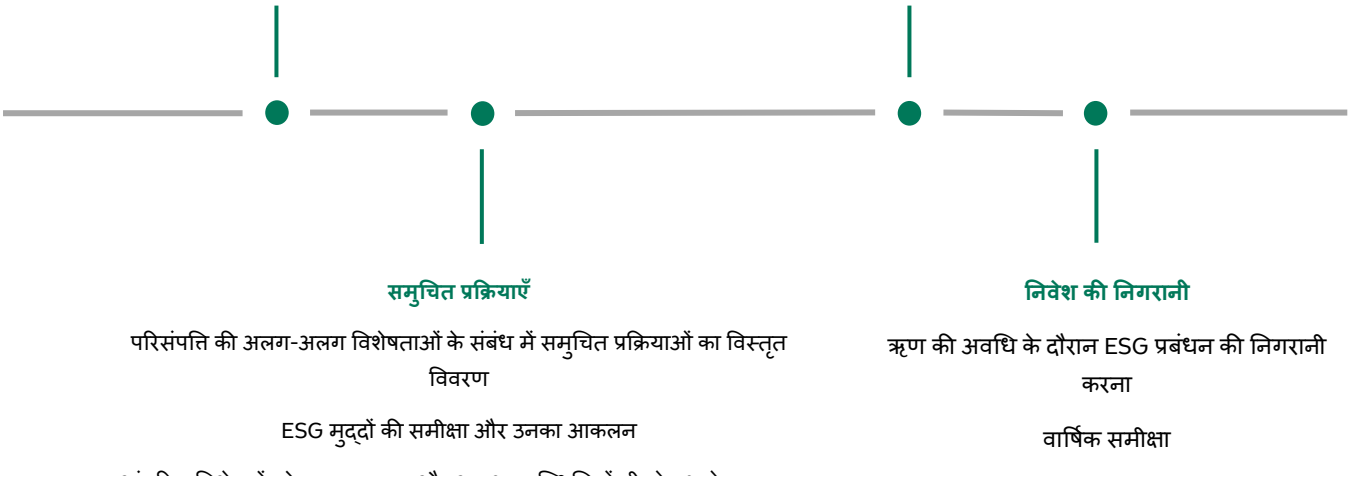

इस प्रक्रिया की शुरुआत अवसर की प्रारंभिक पहचान एवं मूल्यांकन, निवेश से संबंधित शोध रचनाओं एवं व्यावसायिक मामले की समीक्षा, समुचित सावधानी तथा निवेश अनुमोदन के साथ होगी।

फाइनेंसिंग के बाद, प्लैटफॉर्म में नियमित तौर पर एवं लगातार निगरानी की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिन पर दूसरे पक्षों के साथ चर्चा की जाएगी और सहमति ली जाएगी, साथ ही नियमित रूप से सूचना दी जाएगी।

साथ ही, रिपोर्टिंग के संबंध में प्लैटफॉर्म की अपनी आवश्यकताएँ होंगी, जो इसके पोर्टफोलियो से जुड़े निवेशों के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव तथा स्थायित्व के प्रदर्शन से संबंधित होगी। यह प्लैटफॉर्म पर पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट करेगा तथा निवेश प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, जो अपने निवेशकों को उच्च स्तर का स्थायित्व प्रदान करने तथा अपने सभी पोर्टफोलियो में ESG मामलों और उन समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें इस कारोबार का संचालन होता है।

5.3.1 जाँच-परीक्षण (चरण 1) और अपवर्जन

प्रत्येक संभावित उप-परियोजना प्रारंभिक E&S जोखिम जाँच-परीक्षण के अधीन होगी, जिसे प्लैटफॉर्म द्वारा पूरा किया जाएगा। नए निवेशों के लिए, प्लैटफॉर्म द्वारा सबसे पहले अपवर्जन सूची के आधार पर नई उप-परियोजनाओं की जाँच सुनिश्चित की जाएगी, जिसे परिशिष्ट **1**में प्रस्तुत किया गया है, ताकि पर्यावरण या सामाजिक रूप से संवेदनशील गतिविधियों की जल्द पहचान की जा सके जिनसे हितधारकों या हमारी साख पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

जाँच-परीक्षण के इस चरण में, नई उप-परियोजनाओं में "खतरे के संकेत" की जाँच की जाएगी, जिसमें E&S जोखिम के साथ-साथ हितधारकों या साख पर पढ़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से संबंधित समाचार शामिल हैं। फाइनेंसिंग से संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी मूल्यांकन भी किया जाएगा तथा लेन-देन में हितों के टकराव की जाँच की जाएगी। इस चरण के दौरान खतरे के संकेत के उदाहरणों में शामिल हैं:

- संवेदनशील क्षेत्रों या गतिविधियों से संबंधित जोखिम (परिशिष्ट **1** देखें)
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के विश्वसनीय आरोप अथवा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद
- राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण या सामाजिक कानूनों अथवा समझौतों का उल्लंघन।

प्लैटफॉर्म द्वारा पिछले खंड में बताए गए ESR टूल की मदद से फाइनेंसिंग के अवसरों की और अधिक जाँच की जाएगी। समुचित प्रक्रियाओं के दायरे को आकार देने तथा फाइनेंसिंग के अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण E&S जोखिमों और जानकारी के अभाव का पता लगाने के लिए ESR टूल के परिणामों का उपयोग किया जाएगा। ESR टूल के परिणाम आगे की समीक्षा, निर्णय लेने तथा फाइनेंसिंग के ऐसे अवसरों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को भी गति प्रदान कर सकते हैं, जिनमें उच्च पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम की संभावना है।

ESR टूलकिट द्वारा संबोधित किए गए E&S मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं: जो IFC PS के अनुरूप हैं। इनका मूल्यांकन फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष तथा वाहनों के अपेक्षित संचालन के संबंध में किया जाएगा, जहाँ लागू हो:

- विनियमों, परमिटों तथा लाइसेंसों का अनुपालन

- जलवायु परिवर्तन को कम करना तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- जलवायु परिवर्तन संबंधी भौतिक जोखिम एवं लचीलापन
- आधुनिक दासता सहित मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे
- भूमि अधिग्रहण और इच्छा के बिना पुनर्वास
- जैव-विविधता और स्थायित्व प्रबंधन
- श्रमिक और काम-काज संबंधी परिस्थितियाँ
- संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम
- श्रमिकों और समुदाय के लोगों की सेहत, सुरक्षा एवं हिफाज़त
- एक ही क्षेत्र का जन-समूह और कमजोर तबके के लोग
- सांस्कृतिक धरोहर के विचार

5.3.2 वर्गीकरण

प्रत्येक नई उप-परियोजना को नीचे दी गई परिभाषाओं के अनुसार अस्थायी तौर पर जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा:

श्रेणी	परिभाषा	उप-परियोजना का प्रकार/ प्रेरित करने वाले संभावित घटक	**E&S** सुरक्षा आवश्यकता
श्रेणी A	संभावित तौर पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिमों वाली उप-परियोजनाएँ, और/या ऐसे प्रभाव जो विविध, अपरिवर्तनीय, या अभूतपूर्व हैं।	कोई भी उप-परियोजना जो पुनर्वास, जैव-विविधता, एक ही क्षेत्र के जन-समूह, संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के संदर्भ में संभावित तौर पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, तथा निम्नलिखित में से एक या अधिक को प्रेरित कर सकती है: • बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण/पहुँच पर प्रतिबंध, जिसमें शारीरिक और/या आर्थिक विस्थापन शामिल है; • किसी परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता/उपयोग के लिए लोगों को बलपूर्वक बेदखल करना शामिल है; • संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और मानकों के अनुसार संरक्षण-योग्य क्षेत्रों के अंदर स्थित है, सके परिणामस्वरूप जीवों के निवास स्थान के स्वरूप में बदलाव या गड़बड़ी / लुप्तप्राय प्रजातियों को नुकसान होता है; • बेहद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर (अंतर्राष्ट्रीय मानकों में परिभाषित मूर्त/अमूर्त धरोहर) का स्थानांतरण / नुकसान; और • किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसमूह का अपनी पैतृक जमीन से विस्थापन / या	श्रेणी-A परियोजनाओं को प्लैटफॉर्म द्वारा फाइनेंसिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी।

श्रेणी	परिभाषा	उप-परियोजना का प्रकार/ प्रेरित करने वाले संभावित घटक	**E&S** सुरक्षा आवश्यकता
		ऐसी भूमि तक पहुँच या उपयोग पर प्रतिबंध जिसकी वजह से आजीविका या पारंपरिक रीति-रिवाजों का नुकसान होता है।	
वर्ग बी	संभावित तौर पर सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिमों वाली उप-परियोजनाएँ और/या प्रभाव जिनकी संख्या बहुत कम है, जो सामान्य तौर पर कुछ विशेष साइट के लिए होते हैं, काफी हद तक परिवर्तनीय होते हैं, तथा न्यूनीकरण उपायों के माध्यम से इन्हें आसानी से हल किया जाता है।	उदाहरण: • पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों के आस-पास स्थित हरित भूखंड पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जोखिम सीमित या कुछ विशेष साइट के लिए होते हैं तथा न्यूनीकरण उपायों के माध्यम से इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है।	IFC PS की आवश्यकताओं और प्रेरित करने वाले घटकों के अनुसार जैव विविधता, पुनर्वास पर प्रभाव, एक ही क्षेत्र के जनसमूह या सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में विशेष अध्ययन तथा प्रबंधन योजनाओं को बड़े पैमाने पर समुचित प्रक्रियाओं के निष्कर्षों के अनुसार दूसरे पक्ष द्वारा संचालित करना जरूरी हो सकता है। ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ IFC PS आवश्यकताओं और उद्योग से संबंधित मानकों के अनुरूप दूसरे पक्ष द्वारा अलग-अलग परियोजना के लिए ESAP तथा अन्य प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह ESIA (या अन्य प्रासंगिक अध्ययन) के परिणामों से प्रेरित होगा, जिसे फाइनेंसिंग करने वाले दूसरे पक्ष द्वारा ESAP के तौर पर औपचारिक रूप दिया जाएगा। सीमित प्रभावों वाली श्रेणी-बी (कैटेगरी-बी) की गतिविधियों हेतु उद्देश्य के लिए उपयुक्त ESIA और ESMP, जिस पर सीमित रूप से ध्यान दिया जाए, जो उपयुक्त हो सकता है, साथ ही जो संभावित प्रभावों के अलावा न्यूनीकरण, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त उपायों का वर्णन करता है।
श्रेणी C	ऐसी उप-परियोजनाएँ, जिनमें पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम न्यूनतम या बिल्कुल नहीं है और/या किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	उदाहरण: • मौजूदा पेट्रोल पंपों या पार्किंग स्थलों में लगाए गए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉइंट, जिसमें नई जमीन की खरीद शामिल नहीं है • इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद/ लीज पर लेना	समय-समय पर ऐसी उप-परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि श्रेणी-सी का प्रारंभिक वर्गीकरण सटीक बना रहे। औपचारिक तौर पर ESIA या ESAP की कोई जरूरत नहीं होगी।

उप-परियोजनाओं के लिए ऊपर बताए गए वर्गीकरण को प्लैटफॉर्म द्वारा अस्थायी रूप से सौंपा जाएगा, और विस्तृत समुचित प्रक्रियाओं के बाद उप-परियोजना के अंतिम वर्गीकरण की पुष्टि की जाएगी।

जाँच के चरण में योग्य पाए जाने वाले निवेश के अवसरों के लिए, प्लैटफॉर्म की ओर से विस्तृत जाँच के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समुचित प्रक्रिया में दूसरे पक्ष की क्षमता और योग्यता के साथ-साथ उप-परियोजना से संबंधित विशेष जोखिम और उसके प्रभाव को शामिल किया जाएगा।

5.3.3 विस्तृत समुचित प्रक्रिया (चरण 2)

समुचित प्रक्रिया के चरण में, प्लैटफॉर्म की ओर से दूसरे पक्ष के साथ-साथ नई उप-परियोजना की विस्तृत जाँच के लिए समुचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। E&S जोखिमों के साथ-साथ समुचित प्रक्रियाओं के चरण में कई महत्वपूर्ण कारकों की जाँच की जाएगी। समुचित प्रक्रियाओं के दायरे को अनुकूलित और संशोधित करने की आवश्यकता होगी, ताकि जाँच-परीक्षण प्रक्रिया के संभावित जोखिमों के आधार पर प्रत्येक उप-परियोजना के दायरे को उद्देश्य के लिए उपयुक्त और अनुरूप बनाया जा सके। ESR टूल के उपयोग के माध्यम से पहचाने गए सभी प्रमुख E&S जोखिम कारकों को समुचित प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विशेष रूप से शामिल किया जाएगा।

दूसरे पक्षों और उप-परियोजनाओं की समुचित प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नावली परिशिष्ट**2** में प्रदान की गई है। जब IFC प्रदर्शन मानकों के अंतर्गत प्रत्येक उप-परियोजना की समुचित प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इसके बाद इसमें प्रमुख जोखिमों की पहचान, कौन जिम्मेदार है और किस प्रकार उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसी बातें शामिल की जा सकती हैं।

E&S से संबंधित कुछ मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिनकी जाँच E&S की समुचित प्रक्रियाओं के दौरान की जाएगी:

- पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन के संबंध में ग्राहक/ दूसरे पक्ष की क्षमता तथा उनके ट्रैक-रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना
- फाइनेंसिंग के दस्तावेजों के माध्यम से प्लैटफॉर्म की आवश्यकताओं को लागू करने के संबंध में दूसरे पक्ष की क्षमता की समीक्षा करना, जिसमें आवश्यक स्थितियों में रिपोर्टिंग भी शामिल है
- हितधारकों की भागीदारी की समीक्षा करना, जहाँ लागू हो (खास तौर पर ऐसी साइटों में, जिनमें भूमि अधिग्रहण शामिल हो)
- विनियमों, परमिटों और लाइसेंसों के पुराने एवं मौजूदा नियमों का अनुपालन
- कंपनी से संबंधित मुकदमेबाजी के ऐतिहासिक और मौजूदा उदाहरण
- वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रभावों को देखते हुए E&S से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम और देनदारियाँ
- E&S जोखिम प्रबंधन की मौजूदा संरचना का आकलन करना और उद्योग जगत के सर्वोत्तम अभ्यास के साथ इसका तालमेल बनाना
- इनसे संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा:
  - कंपनियों द्वारा पारंपरिक वाहनों को बदलना और उनका निपटान करना
  - खरीद और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित नीतियाँ और कार्यप्रणाली
  - रोजगार और श्रमिक संबंध
  - यौन शोषण. दुर्व्यवहार और उत्पीड़न
  - इलेक्ट्रॉनिक कचरे तथा खतरनाक कचरे सहित अन्य कचरे का निपटान
  - लैंगिक सुरक्षा के संबंध में कंपनी द्वारा लागू की गई करवाई या बनाई गई योजना
  - हितधारकों की भागीदारी तथा शिकायतों का निवारण
- महत्वपूर्ण E&S जोखिमों के समाधान हेतु आवश्यक न्यूनीकरण या प्रबंधन योजनाओं के पर्याप्त रूप से उपयोगी होने का आकलन करना
- GHG परिमाणीकरण तथा न्यूनीकरण के उपायों की क्षमता

जहाँ लागू हो, दूसरे पक्षों द्वारा आगे की समुचित प्रक्रियाओं को अमल में लाने के लिए योग्य बाहरी सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी।

ESIA / ESAP संबंधी आवश्यकताएँ

भारतीय विनियमों के अनुसार, ई-मोबिलिटी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ESIA) अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, अगर समुचित प्रक्रियाओं के दौरान परियोजना का वर्गीकरण श्रेणी-बी में किया जाता है, तो ESIA तथा एक अतिरिक्त E&S अध्ययन करना आवश्यक होगा और प्लैटफॉर्म दूसरे पक्ष की ओर से अपेक्षित रिपोर्टों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा:

- इस तरह के अध्ययनों का दायरा संदर्भ और स्थान के अनुरूप अलग-अलग होगा, जो विस्तृत समुचित प्रक्रियाओं के सुझावों पर आधारित होगा।

- ESIA में पहचाने गए जोखिमों एवं प्रभावों पर आधारित पर्यावरण और सामाजिक कार्य-योजना (ESAP), जो IFC PS की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- इस संदर्भ में अगर दूसरे पक्ष द्वारा ESIA और ESAP पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, तो प्लैटफॉर्म द्वारा अपनी समुचित प्रक्रियाओं के तहत उनकी समीक्षा की जाएगी।
- ESAP में उस समय सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा, जिसके भीतर अनुशंसित करवाई को लागू करना आवश्यक है।
- ESAP के अंतर्गत ESAP में वर्णित कार्रवाई को पूरा करने के लिए एक अस्थायी बजटीय अनुमान भी प्रदान किया जाएगा।
- प्लैटफॉर्म द्वारा बाद में ESAP के मदों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

सीमित प्रभावों वाली श्रेणी-बी (कैटेगरी-बी) की गतिविधियों हेतु उद्देश्य के लिए उपयुक्त ESIA और ESMP, जिस पर सीमित रूप से ध्यान दिया जाए, जो उपयुक्त हो सकता है, साथ ही जो संभावित प्रभावों के अलावा न्यूनीकरण, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त उपायों का वर्णन करता है।

5.3.3.1 बैटरी के निपटान से संबंधित नियम

भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों सहित प्रत्येक उप-परियोजना के लिए बैटरी के निपटान से जुड़े जोखिम तथा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, तथा फाइनेंसिंग से संबंधित निर्णय लेने के लिए इन्हें E&S जोखिम एवं न्यूनीकरण के संक्षिप्त विवरण (नीचे देखें) में शामिल किया जाएगा। इसके मूल्यांकन हेतु प्लैटफॉर्म का दृष्टिकोण सिद्धांतों पर आधारित होगा तथा अपशिष्ट पदानुक्रम के माध्यम से EV बैटरियों के निपटान की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत प्लैटफॉर्म और दूसरे पक्ष द्वारा बैटरी को पहली विधि के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाएगा, या ऐसा नहीं होने पर बाद के विकल्प की तलाश की जाएगी:

1. लंबा जीवन-काल**:** फाइनेंसिंग के जरिए वाहनों की खरीद करते समय, EV बैटरी के उपयोग में आने से संबंधित पूर्वानुमान को ध्यान में रखें, तथा व्यावसायिक रूप से जहाँ संभव हो सके अधिकतम जीवन-काल वाली बैटरी खरीदने का प्रयास करें।
2. खरीद-अंतिम परिणाम का मेल**:** EV बैटरी की खरीद के पहले दिन से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्लैटफॉर्म के माध्यम से खरीदी गई या फाइनेंसिंग कराई गई प्रत्येक EV बैटरी के उपयोगी जीवनकाल संबंधी पूर्वानुमान का निश्चित समय पर अंत होता है, तथा यह जीवन-काल के अंत के संबंध में पहले से तय रणनीति/अंतिम परिणाम है।
3. अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाना**:** सामान्य तौर पर जब EV बैटरियों की मौजूदा क्षमता उसकी मूल क्षमता से 80% तक घट जाती है, तब उसे बदल दिया जाता है। प्लैटफॉर्म पहले स्थानीय तौर पर बैटरियों को स्थिर ऊर्जा भंडारण जैसे अन्य कार्यों (जैसे कि सामुदायिक बैटरी फार्म, द्वितीयक बाजार में पुनः बिक्री) हेतु उपयोग में लाने की संभावनाओं एवं साझेदारियों की तलाश करेगा, ताकि उनके उपयोग के जीवन-काल को जीवन को और 10+ वर्षों तक बढ़ाया जा सके। बैटरियों को अन्य कार्यों हेतु सही तरीके से पुनः उपयोग में लाना सुनिश्चित करने के लिए, प्लैटफॉर्म निरीक्षण, आश्वासन एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीकों का पालन करेगा।
4. पुनर्चक्रण**:** अगर बैटरियों को किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना संभव नहीं है, तो प्लैटफॉर्म स्थानीय स्तर पर बैटरियों का पुनर्चक्रण करने वालों के साथ साझेदारी करेगा जो बैटरी के घटकों को निकालकर उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला में वापस बेच देते हैं। सही तरीके से पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए, प्लैटफॉर्म निरीक्षण, आश्वासन एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीकों का पालन करेगा।
5. निर्यात**:** अगर स्थानीय तौर पर अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाने/पुनर्चक्रण का कोई व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो प्लैटफॉर्म बैटरियों को किसी ऐसे देश या स्थान में निर्यात करने की कोशिश करेगा जहाँ अन्य कार्यों हेतु उपयोग/पुनर्चक्रण हो सकता है।
6. कचरा भराव क्षेत्र**:** जब कोई अन्य विकल्प संभव नहीं हो, तभी अंतिम उपाय के तौर पर बैटरियों के निपटान/ कचरा भराव क्षेत्र में फेंकने का सहारा लिया जाता है। प्लैटफॉर्म यह उम्मीद नहीं करता है कि बैटरियों को कचरा भराव क्षेत्र में फेंकने की आवश्यकता होगी।

5.3.4 फाइनेंसिंग संबंधी निर्णय हेतु **E&S** जोखिम एवं न्यूनीकरण का सारांश **(**सभी उप-परियोजनाओं के लिए**)**

समुचित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, प्लैटफॉर्म सभी उप-परियोजनाओं हेतु निवेश के अनुमोदन के हिस्से के रूप में निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा, जिसे आगे निर्धारित किया गया है:

- उप-परियोजना का ESS वर्गीकरण और उपयुक्तता का निर्धारण

- उप-परियोजना के अंतर्गत किन पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों की पहचान की गई है, इसकी रूपरेखा तैयार करना तथा और नीचे दी गई तालिका के अनुसार वर्गीकरण करना:

मुद्दे की प्राथमिकता	परिभाषा
खतरे का संकेत वाले मुद्दे	संभावित गंभीर परिणामों और न्यूनीकरण के सीमित अवसरों वाले बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसकी वजह से परिचालन कार्य तुरंत बंद हो सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान/भविष्य में प्रतिष्ठा को नुकसान होने की संभावनाएँ, या पर्यावरण और समाज के संवेदनशील लाभार्थियों पर बुरा प्रभाव, जिसमें प्रमुख हितधारकों के रूप में आसपास के समुदाय एवं ग्राहक शामिल हैं, अथवा; आपराधिक कार्यवाही की ओर ले जाने वाले मुद्दे।
अत्यधिक जोखिम वाले मुद्दे	IFC PS और विनियामक आवश्यकताओं का गंभीर रूप से अनुपालन नहीं करना, जिसके चलते परिचालन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है; एक बड़ी लागत; विनियामक सूचना; और/या हितधारकों का विरोध, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान की संभावना हो सकती है।
मध्यम जोखिम वाले मुद्दे	IFC PS और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप गैर-भौतिक सुधार लागत या जुर्माना हो सकता है, और वर्तमान में लागू नियमों के संदर्भ में कुछ समय के लिए कारोबार की निरंतरता बाधित होने की संभावना नहीं है।
कम जोखिम वाले मुद्दे	विनियामक या सुरक्षा संबंधी साधारण नियमों का अनुपालन नहीं करना, जिसकी सीमित कीमत चुकानी पड़ सकती है या फिर समस्या के समाधान के लिए केवल प्रबंधन के समय की आवश्यकता हो सकती है।

- समुचित प्रक्रियाओं (जैसे कि, पूर्ण हो चुके ESIA की समीक्षा) के दौरान या मौजूदा संचालन-व्यवस्थाओं में (जैसे कि अगर फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष के पास मजबूत नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ मौजूद हैं) पहचाने गए मौजूदा न्यूनीकरण सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करना।
- जहाँ पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों से बचाव संभव नहीं है उसकी रूपरेखा तैयार करना, और इसके परिणामस्वरूप:
  - जोखिम तथा इसके प्रभावों को कम करने के लिए कार्रवाई,
  - गतिविधियों के कार्यान्वयन की समय-सीमा,
  - न्यूनीकरण तथा प्रबंधन से संबंधित युक्तियों को लागू करने के लिए दूसरे पक्ष के भीतर जिम्मेदारियाँ।

अधिकांश मामलों में, इन्हें फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष के साथ फाइनेंसिंग की कागजी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। संभावित गतिविधियों में अतिरिक्त रिपोर्टिंग को भी शामिल किया जा सकता है, प्लैटफॉर्म की ओर से महत्वपूर्ण E&S जोखिमों के अनुपालन की निगरानी या प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया जाएगा, जो फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष के लिए आवश्यक होगा। प्रत्येक निवेश के हिस्से के रूप में आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनीकरण तथा प्रबंधन के संबंध में पहले से निर्धारित योजना दिए गए परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

E&S विश्लेषण, परियोजना के वर्गीकरण, कार्रवाई में शामिल मदों, न्यूनीकरण के संभावित तरीकों तथा न्यूनीकरण की लागत के आधार पर, प्लैटफॉर्म किसी उप-परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है।

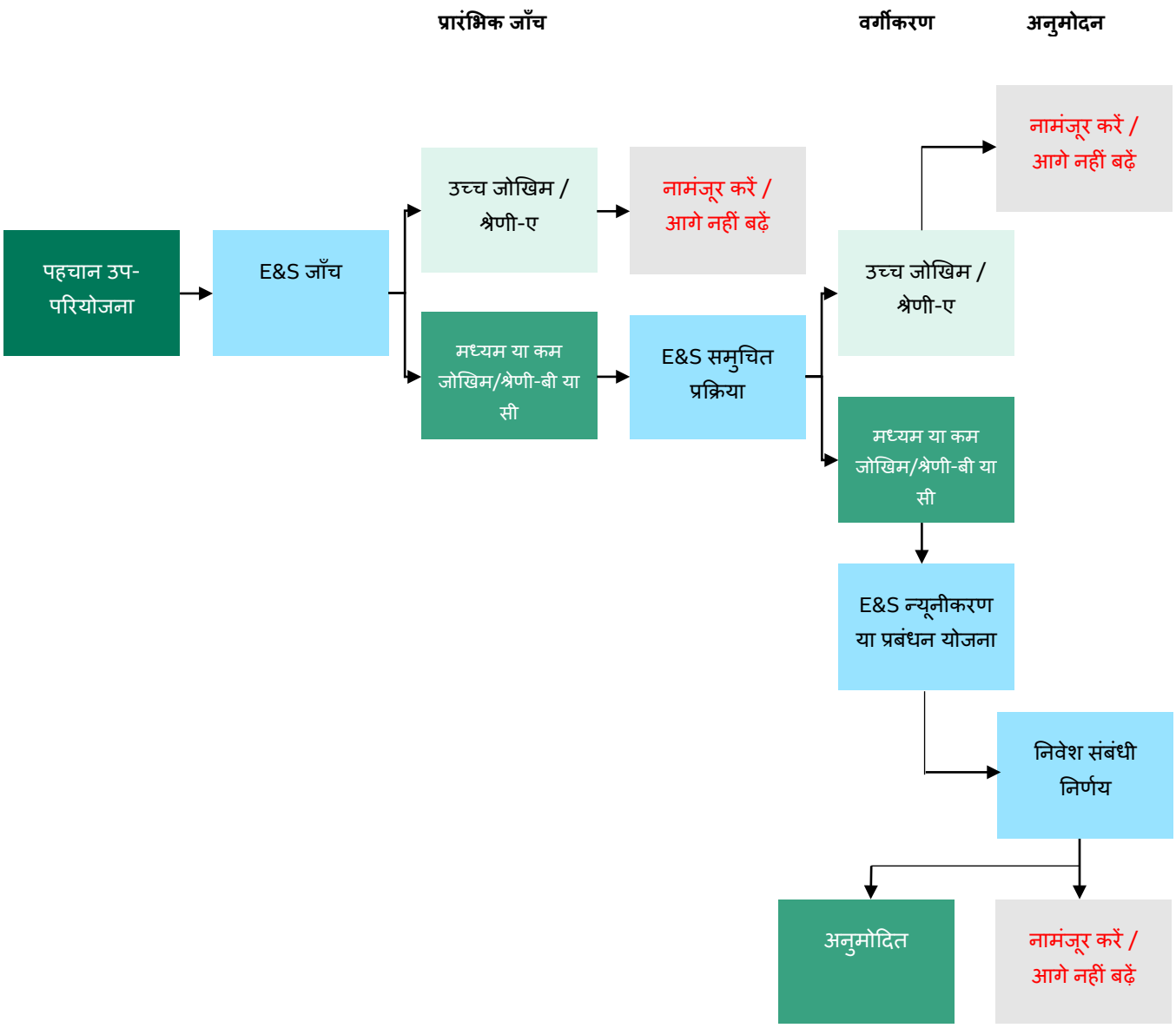
प्रारंभिक जाँच
वर्गीकरण
अनुमोदन
पहचान उप-परियोजना
E&S जाँच
उच्च जोखिम / श्रेणी-ए
नामंजूर करें / आगे नहीं बढ़ें
मध्यम या कम जोखिम/श्रेणी-बी या सी
E&S समुचित प्रक्रिया
उच्च जोखिम / श्रेणी-ए
नामंजूर करें / आगे नहीं बढ़ें
मध्यम या कम जोखिम/श्रेणी-बी या सी
E&S न्यूनीकरण या प्रबंधन योजना
निवेश संबंधी निर्णय
अनुमोदित
नामंजूर करें / आगे नहीं बढ़ें

5.3.5 निगरानी

कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को दूसरे पक्ष तथा प्लैटफॉर्म के बीच स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा और सहमति बनाई जाएगी। इसमें फाइनेंसिंग से संबंधित दस्तावेज़ तैयार करने में कार्यों का एकीकरण शामिल हो सकता है, जिसमें विशिष्ट कार्रवाइयाँ, प्लैटफॉर्म द्वारा समीक्षा की गई किसी भी प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट करने की आवश्यकता या ESAP (जहाँ लागू हो) के खिलाफ रिपोर्टिंग शामिल हो सकती है।

वार्षिक समीक्षा आकलन और E&S रुझानों के साथ-साथ पूरे पोर्टफोलियो और व्यापक बाजार में देखी गई समस्याओं के माध्यम से प्लैटफॉर्म की निगरानी प्रक्रिया में E&S संबंधित कारकों और प्रदर्शन पर विचार किया जाएगा। यह प्लैटफॉर्म फाइनेंसिंग के साधन के पूरे जीवन-काल में दूसरे पक्ष की प्रबंधन टीम के साथ बातचीत को लगातार बरकरार रखेगा तथा अन्य क्रेडिट मदों के साथ-साथ E&S रुझानों और घटनाओं के लिए दूसरे पक्ष और बाजार की सक्रियतापूर्वक निगरानी करेगा।

निगरानी की मौजूदा प्रक्रिया अलग-अलग उप-परियोजनाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसके दायरे का विस्तार उप-उद्योग के रुझानों और पूरे बाजार में मुद्दों के प्रभाव तक किया जाएगा।

जहाँ प्रासंगिक हो, प्लैटफॉर्म किसी भी नए या उभरते हुए ऐसी जोखिम की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पोर्टफोलियो का गहन विश्लेषण करेगा, जो फाइनेंसिंग की प्रारंभिक तिथि में अस्तित्व में नहीं था। अगर किसी महत्वपूर्ण E&S जोखिम (यदि कोई हो) की पहचान की जाती है, तो इस मुद्दों को प्लैटफॉर्म के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6. लागू होने वाले संदर्भ की रूपरेखा

भारत में ई-मोबिलिटी क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मानक सीमित हैं, हालाँकि इस क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है जिसे देखते हुए प्लैटफॉर्म सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से तालमेल बनाने का प्रयास करेगा। भारतीय राष्ट्रीय मानकों, GCF मानकों और IFC प्रदर्शन सहित एक E&S संदर्भ की विस्तृत रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है, जो प्लैटफॉर्म पर लागू होंगे। नियमों के विकसित होते ही इन्हें समय के साथ अपडेट किया जाएगा।

प्लैटफॉर्म **GCF,** राष्ट्रीय या **MAM** नीतियों **(**इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाया गया है**)** के बीच जो भी उच्चतम मानक है**,** उसे लागू करेगा।

जहाँ प्रासंगिक हो, फाइनेंसिंग संबंधी निर्णय के लिए राष्ट्रीय मानकों और GCF या MAM नीतियों के बीच विसंगतियों को E&S जोखिम एवं न्यूनीकरण सारांश में उजागर किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि उच्चतम मानक कैसे प्राप्त किया गया है। इसे फाइनेंसिंग संबंधी कागजी कार्रवाई में एक विशिष्ट खंड को शामिल करके, फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष के अनुरोध पर रिपोर्टिंग करके, दूसरे पक्ष से समुचित प्रक्रियाओं के उच्च स्तर की रिपोर्टिंग के अनुरोध पर, फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष द्वारा तैयार ESAP में शामिल करके (केवल श्रेणी-बी की परियोजनाओं के लिए) या अन्य तरीकों से पूरा किया जा सकता है।

6.1 लागू होने वाले राष्ट्रीय कानून एवं विनियम

विषय-वस्तु	प्रमुख कानून **(**उप-परियोजनाओं के लिए इनकी उपयुक्तता अलग-अलग हो सकती है**)**
पर्यावरणीय संरक्षण	• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986; • पर्यावरण संरक्षण (तृतीय) संशोधन नियम, 2002, बाद के संशोधनों सहित; • वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, 1987 में संशोधित; तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) नियम 1982; • ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण नियम) 2000; • जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 25) (इसके बाद जल अधिनियम, 1974 कहा गया है); • भारत में भूजल निकासी को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित दिशा-निर्देश, दिनांक 12 दिसंबर 2018, 01 जून 2019 से प्रभावी; • हानिकारक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन) नियम 2016; • ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000; • पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स (PCB) विनियमन आदेश, 2016; • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; • राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए दिशा-निर्देश, 2011; • तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2019;
भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास	• भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार स्थानांतरगमन एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 (RFCT LARR अधिनियम 2013) • विभिन्न राज्य सरकारों (केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, गोवा, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) द्वारा सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए दिशा-निर्देश/नीतियाँ/नियम/कानून • विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की भू-राजस्व संहिताएँ
श्रमिक और काम-काज संबंधी परिस्थितियाँ	• कारखाना अधिनियम : 1948 तथा राज्य कारखाना नियम (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य आवश्यकता निदेशक) • केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा संशोधन; • बाल एवं किशोरावस्था श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, 2017 में संशोधित;

विषय-वस्तु	प्रमुख कानून (उप-परियोजनाओं के लिए इनकी उपयुक्तता अलग-अलग हो सकती है)
	• बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976; • संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) 1970; • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 • समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; • मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017; • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; • वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; • कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923; • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 • बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 और नियम 1975, तथा बाद के संशोधन; • अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 • उपदान संदाय अधिनियम, 1972 • कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 • कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 • औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 • कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 • अलग-अलग राज्यों के दुकान एवं स्थापना नियम
सहभागिता एवं समावेशन, सांस्कृतिक धरोहर तथा अन्य बातों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा उपाय	• पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996; • वन अधिकार अधिनियम, 2006; • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989; • प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, 2010 में संशोधित;

6.2 GCF मानक

GCF की सभी प्रासंगिक नीतियों को प्लैटफॉर्म और उप-परियोजनाओं पर लागू किया जाएगा। GCF E&S नीति के संबंध में नीचे दी गई प्रमुख आवश्यकताओं को प्लैटफॉर्म के संचालन और उप-परियोजनाओं के लिए लागू माना जाता है, तथा फाइनेंसिंग के लिए इन पर विचार किया जाएगा:

मानक	प्लैटफॉर्म द्वारा कार्यान्वयन
मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन करने के साथ-साथ बाद में इनका प्रभावी तरीके से एवं समान रूप से प्रबंधन करने के लिए एक कारगर **पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली** की स्थापना की जाएगी।	इनको इस दस्तावेज़ में रेखांकित किया गया है। इस ESMS में उल्लिखित संरचना के अनुरूप एक बार स्थापित होने के बाद प्लैटफॉर्म को एक ESMS स्थापित करना होगा।
यह सुनिश्चित करता है कि GCF फाइनेंसिंग के लिए प्रस्तावित गतिविधियों की अच्छी तरह **जाँच की जाती है, उन्हें उपयुक्त पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम की श्रेणियों में निर्दिष्ट किया जाता है** तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और उनके प्रभावों का उचित और पर्याप्त रूप से आकलन किया जाता है;	प्लैटफॉर्म द्वारा उपयुक्त ESS श्रेणी निर्दिष्ट करने के लिए IFC प्रदर्शन मानकों के अनुरूप MAM के ESR टूलकिट का उपयोग किया जाएगा। इस विश्लेषण में MAM के समर्पित E&S विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी जाएगी।
ऋण प्राप्तकर्ताओं, अनुदानकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के पास पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और इसके प्रभावों के प्रबंधन के लिए समुचित प्रबंधन प्रणाली, प्रक्रियाएँ तथा क्षमता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अलग-अलग उप-	MAM एक निवेश प्रबंधक के रूप में प्लैटफॉर्म बोर्ड की निगरानी के माध्यम से E&S जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के साथ-साथ प्लैटफॉर्म प्रबंधन एवं कर्मचारियों को दैनिक गतिविधियों में सहयोग के माध्यम से इस प्लैटफॉर्म को सहायता प्रदान करेगा। MAM के पास

परियोजनाओं और सौंपी गई गतिविधियों की अच्छी तरह जाँच की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है, एक उपयुक्त जोखिम श्रेणी निर्दिष्ट की जाती है, जो समुचित प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण के अधीन है, साथ ही कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी की जाती है एवं उनकी रिपोर्टिंग की जाती है।	शानदार अनुभव है और इस तरह की पोर्टफोलियो कंपनियों की सहायता के लिए एक समर्पित टीम है, जिसके अंतर्गत समय के साथ जोखिमों की पहचान करने, उन्हें कम करने और उनकी निगरानी करने के साथ-साथ E&S से संबंधित सर्वोत्तम अभ्यास को लागू करने के लिए प्लैटफॉर्म की मौजूदगी शामिल है।
GCF सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुसार, GCF द्वारा फाइनेंस की गई गतिविधियों और घटक उप-परियोजनाओं पर जानकारी का प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाता है।	GCF सूचना प्रकटीकरण नीति के अनुरूप ही इस तरह के आवश्यक प्रकटीकरण किए जाएंगे।
हितधारकों की निरंतर भागीदारी के साथ-साथ इकाई स्तरीय और गतिविधि स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का विकास एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।	प्लैटफॉर्म की स्थापना हो जाने के बाद गतिविधि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम में संबंधित दूसरे पक्षों के साथ हितधारकों की भागीदारी निरंतर जारी रहेगी, जैसा कि हितधारक भागीदारी योजना में वर्णित है।
सीमा-पार जोखिम और प्रभावों सहित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के आकलन हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि GCF द्वारा फाइनेंसिंग के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ GCF नीति के ESS मानकों के अनुरूप उनके पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों को पूरा करती हैं।	प्लैटफॉर्म को E&S प्रबंधन का दायित्व सौंप दिया जाएगा तथा कार्यकारी संस्थाओं और मान्यता प्राप्त इकाइयों को इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। प्लैटफॉर्म की ओर से किए गए सभी निवेशों की अग्रिम जाँच, समुचित प्रक्रियाओं तथा मौजूदा निगरानी के हिस्से के रूप में E&S जोखिमों और प्रभावों का मूल्यांकन प्लैटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। श्रेणी-बी परियोजनाओं के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप एक ESAP स्थापित किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करता है कि ESAPs तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और उनके प्रभावों को कम करने और उनका प्रबंधन करने एवं परिणामों को बेहतर बनाने के सभी उपायों का कार्यान्वयन, निगरानी और निरंतर सुधार किया जाता है।	
यह सुनिश्चित किया जाता है कि, निगरानी एवं जवाबदेही की संरचना के अनुरूप GCF द्वारा फाइनेंस की गई गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी की जाती है, साथ ही GCF और उसके हितधारकों को सूचित किया जाता है, और ऐसी रिपोर्ट के GCF या GCF द्वारा अधिकृत किसी तीसरे पक्ष से सत्यापन की अनुमति दी जाती है।	E&S से संबंधित मुद्दों, जोखिम, निगरानी गतिविधियों और क्षेत्र-व्यापी विषयों पर प्लैटफॉर्म द्वारा नियमित तौर पर रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। कार्यक्रम के लिए वित्त-पोषित गतिविधि समझौते के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, यह AE और अंततः GCF को प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक उप-परियोजना के लिए फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों से भी रिपोर्टिंग की उम्मीद की जाती है।
सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँ, जिसके अंतर्गत जिस देश में इन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है वहाँ के कानून, विनियम और मानक और/या देश या देशों के दायित्व के साथ-साथ गतिविधियों पर सीधे लागू होने वाले प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एवं समझौतों भी शामिल हैं।	इस दस्तावेज़ में संबंधित ESS मानकों की पहचान की गई है। प्लैटफॉर्म और कार्यक्रम द्वारा उन सभी नियमों या कानूनों में किसी भी बदलाव की निगरानी की जाएगी, जो अनुपालन बनाए रखने के लिए प्लैटफॉर्म द्वारा फाइनेंस की गई गतिविधियों पर लागू हो सकते हैं।
यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँगे कि गतिविधियों से प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित समुदायों (इसमें कमजोर और वंचित तबके के समूह एवं लोग शामिल हैं) से अच्छी तरह विचार-विमर्श किया जाता है, जो गतिविधियों को तैयार करने में स्थानीय ज्ञान को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है, उन्हें गतिविधियों से संबंधित जोखिमों, प्रभावों और इसे कम करने के उपायों पर अपने विचार प्रकट करने का मौका देता है, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उनकी चिंताओं पर विचार करने और तदनुसार प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है।	IFC प्रदर्शन मानकों में वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप, ESR टूलकिट द्वारा स्थानीय समुदायों के लिए संभावित जोखिमों और प्रभावों पर प्रकाश डाला जाएगा। अगर समुदायों के लिए संभावित जोखिम की मौजूदगी तथा इससे प्रभावित होने के आसार हैं, तो प्लैटफॉर्म द्वारा (अथवा फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष द्वारा) GCF मानकों के अनुरूप इन मुद्दों एवं उन्हें कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श के लिए संबंधित हितधारकों की भागीदारी का संचालन किया जाएगा।

6.3 पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर IFC प्रदर्शन मानक, 2012

इन मानकों को MAM के ESR टूलकिट में एकीकृत किया जा रहा है, जिनका उपयोग सभी उप-परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा (नीचे इससे संबंधित खंड देखें)।

वर्णन	प्रयोजनीयता
IFC PS 1 - पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और उसके प्रभावों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन	इन मानकों का उद्देश्य मौजूदा सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना तथा उनके कामकाज, अस्तित्व और पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करना, निर्धारित EHS नीति, निर्धारित की गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ-साथ हितधारकों की भागीदारी एवं शिकायत प्रबंधन जैसी प्रक्रियाओं का आकलन करना है। प्लैटफॉर्म की स्थापना के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा और यह MAM की रूपरेखा के अंतर्गत ऊपर वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। प्लैटफॉर्म द्वारा विकसित की गई एवं लागू की गई E&S प्रबंधन प्रणाली को उप-परियोजना के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा और इसे फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों की समुचित प्रक्रियाओं का हिस्सा भी माना जाएगा।
IFC PS 2 - श्रमिक और काम-काज संबंधी परिस्थितियाँ	विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ तथा दस्तावेज श्रम और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित इस पहलू का मार्गदर्शन करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है: मानव संसाधन नीति एवं प्रबंधन, श्रमिक संगठन, गैर-भेदभाव और समान अवसर, छंटनी, कर्मचारियों की हिफाजत तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। इस संदर्भ में, प्लैटफॉर्म के फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्षों के कर्मचारियों एवं श्रमिकों की स्थिति के साथ-साथ उनके द्वारा काम पर रखे गए ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस PS के तहत आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी।
IFC PS 3 - संसाधनों का कुशल उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम	PS-3 के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में संसाधनों एवं सामग्रियों के उपयोग, तथा इंसानों की सेहत पर बुरा असर डालने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शामिल किया गया है। PS-3 के उद्देश्य इस प्रकार हैं: परियोजना गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण से परहेज करके अथवा इसे कम करके इंसानों की सेहत एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव से बचना या इसे न्यूनतम करना; बिजली एवं पानी सहित विभिन्न संसाधनों के अधिक संवहनीय तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना। PS-3 के अंतर्गत प्रदूषण की रोकथाम, संसाधन संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट, खतरनाक सामग्री, आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया, ग्रीनहाउस उत्सर्जन, कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। इस PS के तहत यह मूल्यांकन किया जाएगा कि फाइनेंस करने वाले दूसरे पक्ष प्रदूषण संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए क्या प्रयास करते हैं, इसके लिए कौन सी प्रबंधन योजनाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हैं, तथा संसाधनों का अधिक कुशलता से एवं संरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए यह क्या उपाय करने की योजना बना रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल है।
IFC PS 4 - सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सुरक्षा	इस PS-4 के तहत, परियोजना के जीवन-काल के दौरान नियमित और गैर-नियमित, दोनों परिस्थितियों से प्रभावित समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाने और उनसे बचने के लिए समुचित उपाय करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रासंगिक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप सभी कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा इस तरह से की जाती है, जिससे प्रभावित समुदायों के लिए जोखिम से बचा जा सके या कम किया जा सके। PS-4 के अंतर्गत वर्णित अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: बुनियादी ढांचे/ उपकरणों की सुरक्षा, खतरनाक सामग्रियों सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दे, बीमारी के संपर्क में आने की संभावना, आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया, तथा सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकताएँ।
IFC PS 5 - भूमि अधिग्रहण और	PS-5 के तहत, परियोजना के प्रस्तावकों की अपेक्षा की जाती है कि वे भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर

वर्णन	प्रयोजनीयता
इच्छा के बिना पुनर्स्थापन	प्रतिबंधों से प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अनुमान लगाएँ और इनसे बचें, या जहाँ इसे टालना संभव नहीं है वहाँ इन प्रभावों को न्यूनतम करने का प्रयास करें। इसके अंतर्गत इन विषयों को शामिल किया गया है: विस्थापितों के लिए मुआवजा एवं अन्य लाभ, परामर्श तथा शिकायत निवारण तंत्र, पुनर्वास योजना और उनका कार्यान्वयन, शारीरिक विस्थापन, आर्थिक विस्थापन। PS-5 के अंतर्गत सरकारी कार्यों में सहायता के लिए निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है, साथ ही सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकारों, प्रक्रियाओं और PS-5 की आवश्यकताओं के बीच की खाई को दूर करने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण या इच्छा के बिना पुनर्वास कराए जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दिए गए भूखंड की पहचान/खरीद/पट्टे पर लेना सामान्य तौर पर खरीदी गई निजी भूमि के माध्यम से किया जाएगा/ इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता की मर्जी के अनुरूप ही प्राप्त किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो परिशिष्ट 7 में उल्लिखित पुनर्वास की रूपरेखा के अनुसार ही पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
IFC PS 6 - जैव-विविधता का संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन	इस प्रदर्शन मानक की आवश्यकताएँ उन परियोजनाओं पर लागू होती हैं, (i) जो रूपांतरित, प्राकृतिक और बेहद नाजुक परिवेश वाले कुदरती-आवासों में स्थित हैं; (ii) जो जो संभावित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभाव डालते हैं या उन पर निर्भर हैं जिन पर ग्राहक का प्रत्यक्ष नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है; या (iii) जिसमें जीवित प्राकृतिक संसाधनों (जैसे, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी) का उत्पादन शामिल है। PS-6 जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से जुड़े खतरों की जाँच करता है, जिसमें विशेष रूप से प्राकृतिक आवास को होने वाले नुकसान, अपक्षय और विखंडन, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, आवश्यकता से अधिक दोहन, पानी की परिस्थितियों में परिवर्तन, पोषक तत्वों का अतिरिक्त दायित्व तथा प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। PS-6 के अंतर्गत प्रमुख विषयों के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया गया है: प्राकृतिक आवास, अत्यंत नाजुक आवास, कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र, विदेशी प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, और जीवित प्राकृतिक संसाधनों (प्राकृतिक तथा रोपे गए वन, जलीय संसाधन आदि) का स्थायी तरीके से प्रबंधन। अगर कोई उप-परियोजना संवेदनशील क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों और वन क्षेत्रों के आस-पास मौजूद है, या जैव-विविधता को प्रभावित करती है, तो संभावित तौर पर यह PS लागू हो जाएगा। हालाँकि, इस कार्यक्रम के तहत उम्मीद के अनुरूप सीमित भूमि अधिग्रहण तथा भूमि अधिग्रहण के प्रकार (जैसा कि PS5 में वर्णित है) को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है।
IFC PS 7 - एक ही क्षेत्र का जन-समूह	यह प्रदर्शन मानक एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समुदायों या समूहों पर लागू होता है, जो सामूहिक तौर पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी जिनकी पहचान एक समूह या समुदाय के रूप में अलग-अलग आवासों या पैतृक क्षेत्रों और उसमें मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है। PS-7 के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि, विकास की प्रक्रिया ऐसी हो जो एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों, उनकी गरिमा, आकांक्षाओं, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका के प्रति पूर्ण सम्मान को प्रोत्साहन दे सके। PS-7 के अंतर्गत इन प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है: प्रतिकूल प्रभावों से बचाव, परामर्श एवं सूचित भागीदारी, उपयोग के तहत पारंपरिक या प्रथागत भूमि पर प्रभाव, पारंपरिक या प्रथागत भूमि से स्थानीय लोगों का स्थानांतरण, और सांस्कृतिक संसाधन। इसकी संभावना नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सामान्य तौर पर निजी जमीन को चिन्हित किया जाएगा/ खरीदा जाएगा/ पट्टे पर लिया जाएगा। ये मुख्य रूप से शहरी इलाकों में भी होंगे, जहाँ परियोजनाओं के स्थानीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो परिशिष्ट [8] में वर्णित स्वदेशी लोगों से संबंधित नीति का पालन किया जाएगा।
IFC PS 8 - सांस्कृतिक धरोहर	PS-8 के संदर्भ में सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है: (i) सांस्कृतिक धरोहर का मूर्त रूप; (ii) अद्वितीय प्राकृतिक विशेषताएँ या मूर्त वस्तुएँ, जो सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक हैं; और (iii) संस्कृति के अमूर्त रूपों के कुछ उदाहरण जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। PS-8 की आवश्यकताएँ सभी सांस्कृतिक धरोहरों पर लागू होती हैं, भले ही इसे कानूनी रूप से संरक्षित किया गया हो अथवा नहीं, या फिर पहले इसमें व्यवधान डाला गया हो।

वर्णन	प्रयोजनीयता
	इस PS को उन सभी उप-परियोजनाओं पर लागू किया जाएगा, जहाँ परियोजना की गतिविधियों से सांस्कृतिक धरोहर प्रभावित होगी।

A1. अपवर्जन की सूची

श्रेणी-**A** परियोजनाओं को प्लैटफॉर्म द्वारा फाइनेंसिंग की सुविधा नहीं दी जाएगी।

प्लैटफॉर्म के पास ई-मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला में निवेश करने का अधिकार होगा और वर्तमान में ऐसा कोई भी उप-क्षेत्र नहीं है जिसे सूची से बाहर रखा गया है। एक बार प्लैटफॉर्म स्थापित हो जाने अथवा विशिष्ट उप-क्षेत्रों या गतिविधियों के भीतर महत्वपूर्ण E&S मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद, प्लैटफॉर्म इस सूची में अपवर्जित क्षेत्रों या गतिविधियों को शामिल कर सकता है।

आधारभूत मानक के रूप में**,** प्लैटफॉर्म द्वारा **IFC** की अपवर्जन सूची **(2007)** के अनुरूप अपवर्जन की सूची को अपनाया जाएगा। IFC की अपवर्जन सूची में उन प्रकार की परियोजनाओं को परिभाषित किया गया है, जिन्हें IFCवित्तपोषित नहीं करता है।

- मेजबान देश के कानूनों या विनियमों या अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों के तहत अवैध समझे जाने वाले किसी भी उत्पाद का निर्माण या ऐसी गतिविधि का कारोबार, या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के अधीन आने वाले कारोबार, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक/खर-पतवारनाशक, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, [2]PCB, वन्यजीव या CITES के तहत विनियमित उत्पाद।[3]
- हथियारों एवं युद्ध में प्रयुक्त सामग्रियों, मादक पेय-पदार्थों (बीयर और शराब को छोड़कर), तंबाकू का उत्पादन या व्यापार।[4]
- जुआ, कैसीनो और इसी तरह के अन्य उपक्रम।[5]
- रेडियोसक्रिय पदार्थों का उत्पादन या व्यापार। यह चिकित्सा उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण (मापन) उपकरणों और ऐसे किसी भी उपकरण की खरीद पर लागू नहीं होता है, जिनमें IFC रेडियोसक्रिय स्रोत को नगण्य और/या पर्याप्त रूप से सुरक्षित मानता है।
- गैर-अनुबद्ध एस्बेस्टस फाइबर का उत्पादन या व्यापार। यह अनुबद्ध एस्बेस्टस सीमेंट शीटिंग की खरीद और उपयोग पर लागू नहीं होता है, जिसमें एस्बेस्टस की मात्रा 20% से कम हो।
- 2.5 किमी से अधिक के लंबे जाल का उपयोग करके समुद्री परिवेश में बहाव जाल से मछली पकड़ना।

नीचे वर्णित गतिविधियों में संलग्न लोगों को छोड़कर, अन्य सभी वित्तीय मध्यस्थों **(FIs)** को IFC की अपवर्जन सूची के अलावा निम्नलिखित अपवर्जन को भी शामिल करना चाहिए:

- ऐसी चीजों का उत्पादन या ऐसी गतिविधियों का संचालन, जिनमें बंधुआ मजदूरी के हानिकारक या शोषक रूप [6]/हानिकारक बाल श्रम के रूप शामिल हैं।[7]
- प्राथमिक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में उपयोग के लिए वाणिज्यिक तौर पर लकड़ी काटना।
- स्थायी रूप से प्रबंधित वनों को छोड़कर लकड़ी या अन्य वानिकी उत्पादों का उत्पादन अथवा व्यापार।

* सूक्ष्म-वित्तगतिविधियों में निवेश करते समय, FIs द्वारा IFC की अपवर्जन सूची के अलावा निम्नलिखित बातों को लागू किया जाएगा::

- जबरन मजदूरी/हानिकारक बाल मजदूरी के बेहद खतरनाक या शोषक रूपों से संबंधित उत्पादन या गतिविधियाँ।

2 अत्यधिक जहरीले रसायनों का एक समूह, पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स जिसके 1950 से 1985 तक तेल से भरे विद्युत ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और स्विचगियर में पाए जाने की संभावना है।

3 जैसा कि 1975 के लुप्तप्राय प्रजातियों या जंगली वनस्पतियों और जीवों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन ("CITES") में निर्दिष्ट है, www.cites.org देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

4 यह उन परियोजना के प्रायोजकों पर लागू नहीं होता है, जो इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं। "महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं" का मतलब है कि संबंधित गतिविधि परियोजना के प्रायोजक के प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक है।

5 यह उन परियोजना के प्रायोजकों पर लागू नहीं होता है, जो इन गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं हैं। "महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं" का मतलब है कि संबंधित गतिविधि परियोजना के प्रायोजक के प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक है।

6 जबरदस्ती मजदूरी का मतलब है कि ऐसे कार्य या सेवा, जो अपनी मर्जी से नहीं किए जाते हैं, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या दंड की धमकी देकर कराया जाता है।

7 हानिकारक बाल श्रम का मतलब आर्थिक रूप से शोषित बच्चों से काम कराना है, या फिर जो बच्चे की शिक्षा, या बच्चे के स्वास्थ्य, या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक है।

- खतरनाक रसायनों का भारी मात्रा में उत्पादन, व्यापार, भंडारण या परिवहन, अथवा व्यावसायिक स्तर पर खतरनाक रसायनों का उपयोग। ऐसे खतरनाक रसायनों में गैसोलीन, केरोसिन तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।
- ऐसी चीजों का उत्पादन या गतिविधियों का संचालन जो स्वामित्व वाली भूमि पर प्रभाव डालती हैं, या जिसके संबंध में स्वदेशी लोगों से दस्तावेजों में लिखित तौर पर ऐसे लोगों की पूरी सहमति नहीं ली गई हो और उनकी ओर से अधिनिर्णय के तहत दावा किया हो।

* व्यापार वित्त परियोजनाएँ, लेन-देन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, FIs द्वारा IFC की अपवर्जन सूची के अलावा निम्नलिखित बातों को लागू किया जाएगा:

जबरन मजदूरी/हानिकारक बाल मजदूरी के बेहद खतरनाक या शोषक रूपों से संबंधित उत्पादन या गतिविधियाँ।

A2. प्रतिपक्ष और उप-परियोजना के यथोचित परिश्रम की चेकलिस्ट

क्रमांक	पहलू	यथोचित परिश्रम के लिए सवाल
1	प्रतिपक्ष की संगठनात्मक क्षमता और योग्यता	• कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? • फर्म की संगठनात्मक संरचना (प्रस्तावित या वास्तविक) कैसी है? • किसी भी टीम के सदस्यों की कोई भी वित्तीय, स्वास्थ्य, कानूनी झगड़े, व्यक्तिगत या अन्य मौजूदा स्थितियां जो परियोजना से संबंधित उनके कर्तव्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं • मुख्य कर्मचारीगण कौन हैं, और कौन से प्रमुख व्यक्ति प्रावधान मौजूद हैं?
2	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, नीतियां और प्रक्रियाएं	• क्या ESG मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करने के लिए फर्म के पास एक मजबूत नीति है? यदि नहीं है, तो क्या फर्म किसी नीति को अपनाने पर विचार करेगी? क्या नीति प्लैटफॉर्म के ESG मानकों के अनुरूप बनी है? क्या ESG विचार, निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा होंगे? • क्या कंपनी किसी अंतरराष्ट्रीय मानकों या ढांचे (जैसे, IFC प्रदर्शन मानकों) का पालन करती है, या ऐसा करने की योजना बना रही है? • कंपनी कितनी बार प्रणाली की समीक्षा और अद्यतन करती है? • क्या कंपनी ने इसका समर्थन करने के लिए संसाधन निर्धारित किए हैं? क्या उनके पास कोई सर्वोत्तम अभ्यास प्रमाणन (ISO) है? • उपरोक्त नीतियों के लिए कार्यान्वयन उपकरण क्या हैं? • क्या प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति रखे गए हैं? • S&E प्रबंधन सहित जिम्मेदार व्यक्तियों की रूपरेखा को शामिल करें। • प्रशिक्षण और रिपोर्टिंग लाइनें, KPIs क्या हैं? • क्या कंपनी के पास प्रभावित होने वाले समुदायों के लिए सामुदायिक सहभागिता प्रक्रिया है? यदि है, तो क्या कंपनी की यह प्रक्रिया प्रभावित समुदाय के लिए निःशुल्क, पहले से और सूचित परामर्श प्रदान करना सुनिश्चित करती है? • क्या कंपनी ने प्रभावित समुदायों के लिए शिकायत तंत्र प्रदान किया हुआ है? • क्या कंपनी ने प्रबंधन कार्यक्रम के प्रदर्शन पर निगरानी रखने के लिए प्रणालियाँ बनाई हैं? • क्या उपयुक्त पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन की जानकारी समय-समय पर वरिष्ठ प्रबंधन, निवेशकों और हितधारकों को प्रासंगिक रूप से आंतरिक रूप से रिपोर्ट की जाती है?
3	भूमि खरीद और अधिग्रहण	• क्या प्रस्तावित निवेश के लिए कोई भूमि अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो भूमि का पहले क्या उपयोग किया जाता था और भूमि का अधिग्रहण कैसे किया गया था? क्या इस भूमि अधिग्रहण को सरकार द्वारा प्रबंधित किया गया था? क्या इसके ऊपर कोई मौजूदा या संभावित भूमि स्वामित्व या पहुंच अधिकार विवाद हैं? • क्या इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कोई भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन और पुनर्वास हुआ है? यदि हां, तो विस्थापन के प्रकार और विस्थापित किए गए व्यक्तियों और समुदायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। • क्या कंपनी ने विस्थापित व्यक्तियों और समुदायों के साथ काम किया है और/या परियोजना से उचित विकास लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए हैं? यदि हां, तो उनका विवरण दें।

क्रमांक	पहलू	यथोचित परिश्रम के लिए सवाल
		• क्या कंपनी ने – आर्थिक और भौतिक विस्थापन से बचने या कम करने के लिए वैकल्पिक डिजाइनों पर विचार किया? – उपयुक्त सामाजिक-आर्थिक आधारभूत डेटा के साथ बेसलाइन जनगणना के माध्यम से परियोजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों और मुआवजे और सहायता के लिए पात्र लोगों की पहचान की है? जनगणना से विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति उनके कानूनी अधिकारों या भूमि के दावे के अनुसार स्थापित की है? – एक पुनर्वास कार्य योजना या पुनर्वास ढांचा (यदि भौतिक विस्थापन शामिल है) तैयार किया है, जो विस्थापन के नकारात्मक प्रभावों को कम करता हो, विकास के अवसरों की पहचान करता हो और सभी प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिकार स्थापित करता हो? • क्या उनके पुनर्वास को सरकार द्वारा प्रबंधित किया गया था? यदि हां, तो क्या कंपनी ने सरकार की कार्रवाइयों को पूरा किया है और सरकार द्वारा सौंपे गए अधिकारों और प्रक्रियाओं और IFC PS 5 की आवश्यकताओं के बीच अंतर (यदि लागू हो) को पूरा किया है?
4	जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन	• क्या कंपनी ने अपने संचालन के हिस्से के रूप में जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान की है और उन पर ध्यान दिया है? • क्या संशोधित, प्राकृतिक और महत्वपूर्ण आवास (जैसा कि IFC PS 6 द्वारा परिभाषित किया गया है) कंपनी की गतिविधियों से प्रभावित होंगे? – प्राकृतिक आवास के मामले में, क्या कंपनी ने विकल्पों पर विचार किया है और किसी भी संभावित पतन को पर्याप्त रूप से कम किया? – महत्वपूर्ण आवास के मामले में, क्या कंपनी ने उपयुक्त रूप से निर्धारित यह किया है कि इसका प्रजातियों या आवास पर कोई औसत दर्जे का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? • कंपनी कानूनी रूप से संरक्षित इलाकों में कोई संचालन करती है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने PS 6 में उल्लिखित कानूनी रूप से संरक्षित इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा किया है? • क्या कंपनी ने किसी विदेशी प्रजाति की पहचान की है जिसे जानबूझकर या अनजाने में उसकी गतिविधियों के माध्यम से पेश किया जा सकता है? यदि विदेशी प्रजातियों की सुविचारित समावेशन की योजना बनाई गई है, तो क्या इसके लिए उचित सरकारी नियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है? • क्या निवेशिती कंपनी ने नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों की पहचान की है जिनका वह उपयोग करेगी, और उन्हें स्थायी तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है?
5	कार्यकर्ता / कार्यबल प्रबंधन	• क्या निवेशिती कंपनी की कोई मानव संसाधन नीति है? क्या यह अच्छे से समझ में आ जाती है और सभी कर्मचारियों के लिए आसानी से सुलभ है? क्या यह राष्ट्रीय श्रम और रोजगार कानून के तहत अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करती है? • क्या कंपनी ILO आवश्यकताओं (गैर-भेदभाव, समान अवसर, सामूहिक सौदेबाजी और संगठन के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता सहित) का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है? • क्या कंपनी राष्ट्रीय रोजगार आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है? • क्या कंपनी ने सीधे अनुबंधित सभी कर्मचारियों के लिए काम करने की शर्तों और रोजगार की शर्तों का दस्तावेजीकरण और सूचित किया है? क्या इसमें काम के घंटे, ओवरटाइम प्रक्रिया, भुगतान की गई मजदूरी, अनुबंधों के प्रकार, भुगतान की आवृत्ति और बीमार और मातृत्व अवकाश के बारे में दिशानिर्देश शामिल हैं? • श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ किस भाषा में संचार किया जाता है? • क्या नियम और शर्तें श्रमिकों के साथ किसी सामूहिक समझौते के अनुसार हैं? • क्या कंपनी ने SEAH के संबंध में कर्मचारियों की शिकायतों की समीक्षा करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत तंत्र बनाया है?

क्रमांक	पहलू	यथोचित परिश्रम के लिए सवाल
		• क्या कोई व्यक्ति शिकायतों की समीक्षा करने और समय पर और पारदर्शी तरीके से उन पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है? • क्या प्रदर्शन मूल्यांकन, पदोन्नति और किसी भी प्रदर्शन से संबंधित वेतन (यदि लागू हो) के लिए लिखित प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं? • क्या ट्रेड यूनियन मौजूद हैं/को अनुमति दी गई है? • क्या बाल श्रम/जबरन श्रम को लेकर नीतियां बनाई गई हैं? क्या स्थल पर बाल/जबरन श्रम की किसी घटना की रिपोर्ट की गई है या देखी गई है? • क्या कंपनी ने अनुशासन, प्रदर्शन और शिकायत प्रक्रियाओं के संबंध में पारदर्शी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौकरी के फैसले नौकरी की आवश्यकताओं से असंबंधित व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर नहीं किए जाते हैं? क्या कंपनी ने कोई अधिमान्य रोजगार नीतियां बनाई हैं? • क्या कंपनी ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करने के बारे में पहले से सोचा हुआ है? यदि हां, तो क्या छंटनी की कोई प्रक्रिया लागू की गई है ? क्या श्रमिकों से उचित परामर्श लिया गया है। यदि निवेश में विस्तार की माँग की गई है तो क्या इससे अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे? • क्या कंपनी: – अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करती है? क्या इसमें श्रमिकों को श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना और इनका उपयोग अनिवार्य करना शामिल है? क्या कंपनी ने खतरों के कारणों को कम करके दुर्घटनाओं, चोट और बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं? – कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी और निरीक्षण करती है? क्या इसमें परिवेश और कार्यस्थल पर शोर, और कार्यस्थल की रोशनी, वायु गुणवत्ता और तापमान जैसा लागू हो, की निगरानी शामिल है? – चोट की दरों, व्यावसायिक बीमारियों, चीट की वज़ह से खोए हुए दिनों, और अनुपस्थिति और काम से संबंधित मौतों की संख्या पर नज़र रखती है और रिपोर्ट करती है? क्या कंपनी स्टाफ टर्नओवर को ट्रैक करती है? – ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं? – के पास आग, जीवन और सुरक्षा योजना है?
6	लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न **(SEAH** के विचारों सहित**)**	• क्या कंपनी ने GBVH जोखिमों की पहचान की है और क्या इनको कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रणाली में प्रतिबिंबित किया गया है? • क्या GBVH की स्पष्ट परिभाषा सहित कंपनी की नीति में GBVH को दर्शाया गया है (या तो एक अलग नीति बनाकर या व्यापक नीतियों में समाकलित करके)?? • क्या कंपनी ने स्पष्ट आचार संहिता बनाई है जिसमें GBVH के सभी रूपों को प्रतिबंधित किया हो? • क्या GBVH नीतियां और आचार संहिता श्रमिकों और बाहरी हितधारकों के लिए सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध हैं? • क्या गोपनीय शिकायत तंत्र बनाए गए हैं, जहाँ से GBVH से संबंधित रिपोर्ट और चिंताओं को प्रस्तुत किया जा सकता हो? • क्या कर्मचारियों, समुदाय के सदस्यों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ रिपोर्टिंग चैनल उपलब्ध हैं, जिनमें गुमनाम विकल्प भी शामिल हो? • क्या GBVH की रिपोर्ट तैयार होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जिसमें स्पष्ट जांच प्रक्रियाएं शामिल हो जो उत्तरजीवियों की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान केंद्रित करती हों? क्या प्रशिक्षित जांचकर्ताओं को निर्धारित कर लिया गया है? • क्या GBVH की रिपोर्ट बनाई गई है और उन्हें कैसे संभाला गया है?

क्रमांक	पहलू	यथोचित परिश्रम के लिए सवाल
		• क्या कंपनी लीडरशप सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट को गंभीरता से लेने के लिए प्रतिबद्ध है? • क्या GBVH और कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं पर अनिवार्य प्रशिक्षण ठेकेदारों और सुरक्षा कर्मचारियों सहित सभी ग्रेड के सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, साथ ही नए भर्ती हुए कर्मचारियों को भी शुरुआती प्रशिक्षण दिया जाता है? • क्या GBVH की निवारण और प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों वाले स्टाफ सदस्यों को अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? • क्या GBVH के बारे में सेवा उपयोगकर्ताओं और समुदायों को साफ संदेश प्रदान किया गया है, इसकी रिपोर्ट कैसे करें और रिपोर्ट को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? • क्या GBVH जोखिमों और अपेक्षाओं की जानकारी बोली दस्तावेजों में शामिल है? • क्या बोली लगाने वालों के लिए अपनी GBVH नीतियों और प्रक्रियाओं को साझा करना आवश्यक है? • क्या ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए अनुबंधों में खंड शामिल किए गए हैं? • क्या GBVH की रिपोर्ट करने के लिए कंपनी शिकायत तंत्र के बारे में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी प्रदान की जाती है? • क्या GBVH को कार्यस्थल सुरक्षा आकलन में शामिल किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता आवास और परिवहन शामिल हो?
7	प्रदूषण की रोकथाम और संसाधन दक्षता	• स्रोतों सहित परियोजना के अपेक्षित संसाधन उपयोग के बारे में विवरण प्रदान करें, ऊर्जा के स्रोत सहित । क्या परियोजना के लिए विभिन्न संसाधनों (जैसे चार्ज करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा) का उपयोग करने की क्षमता पर विचार किया गया है? • क्या परियोजना के परिणामस्वरूप परिवेशी पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों (जैसे, वायु गुणवत्ता, शोर, पानी की गुणवत्ता और जल तालिका) में कोई गिरावट आएगी? • क्या परियोजना के परिणामस्वरूप परिवेशी पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों (जैसे, वायु गुणवत्ता, शोर, पानी की गुणवत्ता और जल तालिका) में कोई गिरावट आएगी? • क्या इस परियोजना में परियोजना-विशिष्ट प्रदूषण निवारण और नियंत्रण तकनीकें लागू होंगी? • क्या परियोजना के लिए स्कोप 1 और स्कोप 2 GHG उत्सर्जन की मात्रा निर्धारित की गई है? इसके विवरण प्रदान करें। • क्या परियोजना के हिस्से के रूप में कोई खतरनाक सामग्री बनी है? क्या इन्हें राष्ट्रीय कानून और/या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या चरणबद्ध तरीके से हटाने के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा? • क्या इस परियोजना में ठोस कचरे के भंडारण, प्रबंधन और निपटान की प्रक्रियाएं होंगी? क्या इसमें अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक शामिल है? • बैटरी या अन्य सामग्रियों के निपटान के बारे में विवरण प्रदान करें, जिसमें राष्ट्रीय नियमों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों के संरेखण, और परियोजना के लिए जीवन के अंत के प्रबंधन के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां शामिल हों। • क्या परियोजना से अपशिष्ट बनेगा? क्या इसमें निपटान से पहले अपशिष्टों का उपचार किया जाता है? • क्या परियोजना में खतरनाक सामग्रियों के भंडारण, प्रबंधन और निपटान की प्रक्रियाएं होंगी? • क्या परियोजना में आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया योजना होगी?
8	सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	• क्या परियोजना स्थलों के निकट कोई समुदाय है? स्थानीय समुदाय के साथ कंपनी का क्या संबंध है? क्या कंपनी अपने संचालन के लिहाज़ से समुदाय, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखती है? क्या इसकी आवश्यकताओं में कंपनी के बुनियादी ढांचे और उपकरण सुरक्षा, खतरनाक सामग्री के निवारण, परिवहन और निपटान संबंधी विचार, प्राकृतिक संसाधन उपयोग और बीमारी के सामुदायिक जोखिम को ध्यान में रखा गया है?

क्रमांक	पहलू	यथोचित परिश्रम के लिए सवाल
		• क्या कंपनी ने आस-पास के समुदायों या अन्य हितधारकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, चिंताओं या शिकायतों को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए जिम्मेदार संगठन के भीतर संपर्क व्यक्तियों को नामित किया है? यदि किया है, तो क्या इन व्यक्तियों के संपर्क विवरण कंपनी सुविधा साइनेज पर खास तौर पर प्रदर्शित होंगे? • क्या कंपनी की आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में परियोजना गतिविधियों से स्थानीय समुदायों के लिए जोखिम और प्रभावों को ध्यान में रखती है? क्या इसमें सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से प्रभावित समुदायों को महत्वपूर्ण संभावित खतरों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता शामिल है? • क्या कंपनी/परियोजना को सुरक्षा कर्मचारियों को उनकी सुविधाओं पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या अनुबंध के प्रावधानों में दिशा-निर्देश शामिल हैं कि कैसे सुरक्षा कर्मियों को सुविधा के निकट समुदायों के साथ बातचीत करनी चाहिए?
9	स्थानीय लोग	• क्या परियोजना अनुसूचित V इलाके में स्थित है या जनजातीय आबादी के उच्च अनुपात वाले किसी इलाके में स्थित है? • क्या इस परियोजना का स्थानीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? क्या ESIA या कंपनी द्वारा किए गए किसी अन्य अध्ययन में IPs पर प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की गई है और जहां संभव हो वहां इनसे बचने के तरीकों की पहचान की गई है? • क्या निवेशिती कंपनी ने IFC PS 7 में दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से मुआवजा दिया है? • क्या निवेशिती कंपनी ने PS 7 में उल्लिखित शमन उपायों, विकासात्मक लाभों और अवसरों को साझा करने और कार्यान्वयन के मुद्दों पर केंद्रित FPIC प्रक्रिया के माध्यम से सूचित भागीदारी के लिए कोई प्रक्रिया बनाई है?
10	सांस्कृतिक विरासत	• क्या परियोजना ऐसे इलाके में स्थित है, जहां सांस्कृतिक विरासत पाई जा सकती हो? यदि हां, तो क्या IFC PS 8 में उल्लिखित एक मौका खोज प्रक्रिया स्थापित की गई है? • क्या यह संभव है कि परियोजना से सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव पड़ सकता है या ऐसी जगह पर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत पाई गई है, जहां महत्वपूर्ण क्षति को रोका नहीं जा सकता है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने IFC PS 8 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है? • क्या परियोजना कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र या कानूनी रूप से परिभाषित बफर जोन में स्थित है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने IFC PS 8 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है?

A3. ESIA के लिए संदर्भ की नमूना शर्तें

ESIA अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तें

[इस टेम्पलेट को उप-परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) अध्ययन करने के लिए बाहरी तीसरे पक्ष के सलाहकार के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) बनाने के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।]

परियोजना विवरण

[प्रतिपक्ष द्वारा भरा जाएगा और इसमें उप-परियोजना का मूल विवरण शामिल होगा जिसके लिए ESIA अध्ययन किया जाना आवश्यक है (स्थान, भूमि क्षेत्र, शामिल भूमि का प्रकार, परियोजना विकास का चरण)।]

ESIA का उद्देश्य

पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के उद्देश्य होंगे:

- पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परियोजना गतिविधियों का विश्लेषण, मात्रा निर्धारित करना और परियोजना गतिविधियों को डिजाइन करना और परियोजना योजना और डिजाइन में ऐसे मुद्दों को जोड़ना
- अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरणीय आधार रेखा स्थापित करना और किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान करना;
- परियोजना गतिविधि के कारण प्रभावित जैव विविधता (वनस्पति और जीव) की सूची तैयार करना।
- परियोजना से जुड़े विशिष्ट जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए और परियोजना के फुट प्रिंट (संबद्ध सुविधाओं सहित) पर विचार करते हुए इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
- अपेक्षित परिहार और प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों के मुआवजे के उपायों के प्रावधान द्वारा प्रतिकूल प्रभावों को कम करना
- उपयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य उपकरण/उपकरणों का उपयोग करते हुए, जैसा लागू हो, समुदाय सहित परियोजना में शामिल हितधारकों की पहचान करना और उनका प्रोफाइल तैयार करना
- परियोजना प्रभावित समुदाय की अपेक्षाओं और चिंताओं की पहचान करने के लिए केंद्रित समूह चर्चा जैसे उपकरणों का उपयोग करके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना
- माध्यमिक और प्राथमिक सूचनाओं के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर परियोजना प्रभावित समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति स्थापित करना
- विशिष्ट परियोजना के लिए उपयुक्त CSR और सामुदायिक विकास गतिविधियों (यदि लागू हो) तैयार करना और सुझाव देना
- संकेतक बजट के साथ शमन उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन और निगरानी योजना (ESAP) विकसित करना।
- ESIA अध्ययन के परिणाम के आधार पर IFC वर्गीकरण के अनुसार परियोजना को वर्गीकृत करना।

ESIA का दायरा

ESIA अध्ययन के प्रस्ताव में IFC प्रदर्शन मानकों 2012 के विशिष्ट दिशानिर्देशों और भारत की अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन होगा।

ESIA अध्ययन के लिए सलाहकार द्वारा कार्य के व्यापक दायरे में प्रस्तावित परियोजना के निम्नलिखित पहलू शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- साहित्य सर्वेक्षण, डेटा संग्रह, उपलब्ध पर्यावरण की जांच, सामाजिक रिपोर्ट/डेटा, परियोजना रिपोर्ट और चर्चा आदि के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना को समझना।

- आधारभूत पर्यावरण अध्ययन निम्नानुसार किया जाएगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
  - भौतिक वातावरण
    - तापमान, हवा की गति, हवा की दिशा, पवन (हवा) गुलाब पैटर्न, सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता, बादल कवर, सौर विकिरण।
    - परिवेशी वायु गुणवत्ता (PM10, PM2.5, SO2, NOx, CO) की निगरानी CPCB के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी
    - अध्ययन क्षेत्र के शोर स्तर की निगरानी और माप CPCB दिशानिर्देशों और IFC PS आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा
    - भूजल गुणवत्ता (पीने के उद्देश्य) की निगरानी IS विनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
    - सतही जल की गुणवत्ता की निगरानी और माप CPCB मानदंडों के अनुसार किया जाएगा
    - अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता की निगरानी और विश्लेषण ICAR विनिर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार मापदंडों के लिए किया जाएगा
    - भूवैज्ञानिक और जल भूवैज्ञानिक डेटा / सूचना माध्यमिक स्रोतों से या अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार संकलित की जाएगी
    - भूमि उपयोग की जानकारी/स्थिति जिला जनगणना हैंडबुक के साथ-साथ सैटेलाइट इमेजरी की मदद पर आधारित होगी।
  - पारिस्थितिक वातावरण
    - इसमें स्थलीय और जलीय समुदायों (जैसा लागू हो) का आकलन/सूचना, दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों की उपस्थिति आदि यदि कोई हो, शामिल होंगे।
    - सर्वेक्षण में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जैव विविधता पार्क, लुप्तप्राय / संकटग्रस्त / दुर्लभ प्रजातियों की पहचान और उपस्थिति और प्रजातियों की विविधता, घनत्व, बहुतायत आदि का आकलन और पारिस्थितिक सूचकांक का निर्माण भी शामिल है।
  - सामाजिक आर्थिक वातावरण
    - जनसांख्यिकीय जानकारी/स्थिति जनगणना दस्तावेज और अन्य राज्य स्तर/जिला स्तर के डेटाबेस पर आधारित होगा
    - सामाजिक-आर्थिक जानकारी और प्रोफाइल रूपरेखा डेटा जनगणना और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों से, आजीविका प्रोफ़ाइल, बुनियादी ढांचे, भेद्यता, लिंग, स्वदेशी लोगों (जातीय अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति), और श्रम पर जानकारी के साथ;
    - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)/राजस्व अभिलेखों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र (यदि कोई हो) में ऐतिहासिक/पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों की पहचान।
    - परियोजना स्थल के भीतर सामान्य संपत्ति संसाधनों की पहचान और शमन उपाय, यदि कोई हो
    - परियोजना के विकास के कारण वर्तमान दैनिक यातायात के लिए यातायात सर्वेक्षण, व्यस्त समय यातायात और यातायात संरचना और यातायात संरचना और मात्रा में कोई परिवर्तन
- E&S प्रभावों का आकलन
  - अध्ययन से मिले आधारभूत डेटा के आधार पर संभावित E&S प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और प्रत्येक पर्यावरणीय विशेषता के लिए लागू मानकों के साथ तुलना की जानी चाहिए। विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों, पौधों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों जैसे संवेदनशील लक्ष्यों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों की भी पहचान की जानी चाहिए।
  - प्रस्तावित नियंत्रण उपायों की पर्याप्तता के साथ-साथ मौजूदा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव की पहचान करने के लिए प्रस्तावित परियोजना (धूल, अपशिष्ट जल, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, आदि) से प्रदूषण के स्रोतों का गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
  - IFC PS 5 दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय कानूनों, नियमों और विनियमों पर विचार करते हुए भूमि खरीद / अधिग्रहण प्रक्रिया पर चर्चा करें। बाजार दरों के अनुसार भुगतान किए गए मुआवजे की दरें, भूमि खरीद से पहले परामर्श अध्ययन में प्रासंगिक साक्ष्य के साथ परिलक्षित होगा।
  - स्थानीय लोगों या अनुसूचित जनजातियों पर प्रभावों पर चर्चा करें
  - निर्माण और संचालन दोनों चरणों के लिए प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
- पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन योजना

- पहचाने गए प्रत्येक संभावित नकारात्मक प्रभाव के लिए, संभावित न्यूनीकरण से जुड़ी लागतों के साथ-साथ प्रभावों से बचाव, न्यूनीकरण या शमन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। ESAP निम्नलिखित पर चर्चा करेगा:
  - शमन उपायों के साथ सभी प्रत्याशित महत्वपूर्ण प्रतिकूल E&S प्रभावों को पहचानें और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करें
  - पर्यावरणीय प्रदर्शन और प्रदर्शन में निरंतर वृद्धि के लिए नीतियों और उद्देश्यों के एक सेट को परिभाषित करें
  - प्रस्तावित परियोजना (निर्माण और संचालन चरण के लिए) के लिए निगरानी कार्यक्रम को विश्व बैंक/IFC सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट EHS दिशानिर्देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार सभी E&S विशेषताओं को शामिल करते हुए तैयार किया जाएगा।
  - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की सिफारिश करें जिसमें निगरानी के लिए पैरामीटर, उपयोग की जाने वाली विधियां, नमूना स्थान, माप की आवृत्ति, पता लगाने की सीमाएं और थ्रेसहोल्ड की परिभाषा शामिल हो, जो सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता को संकेत देगी।
  - अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाओं, आपात स्थितियों, बाहरी शिकायतों, निर्माण सुरक्षा, श्रम प्रबंधन, हितधारक सगाई, स्वदेशी लोगों आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रबंधन योजना बनाना।
  - ESAP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संगठनात्मक संरचना की सिफारिश करना।

ESDD के लिए संदर्भ की शर्तें

निम्नलिखित उपखंडों में यथोचित परिश्रम करने के लिए तीसरे पक्ष के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) का नमूना प्रदान किया है। बाहरी ESDD सलाहकार को प्लैटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी:

- संपत्ति का अवलोकन;
- प्लैटफॉर्म द्वारा की गई प्रारंभिक E&S स्क्रीनिंग के परिणाम;
- ESDD से पहले किए गए किसी विशेष अध्ययन के परिणाम; और
- ESDD का दायरा।

उप-परियोजना अवलोकन

यहां शामिल किया जाना है

ESDD के उद्देश्य

यहां शामिल किया जाना है

संदर्भ ढांचा

सलाहकार निम्नलिखित संदर्भ ढांचे के अनुसार ESDD आरंभ करेगा:

- E&S मुद्दों पर लागू भारतीय नियामक ढांचा (राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय);
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) प्रदर्शन मानक, 2012;
- विश्व बैंक समूह (WBG) के सामान्य EHS दिशानिर्देश, 2007;
- WBG क्षेत्रीय EHS दिशानिर्देश, 2007;

सलाहकार योग्यता

यहां शामिल किया जाना है

केंद्रित मूल्यांकन पैरामीटर

प्लैटफॉर्म में पर्यावरणीय और सामाजिक (E&S) यथोचित परीश्रम (DD) मानकीकृत दायरे का उपयोग होगा जैसा कि नीचे उल्लिखित है। E&S जोखिमों और अवसरों की यह सूची संपूर्ण नहीं है और जरूरी नहीं है कि सभी सूचीबद्ध आइटम प्लैटफॉर्म द्वारा शुरू की गई प्रत्येक परियोजना के लिए

लागू या सामग्री हों। उपयोगकर्ता को किसी भी अतिरिक्त E&S जोखिमों और अवसरों को सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए जिनको परियोजना को भौतिक रूप से प्रभावित करने वाला माना जाता हो।

पैरामीटर	विवरण का आकलन करने की आवश्यकता है
प्रबंधन प्रणाली और अनुपालन	• पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) और संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं का अस्तित्व और उपयुक्तता। किसी भी ISO प्रमाणन या संबंधित सिस्टम पर विवरण सहित • लक्ष्य पर E&S प्रबंधन जिम्मेदारियों को कैसे संरचित किया जाता है, इस बारे में विवरण और उपयुक्तता • कंपनी के E&S स्टाफ/संसाधन और प्रशिक्षण की पर्याप्तता और विशेषज्ञता • पर्यावरण और सामाजिक नियमों, नियोजन शर्तों और लाइसेंसों का अनुपालन। किसी भी अनसुलझे कानूनी दावे, न्यायिक कार्यवाही, लंबित या पर्यावरणीय विधायी या भौतिक प्रभावों के साथ नियामक परिवर्तन शामिल हैं • संभावित आगामी विनियम परिवर्तन जिनसे कंपनी प्रभावित हो सकती है, जिनसे कंपनी पर भौतिक प्रभाव पड़ने की संभावना हो
पर्यावरणीय	• ऐतिहासिक और मौजूदा संदूषण मुद्दे • पिछले 3 वर्षों में हुई किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाओं की पहचान करें • उद्योग मानकों का पालन और पर्यावरण प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास • खतरनाक पदार्थ, रसायन और फ्यूल हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन (एस्बेस्टस, रेडियोधर्मी पदार्थ, आदि) • प्रतिबंधित पदार्थ जैसे एस्बेस्टस, CFC, PCB, लेड पेंट या PFAS • पारिस्थितिकी, जैव विविधता, वन्य जीवन और संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रभाव • पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, संरक्षित इलाकों पर प्रभाव • अपशिष्ट, अपशिष्ट जल प्रबंधन और संसाधन दक्षता • जल खपत और जल संसाधन दक्षता • शोर प्रबंधन • अद्यतित ग्रीनहाउस गैस (GHG) सूची की उपस्थिति - स्कोप 1 और 2 GHG उत्सर्जन के साथ-साथ ऊर्जा खपत • कंपनी और उसका संचालन को प्रभावित कर सकने वाले भौतिक जलवायु परिवर्तन जोखिम • कम कार्बन संक्रमण के लिए तैयारी • प्राकृतिक आपदा तन्यकता जैसे कि झाड़ियों की आग, बाढ़, हवाएं और भूकंप से निपटने के लिए भौतिक तैयारी और तन्यकता • प्राकृतिक आपदा तन्यकता जैसे कि झाड़ियों की आग, बाढ़, हवाएं और भूकंप के लिए व्यावसायिक आकस्मिक योजनाएँ
सामाजिक	• हितधारक प्रबंधन योजना, नीतियों, शिकायत तंत्र और व्हिसलब्लोइंग तंत्र का अस्तित्व और उपयुक्तता • SEAH के संबंध में पिछले 3 वर्षों में हुई किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं की पहचान करें • निकटस्थ समुदायों, मुवक्किलों और ग्राहकों के साथ संबंधों की स्थिति • मानव अधिकारों के उल्लंघन, आधुनिक गुलामी या औद्योगिक संबंधों के मुद्दों सहित कंपनी द्वारा पर्यावरण या सामाजिक कुप्रबंधन से संबंधित साक्ष्य, विश्वसनीय आरोप, सामुदायिक विरोध या कार्यकर्ता अभियान • अनसुलझे भूमि अधिकार विवाद, स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन, वनस्पति/जीव या पुनर्वास मुद्दे • मानव स्वास्थ्य, सौंदर्य, शोर या गंध पर प्रभाव श्रमिकों और/या निकटस्थ समुदायों पर प्रभाव • पुरातत्व और विरासत जोखिम • उपयुक्त सुरक्षा प्रबंधन योजना, प्रणाली, नीति, संसाधन, प्रशिक्षण और अभ्यास • बाल और/या जबरन श्रम के संबंध में किसी भी संभावित मुद्दों के अस्तित्व की समीक्षा करें • यूनियनों सहित श्रम और काम करने की स्थिति • विविधता, समानता और समावेश पर प्रभाव

प्रस्ताव

ESDD में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

सूचना समीक्षा**:** इसमें सभी प्रासंगिक सामाजिक, श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी दस्तावेजों और जानकारी (यानी, पर्यावरण परमिट / लाइसेंस और संबंधित आवेदन, स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना, हितधारक सहभागिता योजनाएं, मानवाधिकार और स्वदेशी लोगों की नीतियां और प्रक्रियाएं, भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर योजनाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, परामर्श योजनाएं और अब तक किए गए परामर्श के दस्तावेज, रियायत और निर्माण अनुबंध, कोई अन्य अतिरिक्त पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा अध्ययन, आदि, और, साइट टोही के बाद, प्राप्त या एकत्र की गई किसी भी अतिरिक्त जानकारी की समीक्षा) की समीक्षा शामिल होनी चाहिए

साइट टोही**:** संपूर्ण उप-परियोजना की एक साइट जांच की जाएगी जिसमें उप-परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रासंगिक क्षेत्रों का दृश्य अवलोकन, सामाजिक पर चर्चा करने के लिए उप-परियोजना से जुड़ी प्रासंगिक व्यक्तियों/ संस्थाओं के साथ बैठकें, पर्यावरणीय मुद्दों, स्वास्थ्य और सुरक्षा और श्रम मुद्दों, बाड़ लाइन समुदायों और/ या प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श और आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना शामिल हैं।

चर्चाएँ**:** इन्हें स्थल स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

रिपोर्ट तैयार करना**:** यथोचित परिश्रम से जुड़े दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1. मुख्य मुद्दे रिपोर्ट (या प्रमुख निष्कर्ष रिपोर्ट), और
2. विस्तृत E&S यथोचित परिश्रम रिपोर्ट।

कार्यक्रम

- सलाहकार साइट टोही यात्रा के पूरा होने के [x] कार्य दिवसों के भीतर प्रमुख मुद्दों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ड्राफ्ट [यथोचित परिश्रम] रिपोर्ट [तारीख डालें] तक सबमिट कर दी जाएगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर MAM से टिप्पणियां मिलने के बाद 1 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- सारी रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखी और बनाई जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वितरित की जानी चाहिए।

ESDD रिपोर्ट की नमूना संरचना

एक सामान्य ESDD रिपोर्ट में निम्न चीजों को कम से कम कवर करना होगा।

1. परिचय**:** इस खंड में मुख्य रूप से इनका विस्तार किया जाएगा:
   - यथोचित परिश्रम की पृष्ठभूमि
   - प्राथमिक उद्देश्य और आकलन का दायरा
   - आकलन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली, और
   - आकलन की सीमाएं
2. परियोजना अवलोकन**:** इस खंड में मुख्य रूप से पूर्ण उप-परियोजना, इसके विभिन्न घटकों, साथ ही उप-परियोजना की वर्तमान स्थिति को दर्शाया जाता है।
   - रियायत समझौते, E&S परमिट शर्तों और लागू कानून के खिलाफ नियामक अनुपालन की स्थिति
   - मौजूदा E&S प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन प्रदान करें
   - भूमि फुटप्रिंट, खरीद विवरण, R&R कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण प्रदान करें
   - परियोजना उपयोगिताओं पर विवरण शामिल करें
   - प्राकृतिक और महत्वपूर्ण आवास की उपस्थिति, प्रतिपूरक वनीकरण की स्थिति आदि सहित पारिस्थितिक पहलुओं पर विवरण प्रदान करें।
   - शामिल करने के लिए अन्य विवरण - कार्यबल, चल रहे/लंबित मुकदमों की स्थिति, दुर्घटना/घटना के आंकड़े

- परियोजना के संबंध में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध जानकारी की समीक्षा शामिल करें
- हितधारक सहभागिता गतिविधियों का विवरण प्रदान करें

3. मुख्य निष्कर्ष अनुभाग: इस खंड में मुख्य निष्कर्ष और अंतराल शामिल हैं जिनका दस्तावेज़ीकरण समीक्षा और साइट मूल्यांकन से देखा और मूल्यांकन किया गया। निष्कर्ष लागू संदर्भ ढांचे और उसी से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के मूल्यांकन पर आधारित हैं। संदर्भ के लिए एक प्रमुख निष्कर्ष तालिका की एक नमूना संरचना नीचे दी गई है।

ESDD निष्कर्ष तालिका

क्रमांक	लागू संदर्भ ढांचे के अनुसार आवश्यकताएँ	अवलोकन	मुख्य निष्कर्ष और अंतराल	सिफारिशें

4. परियोजना वर्गीकरण पर पुष्टि : इस खंड में संदर्भ ढांचे को ध्यान में रखते हुए परियोजना के वर्गीकरण (श्रेणी A, B या C) के मापदंडों पर चर्चा की जाएगी।
5. पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना: इस खंड प्रमुख शमन उपायों और सुधारात्मक कार्रवाइयों को रेखांकित किया जाता है जैसा कि निष्कर्ष तालिका में हाइलाइट किए गए मूल्यांकन अंतराल के लिए निर्धारित है। ESAP में मुख्य रूप से शामिल होंगे:
   - पाए गए प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ
   - शमन या सुधारात्मक कार्रवाई
   - मापने योग्य परिणाम/दस्तावेजीकरण
   - प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी और आवश्यक संसाधन
   - सुधारात्मक कार्रवाइयों को पूरा करने और लागू करने की समय-सीमा
   - सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए बजट या लागत

ESAP के लिए एक नमूना टेम्पलेट संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

मुख्य मुद्दे और अंतराल	सुधारात्मक कार्रवाई	जिम्मेदारी और संसाधन	मापने योग्य परिणाम	समयसीमा	लागत

A4. हितधारक सहभागिता ढांचा

यह ढांचा हर एक-एक मामले के आधार पर प्रत्येक उप-परियोजना के लिए एक हितधारक सहभागिता योजना (SEP) तैयार करने और लागू करने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सिद्धांत

SEP के नियमन को नियंत्रित करने के सिद्धांत इस प्रकार हैं:

i. एकरूपता और भौतिकता

   की गई गतिविधियों को व्यावसायिक उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और उप-परियोजना से जुड़े पहचाने गए मुद्दों/प्रभावों/जोखिमों के साथ जोड़ा जाएगा।

ii. सांस्कृतिक उपयुक्तता और समावेशिता

   की जाने वाली सहभागिता की गतिविधियाँ हितधारक समूहों के सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं के साथ-साथ विभिन्न समूहों की सामाजिक स्थिति में अंतर के संज्ञान में होंगी। जिस सीमा तक संभव हो, सभी समूहों, विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी द्वारा भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, मौजूदा संस्थानों और पहचान किए गए हितधारकों की प्रक्रियाओं के भीतर सगाई की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा।

iii. पारदर्शिता

   यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहभागिता गतिविधियाँ एक सहयोगी तरीके से की जाती हैं, यह आवश्यक है कि हितधारकों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच हो। पारदर्शिता और सूचना साझाकरण भी गतिविधियों के पीछे तर्क और प्रेरणा के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने की अनुमति देकर साइट/व्यवसाय के प्रति हितधारकों के बीच विश्वास बनाने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार प्रक्रिया की समझ और निष्पक्षता की अनुमति देता है।

iv. अधिकार संगतता

   हितधारक की सहभागिता की गतिविधियाँ और योजनाएँ इक्विटी और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले निर्णयों के आधार पर प्रक्रियाओं और समझौतों को बढ़ावा देंगी। कंपनियों को ध्यान देना चाहिए कि उप-परियोजना स्तर के SEPs को स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे स्थानीय लोगों, प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं आदि के मानवाधिकारों को खत्म नहीं करना चाहिए।

हितधारक सहभागिता योजना का निर्माण और कार्यान्वयन

चित्र 1. हितधारक सहभागिता के चरण

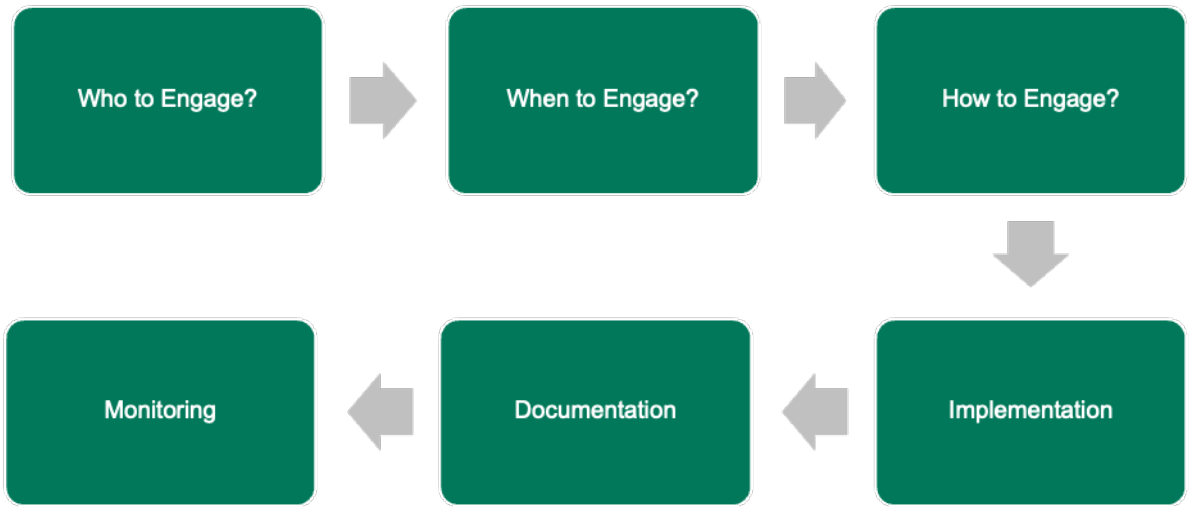

6.3.1 चरण एक - किसे शामिल करना है?

6.3.1.1 हितधारकों की पहचान

उप-परियोजना स्तर पर हितधारकों की पहचान करने के उद्देश्य से, प्रतिपक्ष नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेंगे:

- SEP में शामिल किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करें;
- एक बार फुटप्रिंट का विस्तृत मानचित्रण पूरा हो जाने के बाद, परियोजना से संभावित मुद्दों और प्रभावों की पहचान की जाएगी।
- परियोजना क्षेत्र के अलावा, हितधारकों की पहचान के लिए प्रभाव के समग्र क्षेत्र पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उप-परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले समूहों/व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इन हितधारकों को तब विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे:

- परियोजना से प्रभावित समुदाय;
- ठेकेदार;
- स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारी संस्थान;
- मीडिया;
- NGO, नागरिक समाज संगठन (CSO);
- अन्य उधोग;
- नियामक अधिकारी;
- आपूर्तिकर्ता

6.3.1.2 हितधारक प्रोफाइलिंग

हितधारक प्रोफाइल बनाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की होगी। हितधारक प्रोफाइल में पहचाने गए समूहों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए, जैसे:

- समूह में निर्धारित किए गए हितधारकों की संख्या;
- संचालन और प्रभाव का पैमाना;
- कानूनी और नियामक संदर्भ;
- यदि समूह एक बड़े समूह का प्रतिनिधि हो, जैसे कि निर्वाचित नेता, तो इसकी वैधता की पुष्टि करें;
- समूह की सहभागिता क्षमता; और
- प्रतिपक्ष और अन्य हितधारक समूहों के साथ मौजूदा संबंध।

प्रतिपक्ष संभावित हितधारकों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को जानेगा जिससे बाद में प्रत्येक हितधारक के महत्व को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। मुद्दे की प्रोफ़ाइल में निम्नलिखित की समझ शामिल होगी:

- मुद्दे का विवरण;
- जिस स्तर पर मुद्दा प्रासंगिक है उसकी समझ;
- मुद्दे से संभावित प्रभाव के भौगोलिक प्रसार की समझ;
- निर्णयों, कार्यों और संगठन के व्यवहार पर प्रभाव के संदर्भ में संचालन पर संभावित प्रभाव; और
- प्रतिपक्ष का नियंत्रण का वह स्तर जिसे वह मुद्दे पर प्रयोग करने में सक्षम है।

ऊपर सूचीबद्ध हितधारकों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं:

तालिका 2. प्रमुख हितधारक मुद्दों के उदाहरण

हित का प्रकार	मुद्दों का विवरण
सामाजिक	• श्रमिकों के प्रवासन के प्रभावों के संबंध में चिंताएं - जैसे देश के अन्य इलाकों से • महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों या जरूरतों पर प्रभाव या संवेदनशीलता • यह उम्मीद कि स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार होगा
आर्थिक	• महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर के लिए अनुरोध • यह उम्मीद कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा
मुआवज़ा	• मुआवजे के लिए चल रहे अनुरोध, जहां भी लागू हो

6.3.1.3 हितधारक मानचित्रण

प्रमुख हितधारकों को निर्धारित करने के बाद, हितधारकों की अपेक्षाओं और उनकी रुचि के स्तर और उस मुद्दे के संबंध में उनके प्रभाव पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वे कार्य कर रहे हैं। उपयोगी सहभागिता योजना बनाने की प्रक्रिया में हितधारक मानचित्रण करना एक आवश्यक कदम है।

हितधारक परियोजना पर उनकी रुचि, प्रभाव और नियंत्रण की डिग्री के संदर्भ में भिन्न होते हैं। हितधारकों को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- प्राथमिक हितधारक**:** जिन हितधारकों का परियोजना पर सीधा प्रभाव पड़ता है या वे सीधे प्रभावित होते हैं, उन्हें प्राथमिक हितधारक के तौर पर जाना जाता है,
- माध्यमिक हितधारक: जिन हितधारकों का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें माध्यमिक हितधारक के तौर पर जाना जाता है।

प्रत्येक हितधारक के अपने अलग-अलग प्रभाव और हित होते हैं। निम्नलिखित तालिका हितधारकों के प्रारंभिक वर्गीकरण का एक नमूना उदाहरण प्रदान करती है।

तालिका 3. प्रारंभिक हितधारक श्रेणी

		हितधारक श्रेणी	
संख्या	हितधारक	प्राथमिक	माध्यमिक
1	कर्मचारी	✓	
2	परियोजना से प्रभावित समुदाय	✓	
3	ठेकेदार	✓	
4	आपूर्तिकर्ता	✓	
5	नियामक अधिकारी	✓	
6	NGOs, नागरिक समाज	✓	
7	मीडिया	✓	

एक हितधारक समूह के महत्व को निम्नलिखित मानदंडों के साथ वर्गीकृत किया जाएगा:

- एक हितधारक समूह के प्रभाव की परिमाण (प्रकार, सीमा, अवधि, पैमाने, आवृत्ति) या प्रभाव की डिग्री (अधिकार, निकटता); और,
- परियोजना के संदर्भ में विशेष हितधारक समूह से जुड़े प्रभाव/असर की तात्कालिकता/संभावना।

हितधारक प्रभाव/असर के परिमाण का आकलन हितधारक समूह के अधिकार/ जिम्मेदारी [8] और निकटता[9] को लेकर किया जाता है और इसे नगण्य, छोटे, मध्यम और बड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हितधारक द्वारा प्रभाव/असर की तात्कालिकता या संभावना का मूल्यांकन निम्न, मध्यम और उच्च के पैमाने पर किया जाता है। हितधारक समूह के समग्र महत्व का आकलन नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है:

तालिका 5. हितधारक अभिप्राय मैट्रिक्स

हितधारक		हितधारक पर/द्वारा असर की तात्कालिकता/संभावना		
		कम	मध्यम	उच्च
असर/ प्रभाव का परिमाण	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	छोटा	नगण्य	अल्प	मध्यम
	मध्यम	अल्प	मध्यम	अति आवश्यक
	बड़ा	मध्यम	अति आवश्यक	अति आवश्यक

तालिका 5 मार्गदर्शन के अनुसार प्रभाव के स्तर का मूल्यांकन करने के बाद, चित्र 2 हितधारक मानचित्रण उपकरण का उपयोग संचार की आवृत्ति को और अधिक सूचित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, चित्र 2 प्रत्येक हितधारक के महत्व का विश्लेषण करने और उसे प्राथमिकता देने के लिए हितधारक मानचित्रण उपकरण का चित्रण प्रदान करता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीति या उप-परियोजना की प्रगति के साथ-साथ हितधारक का हित या असर बदल सकता है। इसलिए, परियोजना के विभिन्न चरणों में नए हितधारकों और हितधारकों की सहभागिता के स्तर का लगातार पुनर्मूल्यांकन और पहचान करने की आवश्यकता है।

चित्र 2. हित/प्रभाव और असर के अनुसार हितधारक मानचित्रण

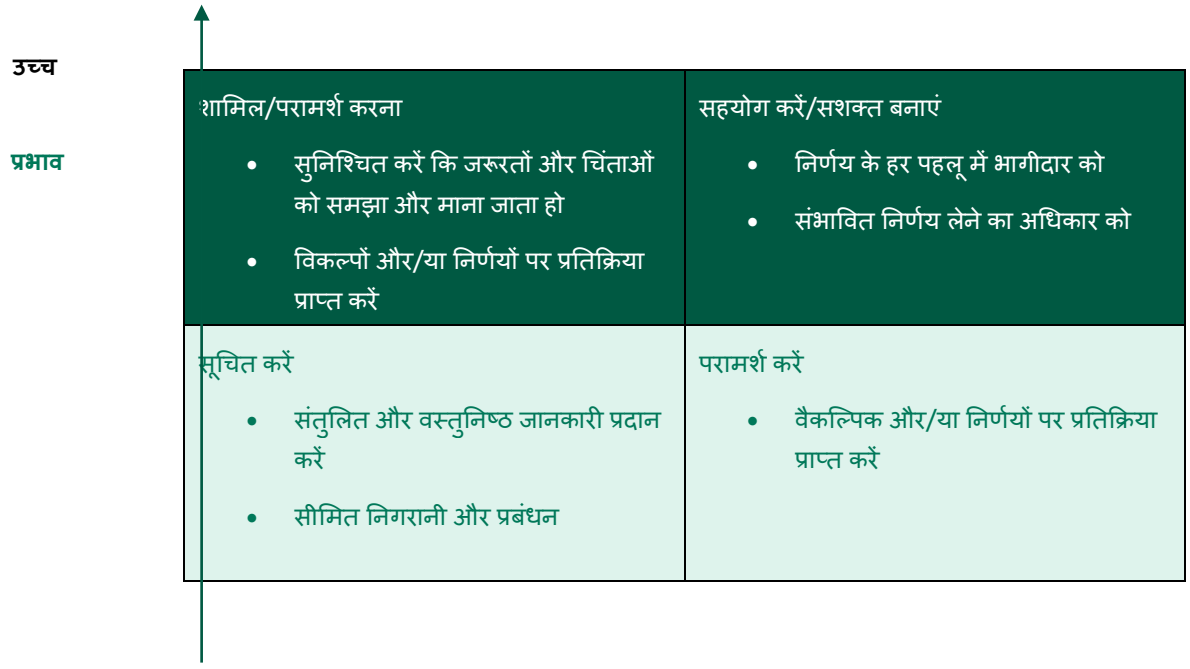

8 अधिकार/जिम्मेदारी: वे हितधारक जिनके प्रति प्रतिपक्ष के पास या भविष्य में विनियमों, अनुबंधों, नीतियों या अभ्यास संहिताओं के रूप में कानूनी, वित्तीय और परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां हो सकती हैं।

9 निकटता: हितधारकों को इंगित करती है कि संगठन आंतरिक हितधारकों सहित ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है, जिनके लंबे समय से रिश्ते हैं और जिनके ऊपर संगठन अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए निर्भर है।

कम असर उच्च

- यदि किसी हितधारक का परियोजना के परिणामों के ऊपर उच्च स्तर का प्रभाव और हित है तो उन्हें ऊपर दाएं चौथे खाने में रखा जाना चाहिए।
- इसके विपरीत, यदि उनका निम्न स्तर का प्रभाव और कम हित है तो उन्हें निचले बाएं खाने में रखा जाना चाहिए।
- हितधारकों की हिच और असर का स्तर कई मुद्दों पर निर्भर करेगा, जैसे कि नीति या परियोजना की प्रकृति, उनकी भागीदारी का समय और सीमा और परिणामों की प्रभावशीलता पर प्रभाव की उनकी संभावित क्षमता।

6.3.2 चरण दो - कब संलग्न होना है

SEP में संचालन और रखरखाव चरण के लिए विचार-विमर्श को शामिल करना चाहिए। प्रतिपक्ष परियोजना के विकास/O&M चरण (जैसा लागू हो) और किसी भी विस्तार/अतिरिक्त गतिविधियों के लिए SEP तैयार करेगा। प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए प्रतिपक्ष को सभी O&M गतिविधियों को सूचीबद्ध करना चाहिए। एक बार प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों का पता लग जाने के बाद, प्रतिपक्ष प्रभावित हितधारकों के साथ नियमित संचार सुनिश्चित करने के लिए आवृत्ति और सहभागिता चैनलों को मैप करेगा।

6.3.3 चरण चार - कैसे संलग्न हों?

एक बार जब हितधारकों को निर्धारित कर लिया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और आवश्यक सहभागिता के स्तर को समझ लिया जाता है, तो खंड 10.2.1 में परिभाषित सहभागिता के सिद्धांतों के अनुरूप, सहभागिता का सबसे उपयुक्त तरीका निर्धारित करना संभव है।

6.3.3.1 तरीका चुनें

SEP निर्धारित किए गए प्रत्येक हितधारक समूह के साथ एक पारदर्शी और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य जुड़ाव प्रक्रिया निर्धारित करेगा। सहभागिता प्रक्रिया संचार के स्तर को बनाए रखने के लिए और अपनाई जाने वाला संचार का तरीका प्रदान करेगी। सहभागिता के स्तर और संचार के तरीके नीचे दिए गए हैं। संचार के उद्देश्य और लक्षित हितधारक समूह के आधार पर संचार के तरीके मौखिक या लिखित हो सकते हैं। संचार के कुछ प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं:

तालिका 7. विभिन्न सहभागिता के तरीकों के गुण और दोष

तरीका	गुण	दोष
अर्ध-संरचित साक्षात्कार	• परियोजना की ओर से प्रतिबद्धता दिखाता है • हितधारक के साथ संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है • दोतरफा संचार के माध्यम से विस्तृत डेटा प्रदान करता है	• समय और संसाधन तनने वाला • स्वतंत्र रूप से दृष्टिकोण और दावे का परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं • जरूरी नहीं कि व्यक्ति समग्र रूप से एक हितधारक समूह के प्रतिनिधि हों
कार्यशालाएं	• कंपनी की ओर से प्रतिबद्धता दिखाता है • संबंधों का एक नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है • मुद्दों को सत्यापित करने, परीक्षण करने और समाधान करने देता है • प्रतिभागियों द्वारा स्वामित्व बढ़ाता है	• भागीदारी अपेक्षाकृत कम संख्या में हितधारकों तक सीमित है • जरूरी नहीं कि व्यक्ति समग्र रूप से एक हितधारक समूह के प्रतिनिधि हों • पर्याप्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिभागी सूचित विचार प्रदान कर सकें
केंद्रित समूह चर्चा	• कंपनी की ओर से प्रतिबद्धता दिखाता है • संबंधों का एक नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है • मुद्दों को सत्यापित करने, परीक्षण करने और समाधान करने देता है • प्रतिभागियों द्वारा स्वामित्व बढ़ाता है	• भागीदारी अपेक्षाकृत कम संख्या में हितधारकों तक सीमित है • जरूरी नहीं कि व्यक्ति एक हितधारक समूह या समग्र रूप से समुदाय के प्रतिनिधि हों • पर्याप्त (कभी-कभी संवेदनशील) जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिभागी सूचित विचार प्रदान

तरीका	गुण	दोष
		कर सकें
सार्वजनिक मीटिंग	• अपेक्षाकृत सस्ता और तेज़ • कंपनी को एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाता है • खुले विचार देने की इच्छा दिखाता है • समुदायों को कंपनी के प्रतिनिधियों से सीधे बात करने का अवसर प्रदान करता है	• एक जोखिम है कि मुखर लेकिन गैर-प्रतिनिधि समूह मीटिंग को 'अधिग्रहण' कर सकते हैं • हो सकता है कि उनके भीतर के कुछ समुदाय या समूह ऐसे सार्वजनिक प्लैटफॉर्म पर बोलने में सहज न हों • विशेष हितधारकों के मुद्दों का विस्तार से पता लगाने का सीमित अवसर • यदि चर्चा के तहत मुद्दे विवादास्पद या अत्यधिक भावनात्मक हैं तो सुविधा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है
सर्वेक्षण	• विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत डेटा प्रदान करता है • मान लें कि एक उपयुक्त नमूना एकत्र किया गया हो, तब सतमुदाय के भीतर किसी मुद्दे के महत्व की एक अच्छी परख प्रदान करता है • व्यापक रूप से जाना-माना और स्वीकार्य है, खास तौर पर विकसित देशों में	• लिखित सर्वेक्षण ऐसे वातावरण में उपयुक्त नहीं है जहाँ साक्षरता का स्तर कम हो • आसानी से हेरफेर किया जा सकता है या विशेष परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है • प्रतिक्रिया पद्धति के आधार पर, सर्वेक्षण खराब प्रतिक्रिया परिणाम दे सकते हैं • परिणामों को तैयार करने, लागू करने और विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण में काफी समय और संसाधन लगते हैं
सहभागी उपकरण	• कंपनी की ओर से प्रतिबद्धता दिखाता है • परिणामों के संबंध और हितधारक स्वामित्व बनाने का अवसर प्रदान करता है • समुदाय की संस्कृतियों, विश्वासों, संपत्तियों और अंतःक्रियाओं की गहराई से समझ हासिल कर सकते हैं	• परस्पर विरोधी सामुदायिक मांगों को प्रबंधित करने की आवश्यकता • अवास्तविक सामुदायिक अपेक्षाओं का परिणाम प्राप्त हो सकता है • प्रक्रिया में मुखर और संगठित हितधारक समूहों का वर्चस्व हो सकता है
हितधारक पैनल	• निगमित नीति, कार्रवाई या प्रदर्शन के विशिष्ट पहलुओं की जांच करता है • ऐसी टिप्पणियां या सिफारिशें पेश करता है जिन पर कंपनी विशिष्ट प्रतिबद्धताएं कर सकती है या नहीं भी कर सकती है • कंपनी को उसकी सतत विकास रणनीति और/या रिपोर्ट के संबंध में सलाह प्राप्त करने, अपेक्षाओं का आकलन करने और आलोचना करने में मदद करता है	• हो सकता है कि प्रतिनिधि नहीं हो • विशिष्ट विषयों में या कंपनी की सहभागी नीति में निपटाए गए सभी मुद्दों में विशेषज्ञता नहीं हो सकती है

6.3.3.2 मुख्य संदेश निर्धारित करें

पहचान की गई सहभागिता के तरीकों और गतिविधियों को निम्नलिखित के अनुरूप होना चाहिए:

- परियोजना का पैमाना,
- परियोजना की गतिविधियाँ,
- वर्तमान सहभागिता की स्थिति,

- सहभागिता के उद्देश्य,
- स्थान और भूगोल,
- सामाजिक-आर्थिक सेटिंग और
- हितधारकों का महत्व, अपेक्षाएं और चिंताएं।

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर, परियोजना मुख्य भागीदारी रणनीतियों और पहचाने गए हितधारकों के साथ साझा किए जाने वाले संदेशों का आकलन करेगी। नीचे दी गई हितधारक सहभागिता की रणनीति ने पांच सहभागिता स्तरों (सूचित करने, परामर्श लेने, शामिल करने, सहयोग करने और सशक्तिकरण) में से प्रत्येक के अनुसार हितधारकों को शामिल करने के तरीकों का सुझाव दिया।

तालिका 8. हितधारक सहभागिता की रणनीति

पहलू	सूचित करें	परामर्श करें	शामिल हैं	सहयोग	सशक्तिकरण
हितधारक अनुबंध लक्ष्य	हितधारकों को समस्याओं, विकल्पों, अवसरों और/या समाधानों को समझने में मदद करने के लिए संतुलित, उद्देश्यपूर्ण, सटीक और सुसंगत जानकारी प्रदान करें	विश्लेषण, विकल्पों और/या परिणामों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया पाएं।	पूरी प्रक्रिया के दौरान हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी चिंताओं और जरूरतों को लगातार समझा और माना जाता है।	विकल्पों के विकास, निर्णय लेने और पसंदीदा समाधानों की पहचान सहित हितधारकों के साथ भागीदार बनें।	अंतिम निर्णय हितधारक को करने दें।
अनुबंध के ढंग	• फैक्ट शीट • वेबसाइटें • आम जगह • न्यूज़लेटर्स बुलेटिन सर्कुलर • वेबसाइटें	• सार्वजनिक टिप्पणी • फोकस समूह • सर्वेक्षण • सार्वजनिक सभा • वेब टूल्स	• कार्यशालाएं • विचारात्मक • मतदान • वेब टूल्स • फ़ोरम्स	• वेब टूल्स • संदर्भ समूह • चर्चा और निर्णय लेने वाले मंचों के लिए सर्वसम्मति निर्माण की सुविधा प्रदान करना • प्रायोगिक परियोजनाएं	• हितधारकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद की सुविधा • स्थानीय शासन • संयुक्त योजना
हितधारकों के उदाहरण	• मीडिया • स्थानीय सरकारें • शैक्षणिक समुदाय • नियामक अधिकारी	• स्थानीय समुदाय (प्रभावित समुदाय नहीं) • तृतीय पक्ष परामर्शदाता	• प्रभावित समुदाय • स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधि	• NGO • व्यापार संघ	• संवेदनशील समूह (महिलाओं सहित) • पुनर्वासित समुदाय (जैसा लागू हो)

6.3.4 चरण चार - **SEP** का कार्यान्वयन

6.3.4.1 एक उप-परियोजना स्तरीय **SEP** दस्तावेज़ तैयार करना

जहां लागू हो, प्लैटफॉर्म को एक उप-परियोजना स्तर SEP (यदि पहले से विकसित नहीं है) विकसित करने के लिए प्रतिपक्षकारों की आवश्यकता होगी जिसमें निम्नलिखित सामग्री शामिल होगी:

1. प्रस्तावना

i. परियोजना विवरण: संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की पहचान करते हुए उप-परियोजना और उसकी गतिविधियों का संक्षेप में वर्णन करें। जहां संभव हो, परियोजना पदचिह्न क्षेत्र के मानचित्र शामिल करें।

ii. उद्देश्य और लक्ष्य: SEP के प्रमुख उद्देश्यों और लक्ष्यों की समझ प्रदान करें। विवरण का स्तर प्लैटफॉर्म के उद्देश्य और विरोधी के कार्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

iii. दायरा: SEP के दायरे और विस्तार के स्तर की समझ प्रदान करें। विस्तार का स्तर संचालन की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए।

iv. अन्य योजनाओं के साथ इंटर-लिंकेज: शिकायत निवारण सहित उप-परियोजना के लिए गठित अन्य प्रबंधन योजनाओं के साथ SEP को कैसे एकीकृत करना है, इसकी समझ प्रदान करें।

2. लागू संदर्भ ढांचा: हितधारक अनुबंध से संबंधित लागू कानूनी, नियामक और प्रतिपक्ष की आवश्यकताओं का सारांश प्रदान करें।

3. मौजूदा हितधारक अनुबंध प्रक्रिया की समीक्षा: यदि प्रतिपक्ष ने अब तक कोई गतिविधि की है, जिसमें नियामक अनुपालन के लिए आवश्यक सूचना प्रकटीकरण और अनुबंध गतिविधियाँ शामिल हैं, तो निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाने चाहिए:

   i. की गई अनुबंध गतिविधियों के प्रकार

   ii. प्रकट की गई जानकारी का विवरण

   iii. लिंग के आधार पर उपस्थित व्यक्तियों के रिकॉर्ड सहित आज तक की गई किसी भी बैठक का स्थान और तारीखें,

   iv. से जुड़े हितधारक समूह,

   v. प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रमुख चिंताएं उठाई गईं

   vi. किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई सहित उठाए गए मुद्दों पर कंपनी की प्रतिक्रिया

   vii. गतिविधियों के दस्तावेज़ीकरण और रिपोर्टिंग के लिए की गई प्रक्रिया

4. हितधारकों और मुद्दों का विश्लेषण: पहचान किए गए प्रमुख मुद्दों और हितधारक समूहों और उनकी प्रोफ़ाइल, महत्व और प्रमुख चिंताओं और अपेक्षाओं की एक सूची प्रदान करें।

5. हितधारक अनुबंध योजना: तैयार किए गए SEP का विवरण प्रदान करें, जिसमें अनुबंध के उद्देश्य और ढंग, अनुबंध की आवृत्ति, गतिविधियों के लिए समयरेखा, कमजोर समूहों के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं; महिलाओं और IP सहित।

6. शिकायत प्रणाली: परियोजना संचालन के लिए लागू किए जाने वाले शिकायत तंत्र का एक सारांश प्रदान करें और जिस तरीके से इसे कार्य प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना है।

7. भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व: बताएं कि SEP को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए कौन से कर्मचारी और संसाधन समर्पित होंगे, संगठन संरचना को लागू किया जाएगा, और किसी भी बाहरी संसाधनों की आवश्यकता और उनकी भूमिकाएं की आवश्यकता होगी।

8. बजट आवंटन: SEP के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले बजट और वित्तीय संसाधनों का वर्णन करें।

9. दस्तावेज़ीकरण, निगरानी और समीक्षा: किए जाने वाले अनुबंध गतिविधियों के प्रलेखन की प्रक्रिया, निगरानी और समीक्षा की आवृत्ति और प्रक्रिया, निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया के निष्कर्षों को SEP में एकीकृत करने वाली प्रक्रिया, और आवृत्ति और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें।

6.3.4.2 सूचना प्रकटीकरण

आवश्यक होने पर, प्रतिपक्ष अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के हिस्से के रूप में अपने हितधारकों को आवश्यक जानकारी का खुलासा करेगा। यह नोट करना चाहिए कि प्रतिपक्ष उचित समय पर जानकारी का खुलासा करें जो समुदाय को अपने निर्णय लेने के लिए जानकारी का उपयोग करने या सूचित टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के साथ कंपनी से संपर्क करने देता है। इसलिए, परिसंपत्ति स्तर के प्रभावों, नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं का शीघ्र प्रकटीकरण, हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। सूचना प्रकटीकरण के कुछ उदाहरण हो सकते हैं:

- परियोजना के पूरा होने के मील के पत्थर, परियोजना विकास की स्थिति आदि पर अद्यतन;
- संबंधित अध्ययनों में पहचाने गए परियोजना के प्रमुख परिणाम/प्रभाव/जोखिम;
- किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए लागू किए जाने वाले प्रमुख कमी उपाय और प्रणालियां;
- प्रस्तावित सामुदायिक हस्तक्षेप और अनुबंध गतिविधियाँ जिनकी योजना बनाई गई है;
- परियोजना के डिजाइन, कार्यक्रमों की अनुसूची, परियोजना से संबंधित संभावित गतिविधियों में प्रस्तावित परिवर्तन; और
- निगरानी रिपोर्ट।

प्लैटफॉर्म उप-परियोजना के निष्पादन और कार्यान्वयन से पहले आवश्यक जानकारी के प्रकटीकरण की पुष्टि करेगा, साथ ही उप-परियोजना की चल रही निगरानी का हिस्सा होगा।

6.3.4.3 बजट आवंटन

एक SEP को लागू करने के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होगी। इनमें समर्पित कर्मियों, प्रशिक्षण, बाहरी संचार सामग्री, तटस्थ तृतीय पक्ष या समीक्षकों के रूप में सलाहकार, सलाहकार, सुविधाकर्ताओं या मध्यस्थों के संसाधन, और सहभागिता योजना की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी से जुड़ी कोई भी लागत शामिल हो सकती है। इन लागतों को बजट नियोजन प्रक्रिया में तदर्थ, मासिक, वार्षिक आदि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और SEP में भी शामिल किया जाना चाहिए। यह पर्याप्त है यह सुनिश्चित करने के लिए उप परियोजना कार्यान्वयन से पहले प्लैटफॉर्म द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

6.3.4.4 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

पूरे प्रोजेक्ट जीवनचक्र में हितधारक अनुबंध की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। हितधारक सहभागिता प्रक्रिया को लागू करने में नामित कर्मियों द्वारा परियोजना गतिविधियों और ठेकेदारों में इसका समन्वय किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित कार्य होंगे:

- प्लैटफॉर्म सहित उप-परियोजना और उसके हितधारकों के बीच इंटरफेस;
- फुटप्रिंट क्षेत्र और अन्य हितधारकों के भीतर बस्तियों के लिए सभी घटकों के लिए परियोजना विशिष्ट जानकारी का प्रकटीकरण, जब आवश्यक हो;
- हितधारकों से सभी शिकायतों को प्राप्त करने, रिपोर्ट करने, निवारण करने और निगरानी करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करना;
- जब आवश्यक हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों की सार्थक और प्रतिनिधि भागीदारी की सहभागिता सुनिश्चित करें;
- जब आवश्यक हो, परियोजना में एक पारदर्शी प्रतिक्रिया प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों और स्थानीय नेताओं के साथ नियमित सहभागिता; और
- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करना।

प्लैटफॉर्म एक उप-परियोजना की चल रही निगरानी के हिस्से के रूप में SEP के अनुपालन की निगरानी करेगा।

6.3.5 चरण पाँच - **SEP** का दस्तावेजीकरण और निगरानी

6.3.5.1 हितधारक सहभागिता गतिविधियों का दस्तावेज़ीकरण

प्रतिपक्ष को उप-परियोजना के जीवनचक्र में की गई सभी सहभागिता गतिविधियों के डेटाबेस का दस्तावेजीकरण और रखरखाव करना चाहिए। दस्तावेज़ीकरण में शामिल की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई चेकलिस्ट में दी गई है:

तालिका 11. SEP दस्तावेज़ीकरण के लिए एकत्रित की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चेकलिस्ट

संख्या	प्रश्न	टिप्पणियाँ
1	किस हितधारक समूह (समूहों) के साथ जुड़ा हुआ था?	
2	सहभागिता की गतिविधि कब शुरू की गई थी-दिनांक	
3	जगह और स्थान	
4	प्रमुख हितधारक और प्रतिपक्ष प्रतिनिधियों का नाम	
5	उपस्थित लोगों का लिंग विभाजन	
6	सहभागिता का उद्देश्य क्या था?	
7	सहभागिता का कौन-सा तरीका इस्तेमाल किया गया था?	
8	क्या प्रमुख परिणाम और कार्य योजना तय/निर्धारित किए गए?	
9	पिछली किसी मंत्रणा में पहचानी गई कार्रवाइयों की स्थिति क्या है? यदि कोई हो तो बताएँ।	

संख्या	प्रश्न	टिप्पणियाँ
10	प्रतिपक्ष की आंतरिक दस्तावेज़ीकरण प्रणाली के साथ रिकॉर्ड का संदर्भ। यदि कोई हो तो बताएँ।	

दस्तावेज़ीकरण की यह प्रक्रिया उचित रिकॉर्ड रखने के साथ-साथ सहभागिता योजना की नियमित निगरानी और इसके कार्यान्वयन में लाभदायी होगा। इस दस्तावेज़ीकरण के आधार पर, कीउंटरपार्टी निम्नलिखित जानकारी को नियमित आधार पर संचित करेगी:

- हितधारक समूह जिनके साथ नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है;
- अनुबंध के लिए जिन प्रमुख तरीकों का अक्सर इस्तेमाल किया जा रहा है;
- पिछली सहभागिता की गतिविधियों से कोई लंबित मुद्दे/ कार्रवाई और उसकी वजह;
- कोई भी प्रमुख मुद्दे/प्रतिक्रिया जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है; और
- सरोकार और चिंताओं के मुद्दों पर हितधारकों को फीडबैक लूप और प्रतिक्रियाएँ दें।

इन रिपोर्टों को परियोजना द्वारा आंतरिक रूप से तैयार किया जाएगा और प्लैटफॉर्म को सूचित किया जाएगा। यह प्लैटफॉर्म को किसी भी मुद्दे/चिंताओं की पहचान करने में मदद करेगा।

कुछ मामलों में, लागू मानकों के अनुसार दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता हो सकती है, इस मामले में, निर्धारित दस्तावेज़ीकरण दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। ऐसे मामले, जिनमें ऐसी अपेक्षा मोजूद नहीं है, उनका एक सांकेतिक प्रारूप नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 12. हितधारक अनुबंध रजिस्टर के लिए प्रारूप

संख्या	हितधारक समूह	दिनांक	जगह और स्थान	प्रमुख प्रतिनिधियों का नाम	उपस्थित लोगों का लिंग विभाजन	सहभागिता का उद्देश्य	सहभागिता की विधि	प्रमुख परिणाम और कार्य	पिछले परामर्शों में पहचानी गई कार्रवाइयों की स्थिति	अभिलेखों का संदर्भ

A5. प्लेटफार्म हितधारक अनुबंध योजना

हितधारक समूह	परियोजना के लिए प्रासंगिक रुचियाँ और प्रभाव	परियोजना में प्रस्तावित भूमिका	सहभागिता की रणनीति
नीति आयोग **(EVs** के लिए नोडल एजेंसी**)**	• नीति आयोग भारत सरकार का थिंक थैंक ग्रुप है। वे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख नीति एंकर और समन्वयक भी हैं। • इसी संबंध में, इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान उनसे परामर्श लिया गया। वे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम करते हैं। वे भारत में EVs को बढ़ावा देने से संबंधित नीतिगत हस्तक्षेपों में महत्वपूर्ण हितधारक हैं और इस कार्यक्रम की सफलता में सीधे रुचि रखते हैं।	• नीति आयोग से समय-समय भारत में EVs को तेजी से अपनाने को प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाओं के संबन्ध में परामर्श किया जाएगा और तदनुसार यह कार्यक्रम में एक अप्रत्यक्ष सलाहकार की भूमिका निभाएगा।	• उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए, विशेषकर प्रारंभिक वर्षों में, आवधिक सहभागिता सुनिश्चित करें जो कार्यक्रम की सफलता को बढ़ा सकते हैं।
पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **(MoEFCC)**	• MoEFCC सभी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों और नीतियों के लिए नोडल एजेंसी है • यह पेरिस समझौते और UN के एजेंडा 2030 पर आधारित भारत के राष्ट्रीय स्तर पर अवधरित योगदान (NDCs) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन को चलाने वाला प्रमुख मंत्रालय है। • इसके अलावा इसके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है क्योंकि भारत 2030 तक भारत की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के अपने पार्टियों के सम्मेलन (COP) 26 के वादों को प्राप्त करना चाहता है। • MoEFCC EV पारिस्थितिकी	• MoEFCC विषेषकर भारत के NDCs को लागू करने और COP26 वादों को प्राप्त करने से संबंधित नीतियों को संरेखित करने में नीति आयोग के साथ समन्वय करेगा	• आवश्यकतानुसार कार्यक्रम की प्रगति और नीतिगत हस्तक्षेपों पर अद्यतन के लिए मंत्रालय के साथ परामर्श करना

हितधारक समूह	परियोजना के लिए प्रासंगिक रुचियाँ और प्रभाव	परियोजना में प्रस्तावित भूमिका	सहभागिता की रणनीति
	तंत्र के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMPP) 2020 का क्रियान्वयन और ड्राफ्ट बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2020 की अधिसूचना शामिल हैं, जिससे कि पूरे भारत में EV बैटरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की उम्मीद है। • मंत्रालय की सफलता कार्यक्रम में सीधी दिलचस्पी है क्योंकि यह भारत में सभी GCF प्रस्तावों के लिए नामित राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) है। प्रस्ताव तैयार करने के लिए मंत्रालय से सलाह मशविरा किया गया है।		
OEM (मूल उपकरण निर्माता**)**	• OEM भारत में (और विश्व स्तर पर) इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता हैं। ये खिलाड़ी EV डोमेन में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और ग्राहकों द्वारा अधिक से अधिक अपनाने को सुनिश्चित करने के इच्छुक हैं। • OEM, कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के रूप में, बाजार में उपयुक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करके और उत्पाद प्रदर्शन जोखिमों को कम करके, यदि कोई हो, कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए अहम हैं।	प्रत्यक्ष लाभार्थी • उपयुक्त क्रेडिट उत्पादों को डिजाइन करने के लिए OEM से नियमित रूप से परामर्श किया जाएगा जो उनकी और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं • OEMs, जिन्हें कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा या तो a) अनुसंधान और विकास (R&D) में पूंजी को फिर से तैनात करना जो उच्च अग्रिम वाहन लागत को कम करने और वाहन के प्रदर्शन के संबंध में चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा और/या b) EV मूल्य श्रृंखला के और विकास में निवेश करें, जो दोनों भारत में EVs को तेजी से अपनाने में कार्यक्रम की मदद करेगा •	• एक बार जब प्लैटफॉर्म एक OEM को वित्त पोषित कर लेगातो यह अपने व्यावसायिक प्रदर्शन पर एक मजबूत निगरानी बनाए रखेगा और नियमित रूप से सहमत अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभिन्न KPI को ट्रैक करेगा। • अन्य OEM के लिए, प्लैटफॉर्म की प्रबंधन टीम और MAM प्रतिनिधियों के द्वारा एक सतत अनुबंध कायम रखा जाएगा: – EV क्षेत्र में नवीनतम विकास के संबंध में प्रमुख अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए – संभावित वित्त पोषण के अवसरों को पहचानने के लिए – EV क्षेत्र के विभिन्न खंडों के समय के साथ परिपक्व होने पर लीज/क्रेडिट उत्पादों के

हितधारक समूह	परियोजना के लिए प्रासंगिक रुचियाँ और प्रभाव	परियोजना में प्रस्तावित भूमिका	सहभागिता की रणनीति उपयुक्त अनुकूलन के लिए
ऑपरेटर्स	• उद्योग में संपत्ति के वो मालिक जो व्यापार से व्यापार (B2B) स्पेस में वाहनों का संचालन भी करते हैं। यह भारत में एक अच्छी तरह से विकसित लेकिन खंडित डोमेन है जो मौजूदा समय में आंतरिक दहन इंजन (ICE) के वाहनों का उपयोग कर रहा है। तदनुसार, वे कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं और इसकी सफलता में गहरी रुचि रखते हैं।	प्रत्यक्ष लाभार्थी • ऑपरेटर भारत में EV ट्रैंज़िशन के प्रमुख चालकों में से एक होंगे क्योंकि उनके जल्दी से अपनाने से a) OEM बाजार में अधिक आकर्षक मॉडल पेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और b) EV चार्जिंग स्टेशनों की जल्दी तैनाती सुनिश्चित होगी। • इसके अलावा, ऑपरेटरों से नियमित रूप से परामर्श किया जाएगा कि a) बाजार में आवश्यक वित्तीय समाधानों के डिजाइन और कार्यान्वयन में सुधार किया जाए और b) प्रतिक्रिया एकत्र की जाए और इसे OEM के साथ साझा किया जाए (प्रासंगिक उत्पाद डिजाइन के अपग्रेड के लिए) जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन में पुरुषों और महिलाओं सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है	• OEM की तरह, कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित ऑपरेटरों की निगरानी प्लैटफॉर्म की प्रबंधन टीम द्वारा की जाएगी। • अन्य ऑपरेटरों के साथ, प्लैटफॉर्म की प्रबंधन टीम और MAM प्रतिनिधियों द्वारा नियमित अनुवर्ती कॉल, उद्योग सम्मेलनों और विभिन्न विचार नेतृत्व कार्यक्रमों के माध्यम से नियमित रूप से अनुबंध होगा।
स्थानीय समुदाय	• भारत के सभी प्रमुख शहरों में, स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं। तदनुसार, वे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के अप्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे जिसके परिणामस्वरूप GHG उत्सर्जन कम होगा।	अप्रत्यक्ष लाभार्थी • कार्यक्रम की योजना स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए कार्यक्रम की सफलता और EV ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के तरीकों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलों को शुरू करने की है।	• EV रोल आउट के लाभों पर स्थानीय समुदाय के साथ अनुबंध सुनिश्चित करने के एड-हॉक सर्वेक्षण शुरू किया गया।
वित्तीय संस्थाएं	• भारत में वित्तीय संस्थाएं, खास तौर पर बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, देश में वाहनों के लिए ऋण का प्राथमिक स्रोत हैं। हालांकि वे इस क्षेत्र से जुड़े उच्च कथित जोखिमों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण	अप्रत्यक्ष लाभार्थी • सहयोगी कंपनियों से नीति संबंधी हस्तक्षेपों के लिए नियमित रूप से परामर्श किया जाएगा जो देश में EV को और अपना सकती हैं • इसके साथ ही, वे अधिक और	• उद्योग मंचों और सरकारी सलाहकार सेट अप में समय-समय पर अनुबंध।

हितधारक समूह	परियोजना के लिए प्रासंगिक रुचियाँ और प्रभाव	परियोजना में प्रस्तावित भूमिका	सहभागिता की रणनीति
	में धीमे रहे हैं। इस कारण से, वे कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे, जिससे देश में मुख्यधारा के क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित करने की उम्मीद की जाती है।	नई ई-गतिशीलता केंद्रित कंपनियों को वित्तपोषण करके कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए पट्टे पर देने और संरचित ऋण समाधान के लिए बाजार को लोकप्रिय बनाने और उनका विस्तार करने में मदद करेंगे, इस तरह से पूरी EV मूल्य श्रृंखला पर एक गुणक प्रभाव पड़ेगा।	

A6. चांस फाइंड की प्रक्रिया

किसी भी उप-परियोजना गतिविधियों के कारण होने वाले प्रभावों और जोखिमों की जांच में भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों में सांस्कृतिक धरोहर के उपयोग से लाभों के समान बंटवारे को बढ़ावा देना भी शामिल होगी।

चार्जिंग स्टेशन या वाहन डिपो को बनाते वक्त, सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों के पास उत्खनन और गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है। जबकि महत्व के सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों से परहेज किया जाएगा, हालांकि कम महत्व के या संभावित "चांस फाइंड" वाले क्षेत्रों को उप-परियोजना द्वारा किया जा सकता है।

"चांस फाइंड" किसी भी स्पष्ट सांस्कृतिक धरोहर को संदर्भित करती है जो परियोजना के गठन या संचालन चरणों के दौरान अप्रत्याशित रूप से सामने पेश आती हैं जैसे कि चलने योग्य स्पष्ट या अचल वस्तुओं, संपत्ति, साइटें, संरचनाएं, या संरचनाओं के समूह, पुरातात्विक (पूर्व ऐतिहासिक), पालीटोलॉजिकल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक , और धार्मिक मूल्य; अद्वितीय प्राकृतिक विशेषताएं या मूर्त वस्तुएं जो सांस्कृतिक मूल्यों को स्पष्ट रूप देती हैं, जैसे कि पवित्र उपवन, चट्टानें, झीलें और झरने; और संस्कृति के अमूर्त रूपों के कुछ उदाहरण जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, जैसे कि सांस्कृतिक ज्ञान, नवाचार और पारंपरिक जीवन शैली को अपनाने वाले समुदायों की प्रथाएं।

प्रक्रिया

एक उप-परियोजना की स्क्रीनिंग/DD के दौरान, सांस्कृतिक धरोहर पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की जाएगी और जितना संभव हो टाला जाएगा। पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभावों की पहचान प्रक्रिया को यह निर्धारित करना चाहिए कि परियोजना का प्रस्तावित स्थान क्षेत्रों में है या नहीं जहां निर्माण या संचालन चरणों के दौरान सांस्कृतिक धरोहर मिलने की उम्मीद है।

1. परामर्श**:** यदि कोई उप-परियोजना किसी सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित करती है, तो साइट स्क्रीनिंग टीम उन प्रभावित समुदायों से परामर्श करेगी जो काफी समय से चले आ रहे सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए सांस्कृतिक धरोहर का उपयोग करते हैं, या जीवित स्मृति के भीतर उपयोग करते हैं। महत्व की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान करने के लिए और समुदायों के विचारों में शामिल करने के लिए परामर्श किए जाएगें। सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए काम करने वाली प्रासंगिक राष्ट्रीय या स्थानीय नियामक एजेंसियों की भागीदारी के लिए परामर्श भी बढ़ाया जाएगा। विपक्ष द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 'चांस फाइंड' के लिए AE को प्रस्तुत की जाएगी।
2. सामुदायिक पहुंच**:** जब उप-परियोजना स्थल में से कोई भी सांस्कृतिक धरोहर रखता है या प्रभावित समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले से सुलभ सांस्कृतिक धरोहर स्थलों तक पहुंच को अवरुद्ध करता है। उप-परियोजना, परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, सांस्कृतिक स्थलों तक निरंतर पहुंच करने देगी या या स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षितता विचारों के अधिभावी के अधीन पहुंच का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी।
3. अनुकरणीय सांस्कृतिक धरोहर को हटाना**:** जब भी उप-परियोजना को मूर्त सांस्कृतिक धरोहर का सामना करना पड़ता है जो कि अनुकरणीय योग्य है[10] और अहम नहीं है, तो उप-परियोजना बचाव के पक्ष में शमन उपायों को लागू करेगी।
4. गैर**-**अनुकरणीय सांस्कृतिक धरोहर को हटाना**:** अधिकांश सांस्कृतिक धरोहर अपने स्थान पर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है, क्योंकि इसके हटाने से सांस्कृतिक विरासत को अपूरणीय क्षति या विनाश होने की संभावना है। उप-परियोजना किसी भी गैर-अनुकरणीय सांस्कृतिक धरोहर को तब तक नहीं हटाएगी, जब तक:
   - हटाने के लिए कोई तकनीकी या वित्तीय रूप से व्यवहार्य विकल्प नहीं हैं;
   - परियोजना के समग्र लाभ पूर्ण निष्कासन से सांस्कृतिक धरोहर के अनुमानित नुकसान से अधिक हैं;
   - सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके सांस्कृतिक धरोहर को हटाने का कार्य किया जाता है।

10 IFC निष्पादन मानक 8: सांस्कृतिक धरोहर: अनुकरणीय सांस्कृतिक धरोहर को सांस्कृतिक धरोहर के मूर्त रूपों के तौर पर परिभाषित किया जाता है जिसे स्वयं कहीं और ले जाया जा सकता है या जिसे एक समान संरचना या प्राकृतिक विशेषताओं से बदला जा सकता है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों को उचित उपायों द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। पुरातत्व या ऐतिहासिक स्थलों को अनुकरणीय योग्य माना जा सकता है जहां वे खास युग और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अन्य स्थलों और/या संरचनाओं द्वारा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन परिस्थितियों में जहां उप-परियोजना कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र या कानूनी रूप से परिभाषित बफर ज़ोन के भीतर स्थित है, उप-परियोजना निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी:

- परिभाषित राष्ट्रीय या स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर नियमों या संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं का पालन करें;
- प्रस्तावित परियोजना पर संरक्षित क्षेत्र के प्रायोजकों और प्रबंधकों, स्थानीय समुदायों और अन्य प्रमुख हितधारकों से परामर्श करें; और
- संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण उद्देश्यों को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए, जैसा उपयुक्त हो, अतिरिक्त कार्यक्रम लागू करें।

एक बार जब 'चांस फाइंड' पर रिपोर्ट AE को प्रस्तुत की जाती है, तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की पहचान की जाएगी। स्थानीय अधिकारियों को चांस फाइंड के बारे में सूचित किया जाएगा और साइट स्तर पर परियोजना टीम को परिणामों के बारे में सूचित किया जाएगा। प्रतिपक्ष और AE द्वारा कार्यवाही और परिणाम का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

5. निगरानी करना: AE टीम आवधिक निगरानी प्रक्रियाओं के दौरान प्रतिपक्ष साइट टीम द्वारा चांस फाइंड प्रक्रिया के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करेगी।
6. रिपोर्टिंग: प्रतिपक्ष द्वारा चांस फाइंड की साइट को उजागर करने वाली एक मौके की तलाश रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निम्नलिखित रिपोर्टिंग प्रारूप का उपयोग किया जाएगा।

चांस फाइंड पर रिपोर्टिंग प्रारूप

परियोजना	स्थान	पहचाने गए चांस फाइंड	परामर्श किया गया	चांस फाइंड का क्षेत्र	टिप्पणियाँ

एक बार चांस फाइंड प्रक्रिया लागू होने के बाद परिणाम रिपोर्ट सामाजिक अधिकारी द्वारा सामाजिक प्रमुख को दस्तावेज़ीकरण उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की जाएगी। निम्नलिखित प्रारूप का उपयोग सामाजिक अधिकारी करेगा।

चांस फाइंड प्रक्रिया पर रिपोर्ट परिणाम प्रारूप

परियोजना	स्थान	पहचाने गए चांस फाइंड	सूचना प्रकटीकरण एवं परामर्श	की गई कार्रवाई	मौजूदा स्थिति	टिप्पणियाँ

रिकॉर्ड्स

- चांस फाइंड रिपोर्ट
- परिणाम रिपोर्ट

A7. पुनर्स्थापन नीति ढांचा

उप-परियोजनाओं के लिए अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण या पुनर्स्थापन उप-क्षेत्रों की प्रकृति के कारण ट्रिगर होने की उम्मीद नहीं है, जिसके लिए सीमित भूमि की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, प्लैटफॉर्म यह निर्धारित करने के लिए उप-परियोजनाओं का आकलन करेगा कि क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है जो IFC प्रदर्शन मानक 5 को ट्रिगर करता है। यह उम्मीद की जाती है कि यदि ट्रिगर किया जाता है, तो परियोजना गतिविधियों के लिए भूमि का अधिकांश (यदि सभी नहीं) अधिग्रहण इच्छुक विक्रेता-इच्छुक खरीदार दृष्टिकोण का उपयोग करने की उम्मीद है।

परिभाषाएँ

IFC प्रदर्शन मानक 5 अनैच्छिक पुनर्स्थापन के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों को संबोधित करने और कम करने के लिए मानक निर्धारित करता है, जिसमें अनैच्छिक भूमि लेने का कोई भी मामला शामिल है। "अनैच्छिक पुनर्स्थापन" जैसा कि इस दस्तावेज़ में उपयोग किया गया है, भौतिक विस्थापन (पुनर्वास या आश्रय की कमी) और आर्थिक विस्थापन को संदर्भित करेगा, जिसमें संपत्ति का नुकसान या संपत्ति तक पहुंच पर प्रतिबंध शामिल है, जिससे आमदनी का नुकसान होता है, जैसा कि परियोजना गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अनैच्छिक पुनर्स्थापन तब होता है जब व्यक्तियों या समुदायों को भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करने या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या आर्थिक विस्थापन होता है। ऐसा (i) वैध स्वामित्व, या भूमि उपयोग पर अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध, और (ii) समझौता किए गए निपटान के मामलों में होता है जिसमें खरीदार भूमि के उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है या विक्रेता के साथ बातचीत के विफल होने पर भूमि उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है।

अनैच्छिक पुनर्स्थापन में प्रख्यात डोमेन सिद्धांत के अधीन कार्यान्वित भूमि अधिग्रहण शामिल है जिसमें भौतिक और आर्थिक विस्थापन शामिल हो सकता है। भूमि अधिग्रहण के अलावा परियोजना गतिविधियों से प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभावों के सभी मामलों में, ऐसे प्रभावों से बचा जाएगा, कम किया जाएगा, घटाया जाएगा या ESIA के हिस्से के रूप में सामाजिक मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।

सिद्धांत

अनैच्छिक पुनर्स्थापन पर विचार करते समय प्लैटफॉर्म के समग्र सिद्धांत इस प्रकार हैं:

a. जहां संभव हो वहां अनैच्छिक पुनर्स्थापन से बचा जाना चाहिए, या कम से कम किया जाना चाहिए, जिसमें व्यवहार्य वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों पर विचार करना, कमजोर व्यक्तियों पर प्रभावों पर विशेष ध्यान देना शामिल होना चाहिए;

b. जहां पुनर्स्थापन से बचा नहीं जा सकता है, वहां पुनर्स्थापन गतिविधियों को ऐसे कार्यक्रम के तौर पर डिजाइन और क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो सतत विकास को बढ़ावा देता है ताकि प्रभावित व्यक्ति परियोजना के लाभों में हिस्सा ले सकें। परियोजना द्वारा विस्थापित व्यक्तियों से सार्थक परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें पुनर्स्थापन कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए; और

c. विस्थापित व्यक्तियों को अपनी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उनके प्रयासों में सहायता प्राप्त करनी चाहिए, या कम से कम उन्हें वास्तविक रूप में, पूर्व-विस्थापन स्तर पर, या परियोजना शुरू होने से पहले के स्तर (जो भी अधिक हो) तक बहाल करने के लिए सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

प्लैटफॉर्म इन सिद्धांतों के खिलाफ उप-परियोजनाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें IFC प्रदर्शन मानक 5, साथ ही भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्स्थापन पर GCF के सुरक्षा मानक शामिल हैं।

अपवाद

कार्यक्रम उन परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा जहां बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।

स्थानीय कानून और अधिनियम

भूमि अधिग्रहण और GCF सुरक्षा मानकों से संबंधित स्थानीय कानूनों और नीतियों के बीच अंतर हो सकता है। एक तुलना और अंतराल मूल्यांकन उप-परियोजना स्तर पर लागू की जाने वाली नीतियों में किसी भी अंतराल की पहचान करेगा। संदेह से बचने के लिए, प्लैटफॉर्म सबसे कड़े उपायों के खिलाफ उप-परियोजनाओं की समीक्षा करेगा।

पुनर्स्थापन कार्य योजना और आजीविका बहाली योजना

उचित परिश्रम के हिस्से के तौर पर, प्लैटफॉर्म उप-परियोजना के परिणामस्वरूप किसी भी भौतिक विस्थापन का आकलन करेगा। उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनमें अनैच्छिक पुनर्स्थापन शामिल है, वित्तपोषण प्रतिपक्ष से एक पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए और प्लैटफॉर्म द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे मामले में जहां उप-परियोजना में केवल आर्थिक विस्थापन शामिल है, प्रतिपक्षकार से आजीविका बहाली योजना विकसित करने की अपेक्षा की जाएगी। प्लैटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि ये प्रबंधन योजनाएँ पुनर्स्थापन कार्य योजना तैयार करने के लिए IFC पुस्तिका के अनुरूप तैयार की गई हैं।

इसके लिए विचार किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं:

- परियोजना प्रभावों और प्रभावित आबादी की पहचान
- कानूनी ढांचा
- मुआवजा ढांचा
- पुनर्स्थापन सहयोग और आजीविका
- बजट और कार्यान्वयन अनुसूची
- संगठन की जिम्मेदारियां
- परामर्श और भागीदारी
- शिकायत निवारण
- निगरानी करना और परखना

6.3.6 एक पुनर्स्थापन[11] कार्य योजना की खाका रूपरेखा

1. *परियोजना का विवरण:* परियोजना का सामान्य विवरण और परियोजना क्षेत्र की पहचान।
2. *संभावित प्रभाव: पहचान* a) परियोजना के घटक या गतिविधियाँ जो पुनर्स्थापन का कारण बनती हैं; b) ऐसे घटक या गतिविधियों के प्रभाव का क्षेत्र; c) पुनर्स्थापन से बचने या इसे कम से कम करने के लिए विचार किए गए विकल्प; और d) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, जहां तक संभव हो, पुनर्स्थापन को कम से कम करने के लिए स्थापित तंत्र।
3. *किए गए उद्देश्य और अध्ययन:* पुनर्स्थापन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य और पुनर्वास योजना/कार्यान्वयन के समर्थन में किए गए अध्ययनों का सारांश, जैसे, जनगणना सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, बैठकें, स्थल चयन अध्ययन...आदि।
4. *नियामक ढांचा:* मेजबान देश के प्रासंगिक कानून, ग्राहक नीतियां और प्रक्रियाएं, प्रदर्शन मानक।
5. *संस्थागत ढांचा:* राजनीतिक संरचना, NGOs.
6. *हितधारकों का अनुबंध:* पुनर्स्थापन योजना से संबंधित सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण का सारांश, जिसमें प्रभावित परिवारों, स्थानीय और/या राष्ट्रीय प्राधिकरणों, संबंधित CBO और NGO और मेजबान समुदाय सहित अन्य पहचाने गए हितधारकों की भागीदारी शामिल है। इसमें कम से कम, पहचाने गए प्रमुख हितधारकों की सूची, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (बैठकें, फोकस समूह आदि), उठाए गए मुद्दे, प्रदान की गई प्रतिक्रियाएं, महत्वपूर्ण शिकायतें (यदि कोई हो) और पुनर्स्थापन कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान चल रहे अनुबंध की योजना शामिल होनी चाहिए।

[11] IFC प्रदर्शन मानक 5 - मार्गदर्शन नोट - अनुबंध A

7. *सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं:* परियोजना की तैयारी के प्रारंभिक चरणों में और संभावित रूप से विस्थापित लोगों की भागीदारी के साथ किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक अध्ययनों के निष्कर्ष, जिसमें घरेलू और जनगणना सर्वेक्षण के परिणाम, कमजोर समूहों की जानकारी, आजीविका पर जानकारी और जीवन स्तर, भूमि कार्यकाल और हस्तांतरण प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, सामाजिक संपर्क के पैटर्न, सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे शामिल है।

8. *पात्रता:* विस्थापित व्यक्तियों की परिभाषा और प्रासंगिक कट-ऑफ तिथियों सहित मुआवजे और अन्य पुनर्स्थापन सहायता के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड।

9. *नुकसान का मूल्यांकन और मुआवजा:* उनकी प्रतिस्थापन लागत निर्धारित करने के लिए हानियों के मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली पद्धति; और स्थानीय कानून के अधीन प्रस्तावित प्रकार और मुआवजे के स्तर का विवरण और ऐसे पूरक उपाय जो खोई हुई संपत्ति के लिए प्रतिस्थापन लागत प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

10. विस्थापन का परिमाण: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, घरों, संरचनाओं, सार्वजनिक भवनों, व्यवसायों, कृषि भूमि, चर्चों आदि की संख्या का सारांश।

11. *पात्रता ढांचा:* प्रभावित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों का वर्णन करते हुए और उन्हें क्या विकल्प दिए जा रहे हैं, इसे वरीयता तालिका के रूप में संक्षेपित किया गया है।

12. *आजीविका बहाली के उपाय:* विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका को सुधारने या बहाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपाय। जनवरी 1, 2012 29 मार्गदर्शन नोट 5 भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्स्थापन

13. *पुनर्स्थापन स्थल:* वैकल्पिक पुनर्स्थापन साइटों पर विचार किया जाता है, जिसमें साइट चयन, साइट तैयारी और स्थानांतरण शामिल हैं, और उनकी व्याख्या में मेजबान समुदायों के लिए निहितार्थ शामिल हैं।

14. *आवास, आधारभूत संरचना, और सामाजिक सेवाएं:* आवास, बुनियादी ढांचे (जैसे, पानी की आपूर्ति, फीडर सड़कें), और सामाजिक सेवाएं (जैसे, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं) प्रदान करने (या पुनर्वासकर्ताओं के प्रावधान की वित्तपोषण के लिए) की योजनाएं; मेजबान आबादी के लिए तुलनीय सेवाएं सुनिश्चित करने की योजनाएं; इन सुविधाओं के लिए कोई भी आवश्यक साइट विकास, इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प डिजाइन।

15. *शिकायत प्रक्रियाएं:* पुनर्स्थापन से उत्पन्न होने वाले विवादों के तीसरे पक्ष के निपटान के लिए वहनीय और सुलभ प्रक्रियाएं; इस तरह के शिकायत तंत्र को न्यायिक सहारा और समुदाय और पारंपरिक विवाद निपटान तंत्र की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए।

16. *संगठनात्मक जिम्मेदारियां:* पुनर्स्थापन उपायों के वितरण और सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान सहित, पुनर्स्थापन को लागू करने के लिए संगठनात्मक ढांचा; कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों और क्षेत्राधिकारों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने की व्यवस्था; और कोई उपाय (तकनीकी सहायता सहित) कार्यान्वयन एजेंसियों की पुनर्स्थापन गतिविधियों को डिजाइन करने और चलाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है; परियोजना के अधीन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के प्रबंधन के लिए स्थानीय अधिकारियों या पुनर्स्थापनकर्ताओं को स्वयं के ट्रांसफर के लिए प्रावधान और उपयुक्त होने पर पुनर्स्थापन कार्यान्वयन एजेंसियों से ऐसी अन्य जिम्मेदारियों को ट्रांसफर करने के लिए प्रावधान।

17. *कार्यान्वयन शेड्यूल:* तैयारी से लेकर कार्यान्वयन तक सभी पुनर्स्थापन गतिविधियों को शामिल करने वाली एक कार्यान्वयन अनुसूची, जिसमें पुनर्स्थापनकर्ताओं और मेजबानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तिथियां शामिल हैं, और सहायता के विभिन्न रूपों को लागू करना शामिल है। अनुसूची में यह दर्शाया जाना चाहिए कि पुनर्स्थापन गतिविधियां समग्र परियोजना के कार्यान्वयन से कैसे लिंक हैं।

18. <3771>लागत और बजट</3771>: मुद्रास्फीति, जनसंख्या वृद्धि और अन्य आपात स्थितियों के लिए भत्ते सहित सभी पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए मदबद्ध लागत अनुमान दिखाने वाली तालिकाएं; खर्चों के लिए अनुसूची; वित्त प्राप्ति के स्रोत; और प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में धन के समय पर प्रवाह, और पुनर्स्थापन के लिए धन की व्यवस्था, यदि कोई हो।

19. *निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग:* कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पुनर्स्थापन गतिविधियों की निगरानी के लिए व्यवस्था, पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जानकारी सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र मॉनिटरों द्वारा पूरक; पुनर्स्थापन गतिविधियों के लिए इनपुट, आउटपुट और परिणामों को मापने के लिए प्रदर्शन निगरानी संकेतक; निगरानी प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी; सभी पुनर्स्थापन और संबंधित विकास गतिविधियों के पूरा होने के बाद एक उचित अवधि के लिए पुनर्स्थापन के प्रभाव का मूल्यांकन; बाद के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए पुनर्स्थापन निगरानी के परिणामों का उपयोग करना।

A8. स्वदेशी व्यक्तियों की नीति की ढांचा

परियोजनाओं की स्थिति मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों की होने की उम्मीद है और किसी भी भूमि अधिग्रहण के सीमित होने की उम्मीद है, इसलिए अंतर्निहित उप-परियोजनाओं से आदिवासी व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

हालांकि, एक उचित प्रयास के हिस्से के रूप में, प्लैटफॉर्म स्वदेशी समुदायों के साथ उप-परियोजना की किसी भी बातचीत या भागीदारी का मूल्यांकन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सिद्धांतों को लागू किया गया है या लागू किया जा रहा है:

- परियोजना क्षेत्र में जनजातीय व्यक्तियों पर संभावित प्रभावों की पहचान करना जो उप-परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- स्वदेशी व्यक्तियों के उन भूमि, संसाधनों और क्षेत्रों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण के सामूहिक अधिकारों को पहचानना और उनका सम्मान करना, जिनका उन्होंने परंपरागत रूप से उपयोग, अधिग्रहण या अन्यथा अधिग्रहण किया है।
- स्वदेशी व्यक्तियों की सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति का सम्मान, रक्षा, संरक्षण करना और उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) के बिना इन्हें ना लें।
- यह सुनिश्चित करेगा कि स्वदेशी व्यक्तियों को भूमि और क्षेत्रों पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और/या वाणिज्यिक विकास या परियोजनाओं के माध्यम से उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के उपयोग से प्राप्त लाभों का समान हिस्सा दिया जाए। यह इस तरह से किया जाएगा जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और समावेशी हो और जो भूमि अधिकारों या स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पानी, ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षित और सभ्य काम करने की स्थिति और आवास सहित बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच में बाधा न डाले।

उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनमें अनैच्छिक पुनर्वास शामिल है, एक स्वदेशी जन योजना की आवश्यकता है। प्लैटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

जहां इन सिद्धांतों को पूरा नहीं किया जाता है, वहां निवेश के साथ प्लैटफॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा।

स्वदेशी व्यक्तियों के साथ हितधारक अनुबंध

प्रतिपक्ष द्वारा अपनाई गई अनुबंध विधियों को मुख्यधारा की स्थानीय आबादी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और स्वदेशी व्यक्तियों (IP) के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता है, जहां भी लागू हो। IP में भाषा, संस्कृति और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थानों सहित अद्वितीय विशेषताएं हैं। वे प्रथागत भूमि अधिकारों के अलगाव, प्राकृतिक संसाधनों के दावों और सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रभाव जैसे मुद्दों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हैं। इसके अलावा, आईपी राजनीतिक रूप से हाशिए पर हो सकते हैं और मुख्यधारा के समाज द्वारा उपयोग की जाने वाली समावेशन प्रक्रियाओं से अपरिचित (या भरोसा नहीं) हो सकते हैं। उप-परियोजनाओं पर जहां आईपी एक महत्वपूर्ण संख्या बनाते हैं, प्रतिपक्ष IP के भीतर नेतृत्व के स्थापित रूपों और सरकार, मुख्यधारा के समुदाय के नेताओं और नागरिक समाज के साथ उनके संबंधों की पहचान करेगा।

प्रतिपक्ष उन क्षेत्रों में काम कर सकता है जहां IP स्थानीय आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात है (जैसे अनुसूची V क्षेत्र)। परियोजना क्षेत्र में ऐसे समूहों की उपस्थिति के मामले में, हितधारक अनुबंध प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे:

1. भूमि, जंगलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध के संदर्भ में इन समूहों के महत्व और विशेष स्थिति की समझ विकसित करना;
2. राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिनमें शामिल हैं:
   - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
   - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
   - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
   - स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP)

- विकास सहयोग के लिए मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण पर संयुक्त राष्ट्र की आम समझ
- स्वदेशी व्यक्तियों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के दिशानिर्देश;
- स्वतंत्र देशों में स्वदेशी और जनजातीय व्यक्तियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन 169 (1989)
- IFC PS 7, खास तौर पर नि: शुल्क पूर्व सूचित सहमति (FPIC) के संदर्भ में

3. IP के प्रतिनिधियों के साथ अनुबंध को सक्षम करने के लिए ग्राम परिषदों/समिति का गठन।

इन समूहों को अलग हितधारक समूहों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अन्य हितधारक समूहों और व्यवसाय के साथ उनके संबंधों और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित विशिष्ट चिंताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

मैक्वेरी और मैक्वेरी ग्रुप मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड (एमजीएल) और इसकी विश्वव्यापी सहायक कंपनियों और एमएएम और मैक्वेरी-प्रबंधित निवेश वाहनों सहित सहयोगी कंपनियों को संदर्भित करता है। मैक्वेरी समूह के सदस्य इस दस्तावेज़ में कॉपीराइट सामग्री के स्वामी हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। मैक्वेरी समूह का कोई भी सदस्य इस दस्तावेज़ (इसकी सामग्री सहित) के संबंध में इस दस्तावेज़ और/या संचार के किसी भी उपयोग से होने वाली प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी या अन्य हानि के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है। इस दस्तावेज़ में शामिल कोई भी दूरंदेशी बयान भविष्य के बारे में हमारी राय, उम्मीदों, विश्वासों, इरादों, अनुमानों या रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता है। इन कथनों की पहचान "अनुमान", "विश्वास", "अनुमान", "उम्मीद", "इरादा", "हो सकता है", "योजना", "इच्छा", "चाहिए", "तलाश" और समान अभिव्यक्तियों जैसे शब्दों का उपयोग करके की जा सकती है। . भविष्योन्मुखी बयान इस दस्तावेज़ की तिथि के अनुसार भविष्य की घटनाओं के संबंध में हमारे विचारों और मान्यताओं को दर्शाते हैं और जोखिम और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक और भविष्य के परिणाम और रुझान विभिन्न कारकों के कारण ऐसे बयानों द्वारा वर्णित लोगों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो हमारी नियंत्रण या भविष्यवाणी करने की क्षमता से परे हैं। इस दस्तावेज़ में निहित कोई भी भविष्योन्मुखी बयान भविष्य और वास्तविक घटनाओं के बारे में गारंटी, वादा, प्रक्षेपण, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है, भौतिक रूप से भिन्न हो सकता है। इस दस्तावेज़ में कोई भी लक्ष्य रिटर्न या अन्य वित्तीय अनुमान (उससे संबंधित किसी भी डेटा सहित) व्यक्तिपरक अनुमानों और परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और कभी नहीं हो सकते हैं। यदि उपयोग की गई कोई भी धारणा सही साबित नहीं होती है, तो परिणाम इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी लक्ष्य रिटर्न या वित्तीय अनुमानों से काफी भिन्न हो सकते हैं। कोई लक्ष्य रिटर्न या अन्य वित्तीय अनुमान केवल उदाहरण के लिए दिखाए जा रहे हैं। यह दस्तावेज़ MAAML द्वारा तैयार किया गया है जो मैक्वेरी समूह के मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट (एमएएम) समूह के भीतर एक इकाई है। यह मैक्वेरी रिसर्च डिपार्टमेंट का उत्पाद नहीं है जो एमएएम सूचना बाधा के बाहर काम करता है। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और तीसरे पक्ष द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई या उन स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है जिन्हें हम विश्वसनीय मानते हैं, और यह वर्तमान परिस्थितियों, बाजार की स्थितियों और विश्वासों पर आधारित है। जहां इस दस्तावेज़ में जानकारी में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोत या उन स्रोतों का संदर्भ शामिल है जिनकी सदस्यता ली जा सकती है, प्राप्तकर्ता को उस स्रोत के संदर्भ में जानकारी का संदर्भ लेना चाहिए और उसकी व्याख्या करनी चाहिए। दस्तावेज़ में चयनित जानकारी शामिल है और यह सर्व-समावेशी या प्रासंगिक या नवीनतम हो सकने वाली सभी जानकारी को शामिल करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। MAAML बैंकिंग अधिनियम 1959 (ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल) के प्रयोजनों के लिए एक अधिकृत जमा लेने वाली संस्था नहीं है और MAAML के दायित्व मैक्वेरी बैंक लिमिटेड ABN 46 008 583 542 ("मैक्वेरी बैंक") की जमाराशियों या अन्य देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैक्वेरी बैंक MAAML के दायित्वों के संबंध में गारंटी या अन्यथा आश्वासन प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, यदि यह दस्तावेज़ किसी निवेश से संबंधित है, (ए) निवेशक निवेश जोखिम के अधीन है, जिसमें पुनर्भुगतान में संभावित देरी और आय की हानि और मूलधन का निवेश शामिल है और (बी) मैक्वेरी बैंक या मैक्वेरी समूह की कोई भी कंपनी किसी विशेष गारंटी की गारंटी नहीं देती है। निवेश पर प्रतिफल की दर या प्रदर्शन, न ही वे निवेश के संबंध में पूंजी के पुनर्भुगतान की गारंटी देते हैं। इस "अस्वीकरण" में कुछ भी एमएएएमएल और जीसीएफ के बीच प्रत्यायन मास्टर समझौते में निर्धारित ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए एमएएएमएल के दायित्वों को संशोधित करने का इरादा नहीं है।